



**INDIA'S  
LARGEST  
CONTAINER  
PORT**

# जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY



**वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट  
2024-25**


**Annual Accounts & Audit Report**





## विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	तुलन पत्र	4
2	लाभ एवं हानि लेखा	6
3	तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ	9
4	लाभ एवं हानि लेखों की अनुसूचियाँ	27
5	नकदी आवागमन विवरण	41
6	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	45
7	लेखों पर टिप्पणियाँ	55
8	लेखा परिक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई	85
9	वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा	103
10	संघनित वित्तीय विवरण (वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक)	107





# वार्षिक लेखा 2024-25

## भाग 1 - तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>I. निधियों के स्रोत</b>			
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	1		
पूंजीगत आरक्षित निधि		36,09,89,12,511	36,09,65,63,197
राजस्व आरक्षित निधियाँ		89,87,62,89,382	73,63,84,37,725
सांविधिक आरक्षित निधियाँ		40,57,70,84,850	36,39,11,84,402
		1,66,55,22,86,743	1,46,12,61,85,325
<b>आस्थगित कर देयता</b>	<b>4</b>	<b>1,02,90,99,286</b>	<b>5,15,28,03,348</b>
<b>निधियों के कुल स्रोत</b>		<b>1,67,58,13,86,029</b>	<b>1,51,27,89,88,673</b>
<b>II. निधियों का उपयोग</b>			
<b>नियत परिसम्पत्तियाँ</b>	<b>2</b>		
सकल खंड		88,25,51,30,688	68,84,53,68,428
घटाएं : मूल्यहास		17,51,77,07,602	14,80,09,04,364
<b>निवल खंड</b>	<b>70,73,74,23,085</b>		<b>54,04,44,64,066</b>
चालू पूंजीगत कार्य		7,13,37,38,946	27,76,76,39,576
		<b>77,87,11,62,031</b>	<b>81,81,21,03,642</b>
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड/ नि. प्र.ह. प्रचालकों के बर्थ के विस्तार पर होने वाला व्यय		<b>19,72,90,192</b>	<b>21,85,43,418</b>
<b>निवेश</b>	<b>3</b>		
लम्बी अवधि के निवेश		18,09,24,08,604	5,96,78,01,208
		<b>18,09,24,08,604</b>	<b>5,96,78,01,208</b>
<b>आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ</b>	<b>4</b>	<b>3,87,48,01,711</b>	<b>3,24,59,74,287</b>
<b>वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>5</b>		
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		3,96,41,45,311	1,95,02,81,895
वस्तु सूचियाँ		9,56,39,535	9,90,14,953
निवल विविध देनदार		8,39,36,86,153	7,82,54,03,338
"कैश एवं बैंक शेष (बैंकों की सावधि जमा रसीदों सहित)		58,76,50,45,920	56,02,40,92,629
ऋण एवं अग्रिम		90,69,28,75,393	77,59,75,53,111
		<b>1,61,91,13,92,312</b>	<b>1,43,49,63,45,925</b>



## भाग 1 - तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>घटाएं : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान</b>	<b>6</b>		
<b>वर्तमान देयताएं</b>			
विविध लेनदार	11,09,52,64,139		14,72,85,12,892
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान	50,68,56,880		55,91,80,160
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशि / अग्रिम भुगतान आदि	5,77,69,402		13,49,79,908
प्रोद्भूत व्यय	19,35,63,21,306		11,52,97,92,903
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋण पर देय नहीं	60,35,92,339		62,54,54,697
	-		(25,19,07,793)
		<b>31,61,98,04,067</b>	<b>27,32,60,12,768</b>
<b>प्रावधान:</b>			
कराधान हेतु	62,74,58,64,754		56,13,57,67,038
कुल प्रावधान कराधान हेतु		62,74,58,64,754	56,13,57,67,038
<b>कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान</b>		<b>94,36,56,68,821</b>	<b>83,46,17,79,806</b>
<b>निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ</b>		<b>67,54,57,23,491</b>	<b>60,03,45,66,119</b>
<b>निधियों का कुल उपयोग</b>		<b>1,67,58,13,86,029</b>	<b>1,51,27,89,88,673</b>

प्रमुख कानूनी मामले और आकस्मिक दावे लेखों पर टिप्पणियों के तहत शामिल किए गए हैं

लेखाकरण नीतियाँ 24

लेखों पर टिप्पणियाँ 25

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

(सीएमए राजश्री के. दाबके )  
महाप्रबंधक (वित्त)

(उन्मेश शरद वाघ भा. रा. से. )  
अध्यक्ष

## भाग - II : लाभ तथा हानि लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>आय</b>			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	7	2,75,24,955	3,84,18,718
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	8	36,61,01,454	29,92,30,890
पत्तन एवं गोदी प्रभार	9	7,80,77,82,756	6,51,82,16,181
संपदा किराया	10	2,02,82,55,034	67,21,41,354
बीओटी ठेकों से आय	11	22,38,72,49,077	19,69,48,84,921
<b>प्रचालनीय आय - (क )</b>		<b>32,61,69,13,275</b>	<b>27,22,28,92,060</b>
<b>व्यय</b>			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण	12	4,36,13,186	6,66,63,374
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण	13	47,15,39,297	1,55,42,98,144
पत्तन एवं गोदी व्यय	14	5,53,87,07,564	3,73,77,30,323
रेल कार्यचालन	15	1,21,41,823	1,21,41,823
किराए योग्य भूमि एवं भवन	16	92,17,36,203	1,01,01,78,755
बीओटी ठेकों पर व्यय	17	1,39,71,41,566	91,82,21,119
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	18	2,84,48,65,515	2,28,40,88,737
<b>प्रचालनीय व्यय - (ख )</b>		<b>11,22,97,45,153</b>	<b>9,58,33,22,275</b>
<b>प्रचालनीय अधिशेष - ( ग = क - ख )</b>		<b>21,38,71,68,122</b>	<b>17,63,95,69,786</b>
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय - (घ )	19	6,64,24,40,897	4,26,89,69,833
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय / - ( च )	20	1,57,79,75,215	1,21,00,83,501
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार ( छ )	21	7,09,16,430	5,27,00,940
<b>"कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें ( ज = ग + घ - च - छ )"</b>		<b>26,38,07,17,373</b>	<b>20,64,57,55,177</b>
असाधारण मद ( ठ )	23	3,99,69,43,702	43,17,49,880
<b>कर पूर्व लाभ ( ट = ज - झ )</b>		<b>22,38,37,73,671</b>	<b>20,21,40,05,297</b>



## भाग - II : लाभ तथा हानि लेखा


(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (झ)	22		
वर्तमान कर		6,61,00,97,716	6,01,23,21,754
आस्थगित कर		(4,75,25,31,486)	73,74,33,672
<b>करोत्तर लाभ (ड. = ट - ठ )</b>		<b>20,52,62,07,441</b>	<b>13,46,42,49,871</b>
जोड़ें : कल्याणकारी निधि से आहरित राशि		15,65,624	12,25,000
विनियोगों हेतु कुल उपलब्ध राशि		20,52,77,73,065	13,46,54,74,871
<b>विनियोग</b>			
<b>विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि</b>			
अर्जित ब्याज		3,26,17,966	2,85,74,492
स्थानांतरित लाभ		2,06,03,32,258	1,48,44,89,965
"पूँजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि /			
"			
अर्जित ब्याज		2,69,45,660	2,36,05,352
स्थानांतरित लाभ		2,06,60,04,563	1,48,94,59,105
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		10,26,31,037	13,46,42,499
कर्मचारी कल्याण निधि		13,89,924	10,51,930
<b>कुल विनियोग</b>		<b>4,28,99,21,408</b>	<b>3,16,18,23,343</b>
<b>सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित लाभ</b>		<b>16,23,78,51,657</b>	<b>10,30,36,51,529</b>
<b>लेखाकरण नीतियाँ</b>	<b>24</b>		
लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखों के ही साथ हैं

(सीएमए राजश्री के. दाबके )  
महाप्रबंधक (वित्त)

(उन्मेश शरद वाघ भा. रा. से.)  
अध्यक्ष





# तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

## 2024-25

**तुलन पत्र की अनुसूचियाँ**  
**अनुसूची - 1 : 31 मार्च, 2025 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष**

(राशि रुपयों में)

विवरण	योग	अन्य आरक्षित निधियाँ		सांविधिक आरक्षित निधियाँ	
		पूँजीगत आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि
<b>क प्रारंभिक जमा</b>	<b>1,46,12,61,85,325</b>	<b>36,09,65,63,197</b>	<b>73,63,59,37,725</b>	<b>25,00,000</b>	<b>14,82,66,12,401</b>
<b>ख जोड़ें</b>					
राजस्व लेखे से स्थानांतरण	20,42,74,91,342	23,49,314	16,23,78,51,657	13,89,924	2,09,29,50,224
कर्मचारी कल्याण निवेश पर ब्याज	1,75,700			1,75,700	
पूँजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि	-	-	-	-	-
ऋण मोचन के आरक्षित निधि से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
<b>ग योग (ग = क + ख)</b>	<b>1,66,55,38,52,367</b>	<b>36,09,89,12,511</b>	<b>89,87,37,89,382</b>	<b>40,65,624</b>	<b>16,91,95,62,624</b>
					<b>21,56,45,72,002</b>
					<b>23,65,75,22,225</b>

**तुलन पत्र की अनुसूचियाँ**  
**अनुसूची - 1 : 31 मार्च, 2025 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष**

(राशि रुपयों में)

विवरण	योग	पूँजीगत आरक्षित निधि	अन्य आरक्षित निधियाँ		सांविधिक आरक्षित निधियाँ	
			सामान्य आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याणकारी निधि	विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि
घ						
घटाएं						
आंतरिक आरक्षित निधियाँ / अन्य स्थानांतरण						
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में स्थानांतरित						
राजस्व लेखों में स्थानांतरित	15,65,624			15,65,624		
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित						
वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग किया गया						
<b>योग (घ)</b>	<b>15,65,624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,65,624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>च अंत शेष ( च = ग - घ )</b>	<b>1,66,55,22,86,743</b>	<b>36,09,89,12,511</b>	<b>89,87,37,89,382</b>	<b>25,00,000</b>	<b>16,91,95,62,624</b>	<b>23,65,75,22,225</b>



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2025 को (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
क )	जमीन	6,03,49,21,337	20,43,11,751	(4,68,57,977)	6,19,23,75,111
(ख )	"पर्यावरणीय- संरक्षण के उपाय	24,97,02,825	9,60,339	-	25,06,63,164
II	मुख्य निकर्षण	13,44,05,97,744	17,57,17,80,008	-	31,01,23,77,752
III	"इमारतें, शेड एवं अन्य संरचनाएँ				
(क)	पारगमन शेड	-	-	-	-
(ख)	माल गोदाम	4,81,38,245	-	-	4,81,38,245
(ग )	मकान	1,46,54,96,764	7,82,45,763	-	1,54,37,42,527
(घ )	अन्य संरचनाएँ	4,31,98,18,446	3,23,358,802	(5,40,502)	4,64,26,36,745
(च )	लघु संरचनाएँ	7,38,22,432	1,75,99,296	(55,20,213)	85,9,01,515
(छ )	कें.औ.सु.बल आवास	41,972,741	-	-	41,972,741
(ज )	प्राथमिक अध्ययन तथा कार्य	4,28,66,998	-	-	4,28,66,998



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

मूल्यहास				निवल खण्ड	
01.04.2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2025 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2025 को (6)-(10)	31.03.2024 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	6,19,23,75,111	6,03,49,21,337
3,07,77,747	-	2,08,53,307	5,16,31,054	19,90,32,110	21,89,25,078
<b>1,50,89,21,003</b>	-	<b>1,26,05,69,018</b>	<b>2,76,94,90,021</b>	<b>28,24,28,87,731</b>	<b>11,93,16,76,741</b>
-	-	-	-	-	-
3,49,00,229	-	12,03,456	3,61,03,685	1,20,34,560	1,32,38,016
40,63,78,286	-	3,08,88,400	43,72,66,686	1,10,64,75,841	1,05,91,18,478
61,43,22,251	(3,09,660)	9,51,52,104	70,91,64,695	3,93,34,72,050	3,70,54,96,195
1,51,66,490	(6,20,835)	36,05,490	18,15,1,146	67,750,369	5,86,55,941
2,27,47,993	-	8,39,455	2,35,87,447	18,385,294	1,92,24,749
4,28,66,998	-	-	4,28,66,998	-	-

## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

### अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2025 को (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
<b>IV</b>	<b>घाट, सड़कें और परिसीमाएं</b>				
(क)	घाट और पटरियां	14,36,73,66,688	4,44,98,920	(92,26,873)	14,40,26,38,735
(ख)	परिसीमो दीवारें और बाड़	1,14,80,42,276	-	(58,19,789)	1,14,22,22,486
(ग)	सड़कें	8,53,87,19,233	38,05,01,406	(1,24,91,734)	8,90,67,28,904
(घ)	नालियाँ और पुलिये	9,27,842,192	13,97,775	-	92,92,39,967
(च)	पुल	4,52,62,83,272	67,46,80,283	-	5,20,09,63,555
<b>V</b>	<b>तैरते पोत</b>	<b>5,20,24,643</b>	<b>-</b>	<b>(1,42,50,147)</b>	<b>3,77,74,496</b>
<b>VI</b>	<b>रेलवे और चल स्टॉक</b>				
(ग)	पत्तन के अंदर स्थायी रास्ता	8,89,56,634	-	-	8,89,56,634
	पत्तन के बाहर स्थायी रास्ता	82,92,17,158	-	-	82,92,17,158



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रूपयों में)

मूल्यहास				निवल खण्ड	
01.04.2024 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2025 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2025 को (6)-(10)	31.03.2024 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
			-		
3,555,335,988	(695,165)	362,363,559	3,91,70,04,382	10,48,56,34,353	10,81,20,30,700
13,49,01,308	(2,18,242)	3,19,00,870	16,65,83,936	97,56,38,551	1,01,31,40,968
1,14,09,31,215	(4,68,440)	22,90,44,756	1,36,95,07,531	7,53,72,21,373	7,39,77,88,017
21,60,81,192	-	2,35,04,048	23,95,85,240	68,96,54,726	71,17,60,999
48,32,37,065	-	18,10,21,909	66,42,58,973	4,53,67,04,582	4,04,30,46,207
<b>2,19,36,079</b>	<b>(1,28,53,437)</b>	<b>22,73,284</b>	<b>1,13,55,926</b>	<b>2,64,18,570</b>	<b>3,00,88,563</b>
4,81,38,276	-	14,82,611	4,96,20,886	3,93,35,748	4,08,18,358
37,41,08,021	-	1,38,20,286	38,79,28,306	44,12,88,852	45,51,09,138

## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2025 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
<b>VII</b>	<b>गोदी, घाट, समुद्री दीवारें, पोत घाट एवं नौ-संचालन साधन</b>				
(क)	गोदी और घाटों	23,69,83,449	5,90,18,432	-	29,60,01,881
(घ)	रक्षिकाएं, प्लव संकेतक और नौबंध	12,95,72,794	-	(40,80,000)	12,54,92,794
(च)	गोदी प्रवेश द्वार	2,47,17,878	-	-	2,47,17,878
(ज)	नौसंचालन साधन	12,80,75,112	-	-	12,80,75,112
<b>VIII</b>	<b>क्रेन और वाहन</b>				
(घ)	अन्य उपस्कर	7,17,91,273	-	(95,50,392)	6,22,40,881
<b>IX</b>	<b>सयंत्र और मशीनरी</b>				
(क)	कर्मशाला तथा मशीनों के औजार	2,89,71,700	-	-	2,89,71,700
(घ)	अन्य उपस्कर	15,82,44,323	1,30,61,770	(11,06,694)	17,01,99,399
(छ)	तुलन कांटे	50,45,399	-	-	50,45,399
(ज)	अस्पताल फर्नीचर	6,93,56,607	9,89,100	-	7,03,45,707
(झ)	तेल का पाइपलाइन	32,43,357	-	-	32,43,357



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

मूल्यहास				निवल खण्ड	
01.04.2024 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2025 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2025 को (6)-(10)	31.03.2024 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
5,32,55,695	-	39,70,337	5,72,26,032	23,87,75,849	18,37,27,754
8,86,53,792	(13,60,000)	56,98,655	9,29,92,447	3,25,00,347	4,09,19,002
1,43,83,367	-	3,04,392	1,46,87,759	1,00,30,119	1,03,34,511
11,67,02,931	-	12,83,817	11,79,86,748	1,00,88,364	1,13,72,181
6,17,43,361	(86,96,967)	24,52,126	5,54,98,519	67,42,362	1,00,47,912
1,09,28,732	-	12,81,014	1,22,09,746	1,67,61,954	1,80,42,968
10,38,32,795	(10,77,482)	78,16,637	11,05,71,950	5,96,27,449	5,44,11,528
50,45,399	-	-	50,45,399	-	-
5,86,85,431	-	20,59,737	6,07,45,169	96,00,538	1,06,71,176
32,43,357	-	-	32,43,357	-	-

## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

### अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2025 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2025 को (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
X	पानी, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिए संस्थापनाएँ				
(क)	"बिजली के लिए संस्थापनाएँ	3,29,44,54,819	7,55,97,634	-	3,37,00,52,453
(ख)	"दूरसंचार के लिए संस्थापनाएँ	1,73,49,572	-	-	1,73,49,572
(ग)	पानी के लिए संस्थापनाएँ	46,90,23,835	1,65,57,587	-	48,55,81,423
(घ)	अग्निशमन	7,120,58,618	-	-	71,20,58,618
XII.	कंटेनर प्रहस्तन उपकरण	<b>5,95,29,43,371</b>	<b>15,280,385</b>	<b>(24,25,154)</b>	<b>5,96,57,98,601</b>
XIII.	कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर				
(क)	कम्प्यूटर	87,52,01,994	3,15,40,847	(6,02,706)	90,61,40,135
(ख)	इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर	30,83,26,160	78,26,482	-	31,61,52,642
(ग)	अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर	2,75,33,356	17,76,083	-	2,93,09,439



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

### अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

मूल्यहास				निवल खण्ड	
01.04.2024 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2025 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2025 को (6)-(10)	31.03.2024 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
1,03,94,65,984	-	8,44,15,308	1,12,38,81,291	2,24,61,71,161	2,25,49,88,835
1,26,35,605	-	11,63,278	1,37,98,883	35,50,689	47,13,967
14,76,65,829	-	1,62,72,184	16,39,38,013	32,16,43,409	32,13,58,006
56,64,69,252	-	2,18,08,778	58,82,78,030	12,37,80,588	14,55,89,366
<b>2,87,30,25,934</b>	<b>(3,03,310)</b>	<b>24,76,40,970</b>	<b>3,12,03,63,594</b>	<b>2,84,54,35,007</b>	<b>3,07,99,17,437</b>
63,21,47,638	(4,45,799)	5,20,49,307	68,37,51,146	22,23,88,989	24,30,54,356
22,82,42,222	-	2,70,72,254	25,53,14,476	6,08,38,166	8,00,83,938
90,28,198	-	45,97,500	1,36,25,698	15,68,3,741	1,85,05,158

## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	सकल खण्ड			
	परिसंपत्तियों का विवरण	01.04.2024 के अनुसार	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2025 को (3) + (4) - (5) "
1	2	3	4	5	6
<b>XIV</b>	<b>वाहन तथा अन्य कार्यालय मशीनें</b>				
(क)	वीएचएफ ट्रान्सरिसीवर	3,96,86,066	-	-	3,96,86,066
(ख)	"झेरोक्स और फोटोकॉपी मशीन	1,17,01,751	32,22,779	-	1,49,24,530
(ग)	कार्यालय उपस्कर	94,51,984	29,000	-	94,80,984
(घ)	वाहन	34,85,037	-	-	34,85,037
<b>XV.</b>	<b>पूंजीकृत पुर्जे</b>	<b>7,23,60,346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,23,60,346</b>
	<b>योग</b>	<b>68,84,53,68,428</b>	<b>19,52,22,34,442</b>	<b>(11,24,72,182)</b>	<b>88,25,51,30,688</b>
	<b>प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य</b>	<b>27,76,76,39,576</b>	<b>(1,11,16,66,189)</b>	<b>19,52,22,34,442</b>	<b>7,13,37,38,946</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>96,61,30,08,005</b>	<b>18,41,05,68,253</b>	<b>19,40,97,62,260</b>	<b>95,38,88,69,634</b>



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: 31 मार्च, 2025 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

मूल्यहास				निवल खण्ड	
01.04.2024 के अनुसार	"वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन	वर्ष के दौरान किए प्रावधान	31.03.2025 को कुल (7)+(8)+(9)	31.03.2025 को (6)-(10)	31.03.2024 के अनुसार (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
3,24,71,314	-	36,07,376	3,60,78,690	36,07,376	72,14,753
1,00,51,241	-	11,37,348	1,11,88,589	37,35,942	16,50,510
84,86,467	-	2,86,754	87,73,221	7,07,763	9,65,517
16,29,332	-	4,12,253	20,41,585	14,43,452	18,55,705
<b>7,23,60,346</b>	-	-	<b>7,23,60,346</b>	-	-
<b>14,80,09,04,364</b>	<b>(2,70,49,338)</b>	<b>2,74,38,52,577</b>	<b>17,51,77,07,602</b>	<b>70,73,74,23,086</b>	<b>54,04,44,64,065</b>
-	-	-	-	7,13,37,38,946	27,76,76,39,576
<b>14,80,09,04,364</b>	<b>(2,70,49,338)</b>	<b>2,74,38,52,577</b>	<b>17,51,77,07,602</b>	<b>77,87,11,62,031</b>	<b>81,81,21,03,641</b>

# तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

## अनुसूची - 3 निवेश

(राशि रुपयों में)

विवरण	पूँजीकृत आरक्षित निधि	विकास, ऋण की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय आरक्षित निधि	पूँजी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण की आरक्षित निधि	राजस्व आरक्षित निधि	सामान्य बीमा निधि	कल्याणकारी निधि	31/03/2025 को योग	31/03/2024 को योग
वर्तमान निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
डिबेंचर या बाँड	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल वर्तमान निवेश</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
लम्बी अवधि के निवेश / निर्दिष्ट निवेश								
भारतीय निकर्षण निगम में निवेश	2,57,40,43,948	-	-	-	-	-	2,57,40,43,948	-
भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
अनिर्दिष्ट निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
डिबेंचर या बाँड	12,06,48,405	-	-	-	-	-	12,06,48,405	-
मुंबई जनेप न्यास पतन सडक कं लिमिटेड में हिस्सेदारी	75,90,61,516	-	-	-	-	-	75,90,61,516	-
भारतीय रेल कारपोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी	15,30,00,000	-	-	-	-	-	15,30,00,000	-
वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी	9,62,48,10,000	-	-	-	-	-	9,62,48,10,000	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण का निवेश	97,85,65,875	-	-	-	-	-	97,85,65,875	-
नागपुर एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड में शेयर	3,88,22,78,859	-	-	-	-	-	3,88,22,78,859	-
<b>कुल लंबी अवधि के निवेश</b>	<b>18,09,24,08,603</b>	-	-	-	-	-	<b>18,09,24,08,603</b>	-
<b>कुल योग निवेश</b>	<b>18,09,24,08,603</b>	-	-	-	-	-	<b>18,09,24,08,603</b>	<b>5,96,78,01,208</b>



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

### अनुसूची - 4 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं</b>		
प्रारंभिक शेष	(5,15,28,03,348)	(4,33,08,61,637)
वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर प्रभार	4,12,37,04,062	(82,19,41,711)
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>(1,02,90,99,287)</b>	<b>(5,15,28,03,348)</b>
<b>43(ख) मदों पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां /</b>		
प्रारंभिक शेष समायोजन	-	5,16,85,042
आस्थगित कर देयता (निवल)	3,87,48,01,711	3,19,42,89,245
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>3,87,48,01,711</b>	<b>3,24,59,74,287</b>
<b>वर्ष के अंत में कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (देयता)</b>	<b>2,84,57,02,424</b>	<b>(1,90,68,29,062)</b>

नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयता के अभिकलन के लिए लिया गया।

## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 5 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>वर्तमान परिसम्पत्तियां</b>		
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज	3,96,41,45,310	1,95,02,81,895
वस्तु सूचियां	18,53,18,371	-
कम उपयोग होनेवाली / अप्रयुक्त मर्दों के लिए प्रावधान/	(8,96,78,837)	-
	9,56,39,534	9,90,14,953
<b>विविध देनदार</b>		
<b>सरकारी देयताएं</b>		
छः माह से कम पुराने	4,13,80,591	4,53,79,087
छः माह से अधिक पुराने	2,57,43,55,087	2,41,50,11,169
<b>गैर-सरकारी देयताएं</b>		
छः माह से कम पुराने	20,18,02,333	17,43,58,755
छः माह से अधिक पुराने	5,34,91,68,541	5,06,62,16,385
<b>कुल देयताएं</b>	<b>8,16,67,06,552</b>	<b>7,70,09,65,392</b>
जोड़ें : प्रोद्भूत आय	36,94,77,513	22,73,88,732
	8,53,61,84,065	7,92,83,54,128
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	14,24,97,913	10,29,50,790
<b>निवल विविध देनदार</b>	<b>8,39,36,86,152</b>	<b>7,82,54,03,338</b>



## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 5 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>रोकड़ एवं बैंक शेष</b>		
अग्रदाय रोकड़	5,38,500	5,51,000
अनुसूचित बैंकों के पास जमा शेष	(25,06,96,625)	74,32,78,573
राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा रसीदें	59,01,52,04,044	55,28,02,63,056
<b>कुल रोकड़ एवं बैंक शेष</b>	<b>58,76,50,45,919</b>	<b>56,02,40,92,629</b>
<b>ऋण एवं अग्रिम</b>		
ठेकेदारों को अग्रिम	7,00,87,51,955	3,52,24,38,898
कर्मचारियों को अग्रिम	3,14,05,029	1,51,07,459
सांविधिक जमा	70,47,34,33,625	62,13,30,26,744
विविध नामे शेष	2,98,29,62,677	2,69,68,90,046
अन्य प्राप्तियों	49,60,96,833	53,69,37,268
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड को ऋण	8,05,23,44,559	8,05,23,44,559
ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ऋण (डीसीएल)	1,64,78,80,713	64,08,08,137
<b>कुल ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>90,69,28,75,393</b>	<b>77,59,75,53,111</b>
<b>कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां</b>	<b>1,61,91,13,92,309</b>	<b>1,43,49,63,45,926</b>

## तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

### अनुसूची -6 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>वर्तमान देयताएं</b>		
<b>विविध लेनदार</b>		
पूंजीगत कार्यों हेतु लेनदार	2,27,21,99,262	4,90,16,00,439
कर्मचारियों को देय राशि	77,35,914	89,73,96,752
व्यापारी ठेकेदारों आदि की जमा राशियां	1,72,94,28,310	1,99,79,75,087
विविध लेनदार एवं जमा शेष	1,17,93,81,944	87,47,45,333
सेवानिवृत्ति लाभ लेनदार	97,35,95,998	97,51,72,124
अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय	4,93,29,22,711	5,08,16,23,155
<b>कुल विविध लेनदार</b>	<b>11,09,52,64,139</b>	<b>14,72,85,12,892</b>
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के लिए प्रावधान	50,68,56,880	55,91,80,160
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशियां	5,77,69,403	13,49,79,908
अग्रिम भुगतान एवं असमाप्त छूट	19,35,63,21,306	11,52,97,92,903
प्रोद्भूत व्यय	60,35,92,339	62,54,54,697
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋणों पर देय नहीं	-	(25,19,07,793)
<b>प्रावधान :</b>		
कराधान हेतु	62,74,58,64,754	56,13,57,67,038
<b>कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान</b>	<b>94,36,56,68,821</b>	<b>83,46,17,79,806</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ 2024-25

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>आय</b>		
<b>अनुसूची - 7</b>		
<b>बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार</b>		
बल्क कार्गो पर घाट भाड़ा	70,01,688	2,41,40,101
विविध बल्क आय	2,05,23,266	1,42,78,617
<b>बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय</b>	<b>2,75,24,955</b>	<b>3,84,18,718</b>
<b>अनुसूची - 8</b>		
<b>कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार</b>		
कंटेनर प्रहस्तन प्रभार	18,74,88,598	10,72,20,196
कंटेनर भंडारण प्रभार	-	(1,40,497)
कं. व. स्था. की रायल्टी से आय	8,11,40,445	8,91,75,362
अमानक कार्गो पर घाट भाड़ा	4,92,578	89,81,378
विविध कंटेनर आय	9,69,79,832	9,39,94,452
<b>कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय</b>	<b>36,61,01,454</b>	<b>29,92,30,890</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रूप्यों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>अनुसूची - 9</b>		
<b>पत्तन और गोदी प्रभार</b>		
<b>पत्तन को देय राशियाँ</b>		
पत्तन को देय राशियां - विदेशी कंटेनर जलयान	48,50,604	11,38,736
पत्तन को देय राशियां - ओएनजीसी के जलयान	43,40,905	48,70,528
पत्तन को देय राशियां - आपूर्ति जलयान	29,58,813	32,58,171
पत्तन को देय राशियां - तटवर्ती कंटेनर जलयान	-	11,875
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईसीटी जलयान	35,60,69,849	30,32,85,027
पत्तन को देय राशियां - बीपीसीएल जलयान	11,10,53,996	9,68,62,995
पत्तन को देय राशियां - उथला जल घाट	1,87,03,888	3,03,31,810
पत्तन को देयताएं - जीटीआईपीएल जलयान	45,79,16,149	29,63,44,055
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईजीटी	44,07,28,516	39,69,08,128
पत्तन को देय राशियां - बीएम्सीटीपीएल जलयान	69,36,43,344	59,84,61,348
पत्तन को देय राशियां - एनएसडीटीपीएल जलयान	53,31,437	40,84,524
पत्तन को देय राशियां - एनएसएफटीपीएल जलयान	19,11,18,223	19,13,59,741
<b>पत्तन बकाया से कुल आय</b>	<b>2,28,67,15,725</b>	<b>1,92,69,16,938</b>

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>आय</b>		
<b>पाइलटेज आय</b>		
पाइलटेज - विदेशी कंटेनर जलयान	96,25,557	23,93,138
पाइलटेज - ओएनजीसी जलयान	1,30,71,511	1,49,58,526
पाइलटेज - आपूर्ति जलयान	37,59,108	41,39,355
पाइलटेज - तटवर्ती कंटेनर जलयान	2,183	-
पाइलटेज - एनएसआईसीटी जलयान	73,13,92,032	62,26,10,426
पाइलटेज - बीपीसीएल जलयान	22,90,11,234	19,86,51,763
पाइलटेज - उथला जल घाट - ब.ट.	3,86,45,950	6,34,10,335
पाइलटेज - जीटीआईपीएल जलयान	87,28,45,905	57,44,35,202
पाइलटेज- एनएसआईजीटी जलयान	80,58,64,993	73,05,80,030
पाइलटेज- बीएम्सीटीपीएल जलयान	1,36,30,37,492	1,15,58,40,769
पाइलटेज- एनएसडीटीपीएल जलयान	1,18,57,080	90,82,358
पाइलटेज- एनएसएफटीपीएल जलयान	39,20,55,538	39,20,78,042
<b>पाइलटेज से कुल आय</b>	<b>4,47,11,68,584</b>	<b>3,76,81,79,944</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>आय</b>		
<b>घाट किराया</b>		
घाट किराया - विदेशी कंटेनर जलयान	75,65,091	71,73,355
घाट किराया - ओएनजीसी जलयान/आपूर्ति जलयान	2,64,506	3,34,148
घाट किराया - तटवर्ती कंटेनर जलयान	88,882	2,98,597
घाट किराया - एनएसआईसीटी जलयान	25,36,14,174	19,65,47,611
घाट किराया - बीपीसीएल जलयान	14,78,77,450	13,52,29,644
घाट किराया - उथला जल घाट	2,49,14,960	2,42,50,399
घाट किराया - जीटीआईपीएल जलयान	43,94,54,937	27,70,15,897
घाट किराया - एनएसएफटीपीएल जलयान	12,86,09,432	13,88,77,311
<b>घाट किराया से कुल आय</b>	<b>1,00,23,89,432</b>	<b>77,97,26,962</b>
<b>विविध आय - मरीन</b>	<b>4,75,09,015</b>	<b>4,33,92,336</b>
<b>पत्तन एवं गोदी प्रभार से कुल आय</b>	<b>7,80,77,82,756</b>	<b>6,51,82,16,181</b>
<b>आय</b>		
<b>अनुसूची - 10</b>		
<b>सम्पदा किराया</b>		
भूमि किराया	1,49,32,96,232	22,40,30,779
भवन किराया	4,03,69,301	4,08,49,801
नगरक्षेत्र से किराया	5,44,74,379	2,62,72,435
विद्युत प्रभारों की वसूली	2,64,73,628	5,84,00,538
जल प्रभारों की वसूली	6,15,77,033	5,65,72,773
वि. आ. क्षेत्र सम्पदा	24,87,16,040	17,24,81,919
विविध आय - संपदा	10,33,48,422	9,35,33,107
<b>सम्पदा किराये से कुल आय</b>	<b>2,02,82,55,034</b>	<b>67,21,41,351</b>

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>आय</b>		
<b>अनुसूची - 11</b>		
<b>बीओटी ठेकों से आय</b>		
एनएसआईसीटी से आय		
रायल्टी आय एनएसआईसीटी	5,81,71,69,670	5,13,53,47,350
अन्य प्रभार एनएसआईसीटी	14,17,95,631	14,37,53,933
<b>एनएसआईसीटी से कुल आय</b>	<b>5,95,89,65,301</b>	<b>5,27,91,01,283</b>
<b>बीपीसीएल से प्राप्त आय</b>		
रायल्टी आय बीपीसीएल	27,15,81,673	24,89,34,101
अन्य प्रभार बीपीसीएल	3,48,67,965	44,454
<b>बीपीसीएल से कुल आय</b>	<b>30,64,49,638</b>	<b>24,89,78,554</b>
<b>जीटीआईपीएल से प्राप्त आय</b>		
पट्टे के किराए जीटीआईपीएल	69,09,66,469	62,57,59,949
राजस्व शेयर जीटीआईपीएल	3,51,72,84,246	2,48,26,47,570
अन्य प्रभार जीटीआईपीएल	24,78,36,821	28,92,63,249
<b>जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से कुल आय</b>	<b>4,45,60,87,537</b>	<b>3,39,76,70,768</b>
<b>बीएमसीटी से प्राप्त आय</b>		
पट्टे के किराए बीएमसीटी	61,98,01,233	53,46,12,321
राजस्व शेयर बीएमसीटी	5,74,31,09,600	4,87,99,10,830
अन्य प्रभार बीएमसीटी	20,45,46,023	19,69,23,786
<b>बीएमसीटी से कुल आय</b>	<b>6,56,74,56,856</b>	<b>5,61,14,46,938</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>एनएसआईजीटी से आय</b>		
पट्टे के किराए एनएसआईजीटी	7,76,93,050	5,20,99,388
राजस्व शेयर एनएसआईजीटी	2,31,10,68,057	2,24,69,32,293
अन्य प्रभार एनएसआईजीटी	12,30,17,052	18,54,49,399
<b>एनएसआईजीटी से कुल आय</b>	<b>2,51,17,78,160</b>	<b>2,48,44,81,080</b>
<b>एनएसएफटीपीएल से आय</b>		
रॉयल्टी- एनएसएफटीपीएल	2,08,23,64,019	2,21,16,94,105
अन्य प्रभार एनएसएफटीपीएल	17,74,01,362	11,80,71,423
<b>एनएसएफटीपीएल से कुल आय</b>	<b>2,25,97,65,380</b>	<b>2,32,97,65,528</b>
<b>एनएसडीटीपीएल से आय</b>		
रॉयल्टी- एनएसडीटीपीएल	27,89,51,026	29,73,60,575
अन्य प्रभार एनएसडीटीपीएल	(54,87,785)	4,60,80,194
<b>एनएसडीटीपीएल से कुल आय</b>	<b>27,34,63,241</b>	<b>34,34,40,770</b>
<b>जेएसडब्ल्यू से आय</b>		
रॉयल्टी- जेएसडब्ल्यू	5,06,29,960	-
अन्य प्रभार जेएसडब्ल्यू	26,53,004	-
<b>जेएसडब्ल्यू से कुल आय</b>	<b>5,32,82,964</b>	-
<b>बीओटी ठेकों से प्राप्त कुल आय</b>	<b>22,38,72,49,077</b>	<b>19,69,48,84,921</b>

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची - 12</b>		
<b>बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय</b>		
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	4,36,13,186	2,83,80,223
मूल्यहास बल्क	-	3,82,83,152
<b>बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय</b>	<b>4,36,13,186</b>	<b>6,66,63,374</b>
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची -13</b>		
<b>कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय</b>		
के क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण	-	9,44,34,285
यार्ड क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण	-	9,54,73,434
ट्रैक्टर ट्रेलरों का प्रचालन और अनुरक्षण	-	49,95,725
अन्य कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों का किराया	2,42,75,990	5,61,35,699
सुविधा प्रबंधन	-	1,51,10,703
अन्य कंटेनर प्रहस्तन व्यय	39,59,19,590	(53,07,3,538)
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	4,33,55,707	84,08,50,626
मूल्यहास	79,88,010	50,03,71,209
<b>कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय</b>	<b>47,15,39,297</b>	<b>1,55,42,98,144</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची - 14</b>		
<b>पत्तन और गोदी व्यय</b>		
घाटायन और नौबंध	-	2,931
प्रदूषण नियंत्रण	30,47,609	4,14,555
पाइलटेज और नौकर्षण	1,29,30,15,736	1,17,09,57,312
निर्जल गोदी व्यय	6,28,564	14,37,436
नौवहन को जल आपूर्ति	39,53,802	67,38,566
अग्निशमन	18,71,91,472	12,96,34,369
पंकोत्सरण और समुद्री सर्वेक्षण	2,29,86,30,603	1,92,63,26,325
नौचालन सहायता का प्रचालन और अनुरक्षण	1,65,07,140	94,62,828
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	35,85,74,096	23,56,97,081
नए लघु कार्य		2,63,687
मूल्यहास - मरीन	1,37,71,58,543	25,67,95,233
<b>पत्तन और गोदी पर कुल व्यय</b>	<b>5,53,87,07,564</b>	<b>3,73,77,30,323</b>
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची -15</b>		
<b>रेल कार्य /</b>		
मूल्यहास - रेल	1,21,41,823	1,21,41,823
<b>रेल गतिविधियों पर कुल व्यय</b>	<b>1,21,41,823</b>	<b>1,21,41,823</b>

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची -16</b>		
<b>किराए योग्य भूमि एवं भवन</b>		
सम्पदा अनुरक्षण	36,69,43,024	45,22,12,261
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	39,08,110	23,07,660
नए लघु कार्य - सम्पदा	7,75,311	1,63,81,902
वि. आ. क्षेत्र व्यय	20,50,82,836	20,03,45,429
मूल्यहास - सम्पदा	34,50,26,923	33,89,31,503
<b>किराए योग्य भूमि एवं भवनों पर कुल व्यय</b>	<b>92,17,36,203</b>	<b>1,01,01,78,755</b>
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची -17</b>		
<b>बीओटी ठेकों पर व्यय</b>		
एनएसआईसीटी पर व्यय	8,04,05,543	9,64,96,772
बीपीसीएल पर व्यय	2,42,14,434	99,20,405
जीटीआईपीएल पर व्यय	15,67,36,665	17,24,70,091
एनएसआईजीटी पर व्यय	6,71,18,671	7,34,39,963
बीएमसीटीपीएल पर व्यय	14,76,29,494	11,74,97,948
एनएसएफटीपीएल पर व्यय	5,23,52,091	5,80,31,057
एनएसडीटीपीएल पर व्यय	3,61,16,577	3,83,56,121
जेएसडब्लू पर व्यय	33,31,824	-
मूल्यहास - बीओटी	82,92,36,267	35,20,08,763
<b>बीओटी ठेकों पर कुल व्यय</b>	<b>1,39,71,41,566</b>	<b>91,82,21,119</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची -18</b>		
<b>प्रबंधन और सामान्य प्रशासन</b>		
प्रबंधन और सचिवीय व्यय	88,99,64,916	74,48,84,495
लेखाकरण और लेखा परीक्षा	24,53,20,217	28,22,60,214
श्रम और कल्याण व्यय	36,72,32,260	20,01,28,862
चिकित्सा व्यय	32,87,26,003	33,74,77,270
भंडार देख-रेख	10,17,20,838	6,61,09,637
भवन एवं सड़कों पर व्यय	13,57,22,711	15,87,06,116
पत्तन प्रबंधन कम्प्यूटर केन्द्र	15,51,96,744	10,86,47,104
अभियांत्रिकी और कार्यशाला	44,86,80,813	25,28,59,669
मूल्यहास - प्रशासन	17,23,01,012	13,30,15,371
<b>प्रबंधन और सामान्य प्रशासन पर कुल व्यय</b>	<b>2,84,48,65,515</b>	<b>2,28,40,88,737</b>

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>आय</b>		
<b>अनुसूची - 19</b>		
<b>वित्त और विविध आय</b>		
निवेशों एवं ऋणों से ब्याज आय	4,94,04,10,999	4,13,56,54,090
कर्मचारी अग्रिम/देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज	26,328	33,01,654
बेकार माल की बिक्री	99,65,187	3,01,08,561
लाँच पास से आय	22,02,180	46,77,645
अतिथीगृह से आय	1,18,000	-
विदेशी मुद्रा में स्फीति - अपस्फीति से लाभ	-	2,64,607
विविध आय	1,68,97,18,203	9,49,63,275
<b>कुल वित्त और विविध आय</b>	<b>6,64,24,40,897</b>	<b>4,26,89,69,833</b>



## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>व्यय</b>		
<b>अनुसूची -20</b>		
<b>वित्त और विविध व्यय</b>		
सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण प्रति एकचुरियल मूल्यांकन के रूप में	2,58,37,890	18,18,11,307
<b>ऋणों पर ब्याज</b>		
कर मुक्त ईसीबी ऋण पर ब्याज	-	70,51,27,515
ओवेरड्राफ्ट पर ब्याज	1,35,372	-
<b>ऋणों पर कुल ब्याज</b>	<b>1,35,372</b>	<b>70,51,27,515</b>
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान	13,67,248	-
बैंक प्रभार (बंधपत्र निर्गम के व्यय सहित)	1,75,358	21,56,256
लाँचों को किराए पर लेने से हुआ व्यय	1,52,13,850	2,33,57,157
अतिथि गृह व्यय	5,42,23,947	4,52,12,649
विविध व्यय	1,48,10,21,550	25,24,18,616
<b>कुल वित्त और विविध व्यय</b>	<b>1,57,79,75,215</b>	<b>1,21,00,83,501</b>

## लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
<b>निवल आय</b>		
<b>अनुसूची - 21</b>		
निवल पूर्व अवधि प्रभार		
पूर्व अवधि आय	(89,10,000)	-
पूर्व अवधि व्यय	7,98,26,430	5,27,00,940
<b>निवल पूर्व अवधि प्रभार</b>	<b>7,09,16,430</b>	<b>5,27,00,940</b>
<b>निवल व्यय</b>		
<b>अनुसूची - 22</b>		
कराधान के लिए प्रावधान		
वर्तमान कर		
आय कर के लिए प्रावधान	6,61,00,97,716	6,01,23,21,754
<b>वर्तमान कर</b>	<b>6,61,00,97,716</b>	<b>6,01,23,21,754</b>
आस्थगित कर		
आस्थगित कर प्रभार	(4,75,25,31,486)	73,74,33,672
<b>आस्थगित कर</b>	<b>(4,75,25,31,486)</b>	<b>73,74,33,672</b>
<b>कराधान के लिए कुल प्रावधान</b>	<b>1,85,75,66,230</b>	<b>6,74,97,55,426</b>
<b>अनुसूची - 23</b>		
<b>असाधारण मदें</b>		
एसवीआरएस योजना के लिए अनुग्रह राशि और सुलह	3,99,69,43,702	43,17,49,880
<b>कुल असाधारण मदें</b>	<b>3,99,69,43,702</b>	<b>43,17,49,880</b>
नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता के अभिकलन के लिए लिया गया		



# नकदी आवागमन विवरण 2024-25

## नकदी आवागमन विवरण

(करोड़ रूपयों में)


विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
<b>क. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी आवागमन</b>		
कर पूर्व निवल अधिशेष	2,638.07	2,064.58
<b>के लिए समायोजन</b>		
पूर्व अवधि सहित मूल्यहास	274.39	163.15
शेडों का ऋण परिशोधन	2.13	2.13
परिसम्पत्तियों की विक्री पर लाभ/हानि	0.23	0.21
ब्याज/लाभांश आय	(494.04)	(413.57)
ब्याज व्यय	0.01	70.51
आयकर का भुगतान किया गया	561.76	(354.34)
सीएसआर फंड से किया गया भुगतान	(15.50)	(1.43)
असाधारण मद	(399.69)	(43.17)
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ</b>	<b>2,567.35</b>	<b>1,488.07</b>
<b>कार्यशील पूंजी समायोजन</b>		
<b>विविध देनदार</b>	<b>(56.83)</b>	<b>51.71</b>
वस्तुसूचियाँ	0.34	10.98
सीएसआर	5.23	(12.03)
अग्रिम/नामे शेष	(1,871.27)	(336.87)
लेनदार और देय	404.19	356.23
<b>कुल कार्यशील पूंजी समायोजन</b>	<b>(1,518.34)</b>	<b>70.02</b>
<b>प्रचालनीय गतिविधियों से निवल नकदी आवागमन - क</b>	<b>1,049.01</b>	<b>1,558.09</b>



## नकदी आवागमन विवरण

(करोड़ रूपयों में)

	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ख.	<b>निवेशीय गतिविधियों से नकदी आवागमन</b>		
	नियत परिसम्पत्तियों (निवल) की खरीद/बिक्री/आंतरिक संसाधन	119.71	(650.20)
	एमजेपीआरसीएल द्वारा ऋण चुकौती	-	2,300.00
	प्राप्त ब्याज/लाभांश	292.65	391.61
	निवेशों में परिवर्तन	(1,212.46)	89.08
	<b>निवेशीय गतिविधियों से कुल नकदी आवागमन - ख</b>	<b>(800.10)</b>	<b>2,130.48</b>
ग.	<b>वित्तीय गतिविधियों से नकदी आवागमन</b>		
	ऋणों का पुनर्भुगतान	0.00	(1,703.38)
	ऋणों पर ब्याज	25.18	(135.12)
	<b>"वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी का आवागमन - ग</b>	<b>25.18</b>	<b>(1,838.50)</b>
घ.	<b>कैश एवं बैंक शेष (क+ख+ग) में वृद्धि/(कमी)</b>	<b>274.09</b>	<b>1,850.08</b>
	सावधि जमा रसीद सहित कैश एवं बैंक का आरंभिक शेष	5,602.41	3,752.33
	सावधि जमा रसीद सहित कैश एवं बैंक का अंत शेष	5,876.50	5,602.41
	<b>वृद्धि/(कमी)</b>	<b>274.10</b>	<b>1,850.08</b>





# महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2024-25

## अनुसूची - 24

### महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

#### 1. राजस्व मान्यता :

**पत्तन की आय के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :**

- क) जलयान संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से पाइलटेज, पत्तन देय और घाट किराया प्रभार शामिल हैं,
  - ख) कार्गो संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर और बल्क दोनों के लिए प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क शामिल हैं,
  - ग) कंटेनर और बल्क दोनों प्रकार के कार्गो पर विराम समय प्रभार,
  - घ) भूमि और इमारतों के लिए सम्पदा संबंधी प्रभार, यथा - किराया, जल, विद्युत और विशेष आर्थिक क्षेत्र से आय।
  - च) बी.ओ.टी. परियोजनाओं / कंटेनर वहन स्थानकों एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय से प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व,
  - छ) निवेशों पर ब्याज/लाभांश आय,
  - ज) बी ओ टी प्रचालकों को दी गई सेवाएँ,
  - झ) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) संबंधी आय।
- i) उपर्युक्त (क) एवं (ख) में बताए गए जलयान संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों को सेवा पूरी तरह देने के बाद तत्काल स्वीकार किया जाता है। जलयान और संबंधित कार्गो के मामले में, यदि लेखाकरण अवधि के लिए अंत तक सेवा पूरी नहीं होती है तो राजस्व को अगली लेखाकरण अवधि में स्वीकार किया जाता है। यह लेखाकरण मानक-9 (राजस्व मान्यता) के अंतर्गत पूर्ण अनुबंध विधि के अनुसार है। बिंदु (ग) में दर्शाई गई विराम समय आय को कार्गो के पत्तन परिसर में रहने की अवधि में से निःशुल्क अवधि कम करके ही लेखों में शामिल किया जाता है।
- ii) सम्पदा संबंधी प्रभारों के मामले में किराए प्रति माह या उसके अंश में देय होते हैं। इसलिए, किराए की आय महीने के आरंभ में ही लेखों में शामिल कर ली जाती है। जल प्रभारों के मामले में, जहाँ प्रभार निश्चित हैं, वहाँ महीने के आरंभ में और जहाँ मीटर रीडिंग के आधार पर खपत का निर्धारण किया जाता है, वहाँ राजस्व को आने वाले महीने की बिलिंग में लिया जाता है। विद्युत प्रभारों के मामले में, आय बिलिंग के आधार पर अर्थात्, अगले महीने लेखे में ली जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की आय को पत्तन और पट्टा धारक के बीच पट्टा करार होने के बाद स्वीकार किया जाता है।



सभी अग्रिम पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान समान रूप से लेखे में लिया जाता है।

- iii) बंधपत्र, सावधि जमा के ब्याज को उपार्जन आधार पर लेखों में शामिल जाता है।
- iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आय को पत्तन और पट्टेदार के बीच पट्टा समझौते के निष्पादन के बाद लेखों में लिया जाता है। हालाँकि, लेखांकन उद्देश्य के लिए, पत्तन पट्टे की अवधि के दौरान अस्थगित आधार पर एसईजेड आय को स्वीकार कर रहा है और पूरे वर्ष की आय को पट्टे के पहले वर्ष के लेखों में लिया जा रहा है, भले ही लीज समझौता किसी भी महीने में किया गया हो।

## v) न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मई, 2012 में जनेप प्राधिकरण के विरुद्ध सामान्य विषयों के मामले में एलसीबीयूए के पक्ष में निर्णय दिया। पत्तन ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है, और मामला मा. उच्च न्यायालय में लंबित है। मार्च, 2009 में तैयार बीजक में न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के लिए लगाए गए हर्जाने पर आपत्ति की गई है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि टैंक फार्म प्रचालकों के न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के संबंध में घाटायन संबंधी बीजक न उगाहे जाएँ। किंतु न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और उसे लेखों पर टिप्पणियों के माध्यम से वार्षिक लेखों में जाहिर किया गया है।

जनेप प्राधिकरण ने मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से बिलों की उगाही आरंभ कर दी है।

"जेएनपीए बोर्ड की मंजूरी से टैंक फार्म ऑपरेटरों का मामला जेएनपीए के कानूनी विशेषज्ञ की राय और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के 10.06.2019 के निर्देशों के अनुसार, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आईपीए की सुलह और निपटान समिति को भेजा गया था। यदि टैंक फार्म ऑपरेटरों और जेएनपीए के बीच न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय (एमजीटी) के संबंध में मामला सीएससी के माध्यम से सुलझा लिया जाता है, तो जेएनपीए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से मामला वापस ले लेगा :

- vi) संरक्षी और सावधान रहने की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों के अग्रिमों और उन पर ब्याज सहित सभी प्रकार की आय को नकद रूप से लेखे में लिया जाता है।

## 2. नियत परिसम्पत्तियाँ

- क) नियत परिसम्पत्तियों को उनके ऐतिहासिक मूल्य पर वास्तविक लागत, जिसमें निर्माण लागत, आयात कर सहित क्रय मूल्य, अन्य कर और परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए चालू हालत में लाने की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी है, के आधार पर बहियों में दर्ज किया जाता है।
- ख) प्रशासन और अन्य सामान्य उपरिव्यय जब तक परियोजना/परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट रूप से आरोप्य और सीधे सम्बंधित न हों, तब तक नियत परिसम्पत्तियों की लागत से अलग रखे जाते हैं।
- ग) नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ/(हानि) को वित्त वर्ष 2022-23 से पूंजी आरक्षित में अंतरित किया जाता है।
- घ) परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहे विभाग की ओर से कार्य समापन प्रमाणपत्र प्राप्त होने या परिसंपत्ति को खरीदने पर ही किया जाता है।

## 3. मूल्यहास

नियत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास सरकार द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/मार्गदर्शी निर्देशों में दी गई परिसम्पत्तियोंकी आर्थिक आयु के आधार पर सीधे सीधे लगाया जाता है।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्यहास निम्नलिखित रूप से किया जाता है :-

### उपयोग में लाई गई परिसम्पत्तियाँ

- |    |                                  |   |                      |
|----|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. | 30 दिनों तक                      | : | शून्य                |
| 2. | 30 दिनों से अधिक पर 180 दिनों तक | : | आधा (50%)            |
| 3. | 180 दिनों से अधिक                | : | पूरा मूल्यहास (100%) |

## 4. निवेश

पत्तन के निवेश मुख्यतः निम्नलिखित हैं :-

- क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्र/अन्य बंधपत्र,
- ख) विशेष उद्देश्य कम्पनी में इक्विटी/अधीनस्थ ऋण,



- ग) बैंकों में सावधि जमा,
- घ) ओवरनाइट फंड सहित म्यूचुअल फंड

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्रों में निवेश समान मूल्य पर किया गया है जो सामान्यतः दीर्घ अवधि निवेश हैं और परिपक्व होने पर मूल्य के समकक्ष भुनाया जाता है। इसलिए, उनका मूल्यांकन लागत के समकक्ष (मूल्य समकक्ष) पर किया जाता है।

## 5. सेवा निवृत्ति लाभ

- क) कर्मचारियों को पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के देय लाभों का प्रावधान तीन वर्ष में एक बार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित रूप से किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्टों में निधि का सृजन किया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति निधि और उपदान निधि हेतु अंशदान किया जाता है और उनका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान भी 31 मार्च, 2004 से किया गया है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित छुट्टी नकदीकरण निधि में उसके लिए वार्षिक योगदान किया जाता है।
- ख) किया जाने वाला वार्षिक योगदान उस वित्तीय वर्ष में संवितरित राशि से कम नहीं होना चाहिए।
- ग) सभी तीनों अधिवर्षिता निधियों की देयता का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन, प्रत्येक निधि में से किए गए निवेश की राशि तथा यदि कोई कमी हो तो उसे पत्तन के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
- घ) अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- च) सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि के लिए वसूली गई राशियों को इसके लिए बनाए गए भविष्य निधि न्यास में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

## 6. निवेश पर ब्याज

वर्ष 2002-03 तक, निवेश पर अर्जित ब्याज को राजस्व खाते में जमा किया जाता था। लेकिन लेखा परीक्षा के आग्रह एवं बिलिमोरिया रिपोर्ट की आवश्यकताओं के अनुसार, निम्नलिखित आरक्षित निधियों के निवेशों पर अर्जित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2003-04 से सीधे आरक्षित निधियों में जमा किया गया :

क) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास, और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि।

ख) विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि।

यह लेखाकरण नीतियों में एक बदलाव था एवं इसका प्रभाव वर्ष 2003-04 के लेखों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट हुआ।

पत्तन बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा निर्धारित पद्धति से सहमत नहीं था, इसलिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की सलाह ली गई। विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति ने कहा कि पत्तन द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति सही थी। इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से पत्तन निधियों के ब्याज को राजस्व लेखों में जमा कर रहा है एवं पूर्व पद्धति के अनुसार लाभ-रेखा से नीचे विनियोग कर रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 से कर्मचारी निधि निवेश पर ब्याज की आय को कर्मचारी कल्याण निधि में अंतरित किया गया है।

## 7. वस्तुसूचियाँ

वस्तुसूचियों में मुख्यतया अनुरक्षण पुर्जे, औजार और उपभोग्य वस्तुएं हैं और उनका मूल्य चल औसत पद्धति से नियत होता है। कुल वस्तुसूची में उप-भंडार की वस्तुसूचियाँ भी शामिल हैं।

## 8. कम खपत वाली वस्तुसूची के लिए प्रावधान

बिलिमोरिया रिपोर्ट में सुझाई गई लेखांकन नीति, जो सभी महा पत्तनों के लिए लेखांकन नीति के सामान्य प्रारूप का हिस्सा है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है :

1. 2 वर्ष से कम वाले पुर्जों की वस्तुसूची पर लागत पर विचार किया जाएगा।
2. 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम वाली वस्तुसूची के लिए लागत के 25% मूल्यहास।
3. 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम वाली वस्तुसूची के लिए लागत के 50% मूल्यहास।
4. 6 वर्ष से अधिक वाली वस्तुसूची के लिए लागत के 90% मूल्यहास।



5. 6 वर्षों के बाद शेष वस्तुसूची को अवशिष्ट मूल्य पर आगे बढ़ाया जाएगा, उपयोग के समय चार्ज ऑफ किया जाएगा या विशिष्ट अनुमोदनों द्वारा बट्टे खाते में डाला जाएगा।

## 9. उधार लागत

उधार लागत जो सीधे ही परिसम्पत्तियों के अर्जन और संरचना के लिए होती है, परिसम्पत्ति के आरंभ होने की तिथि को पूंजीकृत की जाती है। पूंजीकरण के बाद ऋणों पर ब्याज उपार्जित आधार पर राजस्व में प्रभारित होता है।

## 10. विदेशी मुद्रा का लेन - देन

- i) कलपुर्जों और बड़े उपस्करों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है।
- ii) पत्तन को जलयान संबंधी प्रभारों एवं कंटेनरों के विराम समय प्रभारों के रूप में कुछ आमदनियाँ होती हैं, जिनकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है लेकिन उसे जलयान के पत्तन में प्रवेश की तिथि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर रुपयों में प्राप्त किया जाता है। निर्यात कंटेनरों के लिए विनिमय दर, पत्तन क्षेत्र में कंटेनरों के आगमन की तिथि के मौजूदा दर के अनुसार होती है।

## 11. पत्तन परिसंपत्तियों का बीमा

पत्तन की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए पत्तन सभी खतरों से निपटने के लिए इन परिसंपत्तियों का वर्ष 2006 से इनका बीमा करवा रहा है जिसमें मानव नियंत्रण से परे प्रकृति के सभी संकट शामिल हैं जैसे तूफान, चक्रवात, भूकंप, सूनामी, बाढ़, सैलाब, साथ ही, आग, आतंकवाद, बीमा देयताएँ और हल (पेटा या जहाज का ढाँचा) आदि। बीमे में बीमाकृत जोखिम, चैनल अवरोध आदि के कारण पत्तन की व्यापारिक व्यवधान हानि शामिल हैं। यह मंत्रालय और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त निदेशों के अनुरूप है।

तदनुसार, पत्तन ने उचित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ व्यापक पत्तन पैकेज नीति के नवीकरण को अंतिम रूप दिया, जिसकी अवधि 01.04.2025 से 31.03.2026 तक होगी।

## 12. आय पर करों का लेखाकरण (लेखाकरण मानक - 22)

पत्तन ने वित्तीय विवरण में लेखाकरण मानक-22 को अपनाया है जो कि अब अनिवार्य हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में आस्थगित कराधान को सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, समय में अन्तर - मुख्य रूप से मूल्यहास एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लेखे पर अग्रिम रूप से प्राप्त आय के परिणामस्वरूप होने वाली अस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, प्रभारों एवं क्रेडिटों को लेखों में मान्यता दी गई है।

## 13. विवादित आय के संबंध में लेखाकरण नीतियों में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी परिवर्तन

मंडल की 29 मार्च, 2011 को हुई 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का संदर्भ लें, जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया है :

'नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से निपटने तथा वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण को पेश करने, 'कमी एवं व्यवसाय पर अर्थदण्ड' से जनेप न्यास को होने वाली आय के लिए लेखाकरण की नीति में परिवर्तन को अनुमोदन देने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9 की आवश्यकताओं तथा पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में संकल्प किया जाता है कि 'बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज' तथा 'जनेप प्राधिकरण की अन्य किसी प्रकार की आय' जो संबंधित पत्तन उपभोक्ताओं द्वारा विवादित है, ऐसी विवादित आय को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाएगी जिस वर्ष अंतिम वसूली की संभावना विवेकपूर्ण होगी।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी होगा।"

उपर्युक्त के अनुपालन में, वर्ष 2024-25 की न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय की आय को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है।

## 14. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

पत्तनों की गतिविधियों से समाज और पर्यावरण पर होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए पोत-परिवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 जून, 2023 के परिपत्र सं. पीडी-12019/1/2020-पीडी.VI (IV) द्वारा सभी पत्तनों को निर्देश दिया कि यदि पिछले वित्तीय वर्ष का निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो



तो वे निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए 0.5% से 2.0% तक की राशि उपलब्ध करवाएँ। मण्डल के संकल्प संख्या 89 / 15.01.2016 के अनुसार पोत-परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व निधि (सीएसआर फंड) का सृजन करने का संकल्प किया गया।

वर्ष 2025-26 के लिए, कर पश्चात लाभ के 0.5% की दर से निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का सृजन किया गया है, जो 10.26 करोड़ रुपये तक होगा।

## 15. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

पत्तन ने तीन साल से अधिक पुराने देनदारों (सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, देनदारों, बीओटी/पीपीपी प्रचालक और देनदार जो कानूनी विवाद/न्यायाधीन हैं, को छोड़कर) के 10% अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधान किया है।

- (i) तीन साल से अधिक पुराने देनदारों (सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, बीओटी/पीपीपी प्रचालक और देनदार जो कानूनी विवाद/न्यायाधीन हैं, को छोड़कर) के 10% अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधान किया गया है।
- (ii) तीन वर्ष से अधिक पुराने ऋणों पर फर्म के अनुसार विश्लेषण और समीक्षा की जानी है और जहाँ भी आवश्यक समझा जाएगा, वहाँ देय बकाया के 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।
- (iii) ऐसे देनदार जिनके लिए पिछले वर्ष में प्रावधान किया गया था पर उनका बकाया आगे के वर्षों में वसूल नहीं किया जा सका, उनके लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।

## 16. लेखाकरण नीतियाँ और वार्षिक विवरणों का प्रारूप :

केंद्र सरकार ने 3 नवम्बर, 2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 लागू किया है। सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण (वित्त एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2021 भी अधिसूचित किया है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44(1) के अनुसार, मंडल भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगा। भारतीय पत्तन संघ की दि. 31 जनवरी, 2023 को हुई 195वीं सर्वसाधारण बैठक के अनुसार महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और महापत्तन प्राधिकरण (लेखा एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2021 के अधीन महापत्तनों के लिए वार्षिक लेखों के

साझा फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), लेखाकरण अनुसंधान फाउन्डेशन को नियोजित करने की वित्त एवं निवेश पर विभागीय स्थायी समिति की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है और तदनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) को 17 फरवरी, 2023 को कार्य आदेश जारी किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ उक्त विषय पर विचार विमर्श के लिए पहली प्रारम्भिक बैठक दि. 13 अप्रैल, 2023 को और दूसरी बैठक दि. 14 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

चूँकि, उक्त प्रारूप अभी प्रतीक्षित है इसलिए पत्तन ने वर्तमान लेखाकरण नीतियों का पालन किया है और 3 नवम्बर, 2021 से पहले लागू वार्षिक विवरण के प्रारूप में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया है।



लेखों पर टिप्पणियाँ  
2024-25

## अनुसूची - 25

### 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

#### I. पत्तनों का आधुनिकीकरण:-

##### 1) पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास:-

'मेक इन इंडिया' अभियान को सफल बनाने के लिए, ज.ने. पत्तन ने कुल 277.38 हेक्टेयर क्षेत्र में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकसित करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। 476 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढाँचा विकसित करने की अभियांत्रिकी, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) आधारित संविदा 6 अक्टूबर 2016 को सौंपी गई और कार्य जून 2021 में पूरा हो गया।

जेएनपीए ने हमारे लाइसेंस क्षेत्र में स्थित उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 220/33 के वी मुख्य रिसीविंग सबस्टेशन, डाउनस्ट्रीम भूमिगत केबल नेटवर्क और 33/11 के वी वितरण सबस्टेशन सहित एक मजबूत विद्युत वितरण प्रणाली विकसित की है। वर्तमान स्थिति: जेएनपीए एसईजेड निवेशकों को 60 साल के पट्टे पर भूमि आवंटित कर रहा है। यह आवंटन पारदर्शी ई-निविदा-सह-ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। जेएनपीए एसईजेड की 277 हेक्टेयर भूमि में से 162 हेक्टेयर (400 एकड़) भूमि 60 वर्षों के पट्टे पर आवंटित की जाएगी। कुल 54 निवेशकों को जेएनपीए एसईजेड में लगभग 125 हेक्टेयर (308 एकड़) भूमि आवंटित की गई है, जिसमें एफटीडब्ल्यूजेड के लिए मेसर्स न्हावा शेवा बिजनेस पार्क (एनएसबीपीएल) के लिए 85 एकड़ भूमि शामिल है। जेएनपीए एसईजेड की 11 इकाइयों ने अपनी जेएनपीए एसईजेड इकाई से अपना पहला बीजक (इनवॉइस) तैयार कर लिया है और उन्हें प्रचालन-इकाई घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार, जेएनपीए एसईजेड अब भारत का पहला पत्तन आधारित प्रचालनीय बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) है। अन्य 7 इकाइयों ने अपनी निर्माण-गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं और जल्द ही अपना प्रचालन शुरू करने की योजना बना रही हैं। मेसर्स एनएसबीपीएल ने उन्हें आवंटित भूखंड पर अपनी एफटीडब्ल्यूजेड इकाई का आंशिक रूप से प्रचालन शुरू कर दिया है। जेएनपीए-एसईजेड ने आपूर्ति क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारी के रूप में अगस्त, 2021 में अपना प्रचालन शुरू किया। आज की तारीख तक, 36 उपभोक्ता (जेएनपी एसईजेड की ग्यारह उपयोगी सेवाओं सहित) इससे जुड़े हुए हैं, जिन्हें विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई है और उनकी ऊर्जा बिलिंग, वितरण-लाइसेंसधारी द्वारा की जाती है।



क्र. सं.	विवरण	अभ्युक्ति
01	यूनिट धारकों की संख्या	54 (36 के साथ करार हुआ और शेष के साथ प्रक्रिया चालू है )
02	प्राप्त कुल अग्रिम भुगतान	रु. 12,77,73,42,082.00
03	प्राप्त करने योग्य अग्रिम भुगतान शेष	रु. 3,99,06,52,991.85
04	विशेष आर्थिक क्षेत्र अचल परिसंपत्तियाँ	रु. 6,23,53,32,620.00
05	विशेष आर्थिक क्षेत्र जारी पूंजीगत कार्य	रु. 26,78,92,485.71
06	अग्रिम में प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र अग्रिम शुल्क	रु. 8,43,07,62,597.35

## 2) वाढ़वण पत्तन का विकास :-

भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, ज.ने.पत्तन ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाढ़वण में एक पत्तन विकसित करने की योजना बनाई है। इसका विकास जेएनपीए और महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड (एमएमबी) द्वारा क्रमशः 74% और 26% हिस्सेदारी के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में, भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी के लिए अनुमोदित निर्देश-निबंधनों के अनुपालन हेतु क्षेत्र-अध्ययन/सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और विस्तृत अभियांत्रिकी का काम पूरा हो चुका है। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी 08-07-2024 को अनुमोदन प्राप्त हो गया। जेएनपीए ने 31 मार्च 2025 तक वाढ़वण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड पर कुल 117.26 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसकी प्रतिपूर्ति मेसर्स वाढ़वण पत्तन परियोजना लिमिटेड से 10% बढ़ाए हुए मूल्य (मार्क अप) के साथ की जा रही है।

## 3) पूंजी निकर्षण :

पत्तन ने 31 मार्च, 2025 तक पूंजी निकर्षण पर रु. 1711.46 करोड़ का व्यय किया था जिसे चालू पूंजीगत कार्य के तहत प्रतिधारित किया गया और 2024- 25 में पूंजीकृत किया गया है।

#### 4) मुंबई के मालेत बंदर में जेएनपीए और वीपीपीएल का प्रस्तावित प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट भवन।

##### प्राक्कलित लागत: ₹900 (करोड़ में) (अनुमानित)

जेएनपीए इस भूखंड पर 20 से अधिक मंजिलों वाली एक 'प्रतिष्ठित ऊँची इमारत' विकसित कर रहा है, जो दक्षिण मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एक ऐतिहासिक इमारत होगी। यह स्थल, ईस्टर्न फ्रीवे के आरंभ बिंदु के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है। सड़क, रेल, वायु और जलमार्गों द्वारा इसकी उत्कृष्ट संपर्क-सुविधा (कनेक्टिविटी) है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) से 30 वर्षों के लिए 12,804 वर्ग मीटर का भूखंड पट्टे पर लिया गया है। जेएनपीए ने प्रस्तावित निर्माण के लिए परामर्श (विस्तृत डिज़ाइन इंजीनियरिंग और पीएमसी) सेवाएँ लेने हेतु मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ चर्चा शुरू कर दी है। भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक डिजिटल वेधशाला और एक दर्शक दीर्घा होगी, और भूतल पर लगभग 200 लोगों के बैठने की सुविधा वाला एक अत्याधुनिक सभागार होगा। ऊपरी मंजिलों पर जेएनपीए और वीपीपीएल का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा। अन्य मंजिलें पत्तन से जुड़ी एजेंसियों जैसे डीजी शिपिंग आदि को पट्टे पर दी जाएँगी। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों को भी दी जा सकेंगी। भवन को पूरी तरह से उच्चतम स्तर वाली हरित इमारत के रूप में विकसित किया जाएगा। सितंबर, 2027 तक निर्माण- कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

#### 5) शुष्क पत्तन (ड्राय पोर्ट)

##### क) वर्धा में शुष्क पत्तन :

जेएनपीए और एनएचएलएमएल के बीच 22/10/2021 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, परिभारिकी (लॉजिस्टिक्स) की दक्षता में सुधार करने और माल के संचलन सम्बंधी परिभारिकी लागत को कम करने के लिए नागपुर के पास सिंदी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) स्थापित करने हेतु एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) का गठन किया गया है।

समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 4.1. सी के अनुसार, जेएनपीटी द्वारा चारदीवारी के विकास, रेल संपर्क के विकास (रेल संपर्क के लिए आवश्यक भूमि की लागत सहित) और कुल लगभग 126.83 करोड़ रुपये की राशि के अन्य परामर्श-प्रभार के संबंध में वहन की गई लागत एसपीवी में जेएनपीटी के इक्विटी योगदान का हिस्सा होगी। जेएनपीए ने अब तक इस परियोजना में 137.76 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी केवल 1500 करोड़ रुपये है, जो 10 रुपये प्रत्येक के 150 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है। जेएनपीए और एनएचएलएमएल द्वारा योगदान के आधार पर, शेयरधारिता का प्रतिशत 61.61% (एनएचएलएमएल) और 38.39% (जेएनपीए) बनता है। तदनुसार, जेएनपीए को धारा 4 (1 ई) के



अनुसार एसपीवी के 35,81,30,797 शेयरों में से 13,75,03,703 इक्विटी शेयर पूंजी आबंटित की गई है। योगदान के आधार पर शेयरधारिता के प्रतिशत में कोई भी परिवर्तन एक शेयरधारक से दूसरे शेयरधारक को शेयर हस्तांतरित करके लागू किया जा सकता है।

## ख. शुष्क पत्तन जालना:-

जेएनपीए और एनएचएलएमएल के बीच दिनांक 21/09/2022 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, नागपुर के निकट जवासगांव और दरेगांव में एमएमएलपी स्थापित करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया है ताकि माल ढुलाई की रसद दक्षता में सुधार और रसद लागत को कम किया जा सके। समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 4.1. सी के अनुसार, जेएनपीटी द्वारा चारदीवारी के विकास, रेल संपर्क के विकास (रेल संपर्क के लिए आवश्यक भूमि की लागत सहित) और कुल लगभग 247.45 करोड़ रुपये (223.55 + 23.90 भावी निवेश) की राशि के अन्य परामर्श-प्रभार के संबंध में वहन की गई लागत एसपीवी में जेएनपीटी के इक्विटी योगदान का हिस्सा होगी। जेएनपीए ने अब तक इस परियोजना में 250.70 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इस पृष्ठभूमि में, जेएनपीए ने जालना परियोजना पर होने वाली लागत के प्रमाणीकरण के लिए सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) की एक फर्म नियुक्त की है, जिसके आधार पर एसपीवी से जेएनपीए को शेयर जारी करने के लिए अपनी ओर से प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा।

## II. भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड में 18 प्रतिशत प्रदत्त (पेड अप) इक्विटी शेयर पूंजी

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने "भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश" विषय पर दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड में भारत सरकार के 100% शेयरों का चार महापत्तनों के व्यापारिक-संघ यथा-विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण (संघ प्रमुख), पारादीप पत्तन प्राधिकरण, जनेप प्राधिकरण और कांडला पत्तन न्यास (अब दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण) के पक्ष में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

तदनुसार, जनेप प्राधिकरण ने भारत सरकार से रु. 510/- प्रति शेयर की दर से भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड के 18 प्रतिशत (50,40,101 शेयर) प्रदत्त (पेड अप) इक्विटी शेयर प्राप्त कर लिए हैं। जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष को भारतीय निकर्षण निगम के मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड में निवेश का बाजार मूल्य दिनांक 31.03.2025 को केवल 2,74,30,74,969.25 रुपये है।

### III. आयकर संबंधी मामले

वर्ष के दौरान, निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के अंदर फाइल कर दी गई है।

विभिन्न वर्षों के लिए आयकर निर्धारण की स्थिति संक्षिप्त रूप से नीचे दी गई है :

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06	<p>माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने दिनांक 30/09/2010 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप कर में छूट की पात्रता का गुणों के आधार पर परीक्षण करने का निदेश दिया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय आयकर अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेशों पर ध्यान न देते हुए नए सिरे से निर्धारण किया। जनेप प्राधिकरण ने उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की थी। मामले के जल्दी निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के पास जल्द सुनवाई याचिका भी दायर की गई थी।</p> <p>उसके बाद मामले को, विशेष रूप से पिछले निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित कर दिया गया। आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 21.12.2015 को धारा 12एए के तहत पंजीकरण के परिणाम स्वरूप पत्तन को धारा 11 के तहत कर में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया। आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों, जिनके कारण पत्तन को काफी राशि वापिस मिल सकती थी; को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल के पास इस मामले के संबंध में नियमित अनुसरण किया गया था।</p> <p>लेकिन विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने पत्तन का मामला अचानक ही विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित कर दिया और पत्तन को इस स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया। इससे व्यथित होकर पत्तन ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जो 06/05/2016 को पहली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई। मामले पर सुनवाई हुई तथा इसे 15/6/2016 तक स्थगित कर दिया गया।</p> <p>इस मामले में बाद में सुनवाईयां हुई तथा आयकर विभाग द्वारा यह दावा करते हुए शपथ पत्र दायर किया गया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुणे में आयकर आयुक्त (छूट) का नया कार्यालय खोले जाने के कारण मामले का स्थानांतरण किया गया था। वे इस बात के लिए भी सहमत थे कि रिट याचिका पर निर्णय होने के तुरंत बाद आयकर आयुक्त, (अपील) औरंगाबाद के आदेश को प्रभावी किया जाएगा। तदनुसार, पत्तन ने</p>



निर्धारण वर्ष	विवरण
<p><b>निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06</b></p>	<p>अपनी रिट याचिका वापस ले ली। आयकर आयुक्त (छूट), पुणे ने आदेश पारित किया तथा जनेप प्राधिकरण को अक्टूबर, 2016 में रु. 313.40 करोड़ राशि वापस कर दी।</p> <p>कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी इसलिए आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास इस मामले में फिर से अपील दायर की गई है। साथ ही, आयकर विभाग ने जनेप प्राधिकरण को धारा 11 के तहत दी गई छूट के विरुद्ध आयकर अपील प्राधिकरण, पुणे के पास अपील दायर की है।</p>
<p><b>निर्धारण वर्ष 2006-07 से निर्धारण वर्ष 2007-08</b></p>	<p>माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप प्राधिकरण की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया।</p> <p>आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की।</p> <p>मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने दि. 08/06/2015 के आदेश द्वारा आयकर विभाग की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। बाद में आयकर विभाग ने दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। निर्धारण वर्ष 2006-07 का मामला मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 05 सितम्बर, 2018 को खारिज कर दिया गया और निर्धारण वर्ष 2007-08 का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी, 2018 को खारिज कर दिया गया।</p>
<p><b>निर्धारण वर्ष 2008-09</b></p>	<p>माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप प्राधिकरण की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया।</p> <p>आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दि.24.10.2016 के आदेश द्वारा इस मामले को हमारे पक्ष में खारिज कर दिया और अब यह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।</p> <p>इसी बीच, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने मामले को पुनः शुरू कर दिया। विभागीय आयकर आयुक्त ने इसके लिए दि. 15/03/2016 को आदेश जारी किया जिस पर पत्तन ने किए गए परिवर्धनों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की है।</p>

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2009-10	जनेप प्राधिकरण ने उपर्युक्त निर्धारण वर्ष में किए गए परिवर्धनों के लिए आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील दायर की है। पत्तन उक्त निर्धारण वर्ष के लिए अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का प्रयास भी कर रहा है।
निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा निर्धारण वर्ष 2011-12	जनेप प्राधिकरण ने उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की। उक्त निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए मामले को आयकर आयुक्त(अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित किया गया था। आयकर आयुक्त(अपील) द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त, पनवेल की ओर से किए गए परिवर्धनों की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किए गए थे। पत्तन ने आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण मुंबई के पास अपील दायर की है।  पत्तन ने आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत उक्त निर्धारण वर्ष के लिए छूट मांगने की अपील के अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए हैं।
निर्धारण वर्ष 2012-13	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसमें धारा 80 आईए के अधीन कटौती के दावे की अस्वीकृति का मुद्दा प्रमुख था। इसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। जनेप प्राधिकरण द्वारा धारा 80 आई ए के दावे के समर्थन में आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज, मानचित्र, रिपोर्टें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत किए गए। धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए। आयकर आयुक्त (अपील) के 21.12.2017 के आदेश के अनुसार जनेप प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया गया। पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है।
निर्धारण वर्ष 2013-14	जनेप प्राधिकरण ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है। पत्तन द्वारा आयकर अधिनियम 80 आई ए के तहत किया गया कटौती का दावा आयकर विभाग द्वारा खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (ठाणे) के सामने अपील की गई थी। धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए। आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 21.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया गया। पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है।



निर्धारण वर्ष	विवरण
<b>निर्धारण वर्ष 2014-15</b>	<p>विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे को मामले के हस्तांतरण के विरुद्ध पत्तन द्वारा दायर याचिका वापस लेने के बाद निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गयी थी। निर्धारण अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज और सबूत जमा किए गए थे। विभागीय आयकर आयुक्त (छूट) (मुख्यालय), पुणे द्वारा धारा 143 (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित किया गया था। विभागीय आयकर आयुक्त के आदेश के खिलाफ दिनांक 25-01-2017 को आयकर आयुक्त (अपील), पुणे के समक्ष एक अपील दायर की गई जिसमें धारा 11 के अधीन छूट के लाभ को अस्वीकार करना और धारा 80 आईए के अधीन कटौती की अस्वीकृति और अन्य परिवर्धन जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 22.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया गया। पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की जिसका अधिनिर्णय होना बाकी है।</p>
<b>निर्धारण वर्ष 2015-16</b>	<p>दि. 28.12.2017 के निर्धारण आदेश द्वारा जनेप प्राधिकरण का धारा 80 आई ए के अधीन कटौती और धारा 11 के अधीन छूट का दावा नामंजूर किया गया था। पत्तन ने 20.01.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आयकर आयुक्त (अपील) ने 18.03.2019 को आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध जनेप प्राधिकरण द्वारा आयकर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए 23.08 करोड़ की धन वापसी नवंबर 2017 में प्राप्त हुई।</p>
<b>निर्धारण वर्ष 2016-17</b>	<p>दि.26.12.2018 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप प्राधिकरण के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि. 24.01.2019 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। उक्त निर्धारण वर्ष का मूल्यांकन दि. 31.03.2021 को धारा 148 के अंतर्गत दी गई सूचना (नोटिस) द्वारा पुनः आरंभ किया गया है। जनेप प्राधिकरण ने उक्त सूचना (नोटिस) के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है। 31.03.2024 तक कोई अंतिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।</p>
<b>निर्धारण वर्ष 2017-18</b>	<p>दि.29.12.2019 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि. 24.01.2020 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसी बीच, धारा 154 के अधीन, दि. 31.03.2024 को एक संशोधन आदेश पारित किया गया है। पत्तन आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने की तैयारी में है।</p>

निर्धारण वर्ष	विवरण
<b>निर्धारण वर्ष 2018-19</b>	दि.26.04.2021 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि. 17.05.2021 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसी बीच, आयकर आयुक्त (छूट) के द्वारा दि. 31.03.2024 को धारा 263 के अधीन एक आदेश पारित किया गया है। पत्तन ने 27.05.2024 को आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की। परिणामस्वरूप, आयकर विभाग द्वारा 30 मार्च 2025 को धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कर योग्य आय में अतिरिक्त वृद्धि करते हुए ₹9,66,50,360/- का अतिरिक्त कर मांगा गया। पत्तन ने 21.04.2025 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की।
<b>निर्धारण वर्ष 2019-20</b>	दि.29.09.2021 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि. 21.10.2021 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
<b>निर्धारण वर्ष 2020-21</b>	दि.26.09.2022 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि. 18.10.2022 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
<b>निर्धारण वर्ष 2021-22</b>	दि.27.12.2022 के निर्धारण आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कटौती तथा धारा 11 के तहत छूट के जनेप न्यास के दावे को खारिज किया गया था। पत्तन ने दि. 21.01.2023 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
<b>निर्धारण वर्ष 2022-23</b>	दि. 19.03.2024 का निर्धारण आदेश जिसमें आयकर की धन वापसी को स्वीकार कर लिया गया है। पत्तन ने धारा 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए 15.04.2024 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
<b>निर्धारण वर्ष 2023-24</b>	वर्ष की आयकर विवरणी 30.09.2023 को प्रस्तुत की गई। उक्त विवरणी की प्रक्रिया को धारा 143(1) के अंतर्गत दि. 14.01.2024 के आदेश द्वारा संसाधित किया गया है, जिसमें 48,65,93,530/- रूपए की धन वापसी निर्धारित की गई जो हमें मार्च, 2024 में प्राप्त हुई। आयकर विभाग द्वारा धारा 144 बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा मूल्यांकन आदेश 14 मार्च 2025 को बिना किसी परिवर्धन/अस्वीकृति के पारित कर दिया गया है। पत्तन ने धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए 11.04.2025 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।

## 8. कर/अग्रिम कर के लिए प्रावधान :-

पत्तन ने वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए ग्राहकों तथा संस्थानों द्वारा काटे गए स्रोत कर सहित रु. 554.00 करोड़ के अग्रिम आयकर का भुगतान किया है। आस्थगित कर को छोड़कर रु. 661 करोड़ के कर हेतु प्रावधान किया गया है।



## 9. पत्तन परिसंपत्तियों का बीमा :-

पत्तन की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए पत्तन दैवीय घटनाओं तथा अन्य खतरों से निपटने के लिए वर्ष 2006 से इन परिसंपत्तियों का बीमा करवा रहा है जिसमें मानव नियंत्रण से परे प्रकृति के सभी संकट शामिल हैं जैसे तूफान, चक्रवात, भूकंप, सूनामी, बाढ़, सैलाब, साथ ही, आग, आतंकवाद, बीमा देयताएँ और जहाज के ढाँचे (हल) से जुड़े खतरे आदि। बीमा पालिसी में बीमित जोखिम, चैनल अवरोध आदि के कारण पत्तन को होने वाले व्यापारिक व्यवधान संबंधी हानियाँ भी शामिल हैं। यह मंत्रालय और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त निदेशों के अनुरूप और उनके अनुपालन में है।

बीमा पोर्ट फोलियो में निम्नलिखित शामिल हैं :-

क. विस्तृत पत्तन पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (I) भारी क्षति : पत्तन प्रशासन कार्यालय, नगर क्षेत्र आदि सहित पत्तन प्रचालन क्षेत्र और प्रचालन क्षेत्र के पास की पत्तन की सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के सभी जोखिम।
- (II) चैनल जलमार्ग अवरोध, पाइपलाइनों को क्षति और पत्तन के ठीक पास में लगे हुए परिसर में भूमि मार्गों पर किसी प्रकार के अवरोध सहित रूकावट के कारण व्यापारिक व्यवधान से जुड़ी हानि।

(III) पत्तन की बीमा योग्य देनदारियाँ

क. पत्तन देयताएँ (पर्यावरण प्रदूषण के अलावा)

ख. पर्यावरण प्रदूषण देयताएँ (आतंकवाद के अलावा)

(IV) मलबा हटाना

(V) पृथक आतंकवाद पॉलिसी-व्यापारिक व्यवधान सहित

ख. हल और मशीनरी पॉलिसी

ग. अनामित निष्ठा गारंटी पॉलिसी

घ. निदेशक एवं देयता पॉलिसी

ड. भारत सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी

च. मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी

छ. विद्युत उपकरण/सर्व जोखिम पॉलिसी

ज. भारत गृह रक्षा पॉलिसी

वर्ष 2025 से 2026 के लिए बीमा पॉलिसी की समीक्षा 31.3.2025 को की गई है।

## बीमा दावों की स्थिति :

- 1) दि. 5 अगस्त, 2020 को पत्तन में अचानक आए तूफान से एक दुर्घटना हुई जिसमें 2 आरएमक्यूसी को भारी क्षति, 3 आरएमक्यूसी को पूर्ण क्षति हुई। घाट को भी नुकसान हुआ था। उपर्युक्त दुर्घटना से संबंधित दावा बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के पास विचाराधीन है। अंतिम दावा 02.05.2024 को दर्ज किया गया है। बोर्ड के संकल्प संख्या 190 दिनांक 5 मार्च 2024 के अनुसार, पूर्णतः क्षतिग्रस्त तीनों आरएमक्यूसी का दावा बाजार मूल्य/मूल्यहास पद्धति पर आधारित होगा और उसका निपटान क्षतिपूर्ति के आधार पर होगा। तदनुसार, इस संबंध में एक पत्र 2 मई 2024 को मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया या भेजा गया है, जो बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ प्रक्रियाधीन है।
- 2) सितंबर 2024 के दौरान, जेएनपीए को अगस्त 2020 में हुई एक दुर्घटना, जिसमें उसके कुछ क्रेन क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गए थे, के कारण हुए व्यावसायिक व्यवधान हेतु बीमा दावे के रूप में 3,25,50,935/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस प्राप्ति को राजस्व माना जाता है और प्राप्त बीमा दावों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

## VI. भविष्य निधि, उपदान निधि एवं पेंशन निधि के लिए न्यास :-

आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए 31/03/2003 से पृथक न्यासों का गठन किया गया है :

क्रम. सं.	निधि का नाम	न्यास का नाम
1	भविष्य निधि	ज. ने. पत्तन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
2	उपदान निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी उपदान न्यास
3	पेंशन निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिवर्षिता न्यास

आयकर विभाग इन न्यासों को मान्यता दे चुका है और उपदान और पेंशन के वार्षिक अंशदान से संबंधित राशियाँ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जा रही हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पत्तन की छुट्टी नकदीकरण देयता भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जाती है। मंत्रालय ने दि. 19 मई, 2005 के पत्र सं.पीआर-24021/20/2004-पीजी के द्वारा उक्त करार को 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन दिया है।



## सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अंशदान

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को आवश्यक निधि	निधि शेष	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	31.03.2025 को कुल योग	31.03.2025 को बकाया देयता	31.03.2025 को अवित्त पोषित देयता
1	पेंशन निधि	794.75	1341.45	-	1341.45	-	(546.70)
2	उपदान निधि	89.13	87.60	-	87.60	1.53	1.53
3	छुट्टी नकदीकरण निधि	86.94	91.63	-	91.63	-	(4.69)
	<b>कुल</b>	<b>970.82</b>	<b>1520.68</b>	<b>-</b>	<b>1520.68</b>	<b>1.53</b>	<b>(549.86)</b>

इन तीन निधियों के लेखे पर 31.3.2025 को कुल देयता रु. 970.82 करोड़ थी तथा वर्ष 2024-25 के दौरान, इन निधियों का ब्याज सहित 31.3.2025 को कुल मूल्य रु. 1,520.68 करोड़ था। पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधियों पर 2024-25 के दौरान अर्जित ब्याज 7.25% से 7.87% के बीच था।

### VII. टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराया:

तुलन पत्र में वर्तमान परिसम्पत्तियों के तहत परिलक्षित चिंता का प्रमुख क्षेत्र है - टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराए की लंबे समय से बकाया राशि। पट्टा किराया वृद्धि में भिन्नता, पट्टे की अवधि, वे लीव प्रभार आदि से संबंधित विवाद का मामला वर्ष 2005 में विवाचन के लिए भेजा गया था। विवाचन अधिकरण ने साझा मुद्दों के संबंध में मई 2012 में एलसीबीयूए (तरल रसायन घाट उपभोक्ता संघ) के पक्ष में निर्णय दिया। वर्ष 2012 के इस विवाचन निर्णय द्वारा जनेप प्राधिकरण द्वारा प्रभारित प्रशुल्क 1995 से कम कर दिया गया है। जनेप न्यास ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है तथा मामला माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित है। लेखा-बहियों के अनुसार, 31.03.2025 तक बकाया राशि 717.94 करोड़ रुपये है।

संकल्प संख्या जेएनपीए -182/09.02.2024 के अनुसार, जेएनपीए ने टैंक फार्म प्रचालकों के मामले को जेएनपीए के विधिक निरीक्षक की राय तथा पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के दिनांक 10.06.2019 के निदेशों के अनुसार, सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु भारतीय पत्तन संघ की सुलह एवं निपटान समिति को भेजा है। यह भी संकल्प लिया गया है कि उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने और पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग

मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने तक, जिन पट्टेदारों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है, उन पर कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुलह एवं निपटान समिति की कार्यवाही जारी है। सुलह एवं निपटान समिति की सिफारिश के आधार पर, जेएनपीए ने पाँच निविदाएँ जारी की हैं, जिनमें से दो निविदाएँ अंतिम चरण में हैं और मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 27.02.2025 को और मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 27.02.2025 को आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। अन्य तीन निविदाएँ मूल्यांकन चरण में हैं।

सुलह एवं निपटान समिति के निपटान समझौते पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है और इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 में अंतिम रूप दिया जाएगा।

### **बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज:**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार, जेएनपीए को पत्तन उपभोक्ताओं से बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना होता है। तथापि, टैंक फार्म संचालकों से प्राप्त होने वाले दावों के मामले में, दावों की देरी से प्राप्ति के लिए दंडात्मक ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये मामले कानूनी विवाद के अधीन हैं, जिनका निर्णय लंबित है। इन लंबित मुकदमों पर निर्णय होने के बाद उसके अनुसार दंड स्वरूप ब्याज का दावा किया जाएगा।

### **VIII. निर्माण प्रहस्तन एवं हस्तांतरण प्रचालकों को सौंपे गए शेड/अन्य परिसम्पत्तियाँ:**

एपीएम टर्मिनल/जीटीआईपीएल के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार, बल्क भंडारण शेडों को उन्हें सौंप दिया गया है जिन्हें यार्ड बनाने एवं अन्य सुविधाएँ तैयार करने के लिए नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य परिसम्पत्तियों जैसे, वैगन लदाई प्लेटफार्म, कैन्टीन आदि को भी उन्हें सौंप दिया गया है। ये परिसम्पत्तियाँ उसी रूप में पत्तन को वापस प्राप्त नहीं होंगी, जिस रूप में उन्हें सौंपा गया था। उन्हें सौंपी गई अन्य परिसम्पत्तियों के साथ-साथ, ऐसी परिसम्पत्तियों पर पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है। अतः इन परिसम्पत्तियों को नियत परिसम्पत्तियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है एवं अलग से 'सुधार के लिए बीओटी प्रचालकों (जीटीआईपीएल/ एपीएम टर्मिनल) को सौंपे गए शेडों/परिसम्पत्तियों' के रूप में दिखाया गया है। सौंपे जाने के समय इन परिसम्पत्तियों का हासित मूल्य रु. 54.53 करोड़ था। इन परिसम्पत्तियों का समान रूप से 30 वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है। इनका परिशोधित मूल्य दिनांक -31/03/2025 को रु. 17.27 करोड़ है।

इसी तरह, एनएसआईसीटी के उत्तर की ओर कंटेनर घाट के 330 मीटर के विस्तार पर किया गया व्यय 31 मार्च, 2016 को 5.23 करोड़ रूपये था। उसे पट्टे की शेष अवधि के लिए समान किस्तों में परिशोधित किया



गया है और 31/03/ 2025 को इन परिसम्पत्तियों का परिशोधित मूल्य 2.46 करोड़ रूपये है।

## IX. विधिक/विवाचन/सेवा कर/ वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के मामले

- i) पत्तन ने अंतर टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालन की बिलिंग में अंतर के कारण 4.42 करोड़ रूपये के ब्याज के साथ 12.22 करोड़ वसूलने के लिए जीटीआईपीएल के खिलाफ मुकदमा (2018 का मुकदमा से 399) दायर किया है : मामला पनवेल वरिष्ठ खंड न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित है। मामला प्रवेश स्तर पर है।
- ii) मेसर्स एम एम निस्सिम एंड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पत्तन ने रु. 18.27 करोड़ के ब्याज के साथ 42.15 करोड़ की संचयी बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2004 के अनुज्ञप्ति करार के खंड 23.3 के अनुसार मध्यस्थता के लिए मेसर्स जीटीआईपीएल को दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को नोटिस भेजा है (दावे में बताए अनुसार यह आंकड़ा कुल 37,85,27,543/- रूपये था )। विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2019 को अधिनिर्णय जारी किया गया। जनेप प्राधिकरण ने विवाचन के निर्णय के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.1491 (2019) दायर की है। मामला प्रवेश स्तर पर है।
- iii) मेसर्स एनएसआईसीटी ने प्रति टीईयू रायल्टी भुगतान को राजस्व हिस्सेदारी में परिवर्तित करने की मांग करते हुए 3 जुलाई, 1997 के अनुज्ञप्ति करार के 15.3 खण्ड के अनुसार पत्तन पर विवाचन दायर किया है। विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2019 को अधिनिर्णय जारी किया गया। जनेप प्राधिकरण ने विवाचन अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.102 (2020) दायर की है। मामला प्रवेश स्तर पर है।
- iv) एलसीबीयू सदस्य और जनेप प्राधिकरण के बीच मध्यस्थता – मामला वे-लीव प्रभार, न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय, पट्टा किराया और पट्टा अवधि से जुड़ा है जो सामान्य मुद्दों और व्यक्तिगत मुद्दों में विभाजित है – सामान्य मुद्दों में विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 21 मई, 2012 को अधिनिर्णय दिया गया जिसे जनेप न्यास ने मध्यस्थता याचिका सं.517 (2013) दायर करके चुनौती दी है तथा व्यक्तिगत मुद्दों में विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 08 जून, 2018 को दूसरा अधिनिर्णय दिया गया (आईएमसी एवं अन्य मामले में पहला और जीबीएल मामले में दूसरा)। जनेप प्राधिकरण ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.06 (2019) और वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं.01 (2019) दायर करके दोनों अधिनिर्णयों को चुनौती दी है। मामला प्रवेश स्तर पर है।

जेएनपीए बोर्ड के अनुमोदन से, टैंक फार्म प्रचालकों का मामला जेएनपीए के कानूनी अनुरक्षक की राय तथा

पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 10.06.2019 के निदेशों के अनुसार, सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) की सुलह एवं निपटान समिति को भेजा गया है। यदि टैंक फार्म प्रचालकों और जेएनपीए के बीच मामला सुलह एवं निपटान समिति के माध्यम से सुलझ जाता है, तो जेएनपीए बॉम्बे उच्च न्यायालय से मामला वापस ले लेगा।

v) सीट्रांस शिपिंग और जनेप न्यास के बीच विवाचन – मामला निकर्षण ठेके से संबन्धित है – विवाचन अधिकरण द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2014 को अधिनिर्णय जारी किया गया और तदनुसार जनेप प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं. 536 (2015) दायर की। न्यायालय ने उक्त याचिका पर दिनांक 15 मई, 2020 को आदेश जारी किया। जनेप प्राधिकरण ने उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील सं. 131 (एल) (2020) दायर की। मामला प्रवेश स्तर पर है।

vi) जेएनपीए में 3 आरएमक्यूसी के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग तथा निष्पादन की गारंटी और जेएनपीए में मुख्य कंटेनर घाट से उथले डुबाव घाट पर पुराने 3 आरएमक्यूसी के डीकमीशनिंग, स्थानांतरण, री-कमीशनिंग, परीक्षण और संरचनात्मक पुर्जों की गारंटी के लिए मेसर्स अनुपम पोर्ट क्रेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए ठेके के 4,37,74,990/- रुपयों (लगभग) का भुगतान रोकने को लेकर विवाद हुआ। दावे के मद सं. 12 और 15 से 18 पर निर्णय लेने के लिए पार्टियां विवाचन अधिकरण में गईं। विवाचन अधिकरण ने दिनांक 02.02.2023 को इस पर अधिनिर्णय जारी किया और जेएनपीए ने 03.05.2023 को वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 12669 (2023) दायर करके मुंबई उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय ओर अधिनिर्णय के संचालन पर रोक के लिए चुनौती दी। मामला प्रवेश स्तर पर है।

जेएनपीए ने 2011 में मेसर्स अनुपम पोर्ट क्रेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीसीसीएल) को तीन नए रेल माउंटेड के क्रेन (आरएमक्यूसी) की आपूर्ति और तीन पुराने आरएमक्यूसी को स्थानांतरित करने का ठेका दिया था। परीक्षण के दौरान, एक दुर्घटना हुई, जिससे तृतीय-पक्ष का एक जलयान क्षतिग्रस्त हो गया, और शिपिंग लाइन ने 4.37 करोड़ रुपये और ब्याज का दावा किया। जेएनपीए ने एपीसीसीएल के अंतिम बिल भुगतान से यह राशि रोक ली, लेकिन बाद में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एपीसीसीएल को दावा की गई राशि प्रदान कर दी। जेएनपीए ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जबकि एपीसीसीएल ने निष्पादन के लिए आवेदन दायर किया।

यह विवाद सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेजा गया, जिसने एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया। हालाँकि, समझौते पर अमल होने से पहले ही, एनसीएलटी अहमदाबाद ने एपीसीसीएल का परिसमापन करने



का आदेश पारित कर दिया। इस घटनाक्रम को देखते हुए, सीएससी ने प्रस्ताव रखा है कि जेएनपीए एपीसीसीएल के साथ सुलह प्रक्रिया से हट जाए और सीएमए-सीजीएम के साथ एक संशोधित समझौता करे, जिसमें निपटारे के रूप में 3.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। एपीसीसीएल से संबंधित राशि जेएनपीए द्वारा तब तक रोक कर रखी जाएगी जब तक कि चल रहे मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता।

- vii) मेसर्स बीएसआई-जेडीएन संयुक्त उद्यम और जेएनपीए के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जो "मुंबई हार्बर चैनल और जेएन पत्तन चैनल को गहरा और चौड़ा बनाना चरण - II" के अनुबंध में आईपीसी # 12, # 13 और # 14 और टीओसी का भुगतान न करने के कारण जेएनपीए द्वारा पार्टियों को हुए सीधे नुकसान से संबंधित है, जिसमें कुल दावा रु. 448,35,44,283/- (लगभग) है। संबंधित पार्टी बीएसआई-जेडीएन और जेएनपीए के बीच विवाद को सुलझाने के लिए विवाचन कार्यवाही में गई है जो अभी तक चल रही है और अंतिम चरण में है।
- viii) मेसर्स पेंटाकल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएनपीए के बीच "वाढ़वण में सैटेलाइट पोर्ट के विकास के लिए 12 महीने की अवधि के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं और एसईजेड - चरण -1 में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए संविदा " में पार्टी को हुए नुकसान के लिए 3.10 करोड़ रुपये के दावे के साथ विवाद को सीएससी के अधिनिर्णय के अनुसार सुलझा लिया गया है और बीजक 2025-26 के दौरान वसूले जाएंगे।
- X. जेएनपीए ने फरवरी 2014 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) में क्रमशः 9.67% और 9.75% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए ₹110 करोड़ और ₹70 करोड़ का निवेश किया। तथापि, बैंक से कोई सावधि जमा रसीद (टीडीआर) प्राप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने 22 मार्च, 2023 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के खिलाफ जेएनपीए के उपभोक्ता मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जेएनपीए की स्थिति "उपभोक्ता" की नहीं है। जेएनपीए ने सर्वोच्च न्यायालय में एक दीवानी अपील दायर की है और उच्च न्यायालय में वसूली का मुकदमा दायर करने की योजना बना रहा है।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने पीएनबी को श्री लिजो नायकमपरम्पिल मैथ्यू और श्रीमती निशा लिजो मैथ्यू को ब्याज सहित 2.50 करोड़ रुपये जारी करने का निदेश दिया। यह देखते हुए कि राशि जेएनपीए में जमा हो गई थी, यह राशि 11 दिसंबर, 2024 को पीएनबी को वापस भेज दी गई और पीएनबी को सूचित किया गया कि यह भुगतान पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में किया गया था, लेकिन लंबित मुकदमों के परिणाम के आधार पर ओबीसी से ब्याज सहित राशि का दावा करने का उसका अधिकार सुरक्षित है।

वित्त वर्ष 2024-25 तक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) पर जेएनपीए का 211.71 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें 69.22 करोड़ रुपये मूलधन और 142.49 करोड़ रुपये ब्याज की राशि शामिल है। वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए, जेएनपीए ने वित्त वर्ष 2022-23 से इन जमा राशियों पर ब्याज उपार्जन को मान्यता देना स्थगित कर दिया है। वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ओबीसी से प्राप्त होने वाला उपार्जित ब्याज कुल 53.43 करोड़ रुपये है।

## XI. संस्थापित एवं प्रयुक्त क्षमता :-

संस्थापित एवं प्रयुक्त क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

बर्थ / टर्मिनल	*संस्थापित क्षमता		प्रयुक्त क्षमता	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
जनेपकंट / एनएसएफटी	22.10	22.10	6.73	6.92
जीटीआईपीएल / एपीएम टर्मिनल	23.70	23.70	18.99	23.41
एनएसआईसीटी / डीपी वर्ल्ड	20.50	20.50	14.25	14.64
उथले पानी की बर्थ और तटीय बर्थ बीटी	7.00	7.00	2.68	2.97
एनएसआईजीटी / 330 मिटर	10.30	10.30	13.54	12.59
बीपीसीएल (द्रव कार्गो बर्थ)	7.20	7.20	5.05	5.28
बीएमसीटीपीएल / पीएसए	30.00	60.00	24.49	26.09
अतिरिक्त जल कार्गो बर्थ	4.50	4.50	0.08	0.20
<b>कुल योग</b>	<b>125.30</b>	<b>155.30</b>	<b>85.81</b>	<b>92.10</b>

बीएमसीटीपीएल के मामले में, 30 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि 4 फरवरी, 2025 से चरण II के प्रचालन के प्रारंभ होने के कारण है।

मेसर्स बीपीसीएल द्वारा नवनिर्मित घाट पर अतिरिक्त द्रव घाट प्रचालन अंतरिम आधार पर 06.03.2024 को प्रारंभ किए गए। घाट (एल बी 03 और एल बी 04) मेसर्स जेएसडब्ल्यू जेएनपीटी लिक्विड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिए गए और 05 नवंबर, 2024 को प्रचालन प्रारंभ हो गया।

**नोट:** उपर्युक्त कंटेनर यातायात के अलावा, निम्नलिखित कार्गो का प्रहस्तन किया गया, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बीओटी टर्मिनलों पर क्रमशः 997 टन और 2,572 टन सामान्य कार्गो का प्रहस्तन किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, जेएनपी एंकरेज पर 16,727 टन एचएसडी का प्रहस्तन किया गया।



## XII. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :

(लाख रुपयों में)

विवरण	2024-25	2023-24
मुख्य महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षक के रूप में	67.47	52.80
कर लेखा-परीक्षक	11.00	10.76
आंतरिक लेखा परीक्षक	8.95	9.49
योग	87.96	73.05

## XIII. कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर हुए व्यय का विवरण :

कोटि	दि.31.03.2025 की तारीख में स्थिति	दि. 31.03.2024 की तारीख में स्थिति
श्रेणी I	119	120
श्रेणी II	23	22
श्रेणी III	438	491
श्रेणी IV	45	48
<b>योग</b>	<b>625</b>	<b>681</b>
<b>*कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक (करोड़ रुपयों में)</b>	<b>154.69</b>	<b>165.60</b>

## XIV. 31 मार्च, 2025 को आकस्मिक देयताएँ:

### (क) विवाद समाधान और संभावित वित्तीय निहितार्थों पर प्रकटीकरण

#### i. जीटीआई का पिछला अधिशेष / विभेदक राजस्व :-

जीटीआई द्वारा निर्यात-आयात व्यापार से एकत्रित टैरिफ समय-समय पर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा निर्धारित किया जाता था। जीटीआई अपने प्रशुल्क में संशोधन के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अधीन था। टीएएमपी ने 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के आधार पर 19 जनवरी, 2012 को एक प्रशुल्क आदेश (2012 प्रशुल्क आदेश) पारित किया जिसे 8 फरवरी, 2012 को विधिवत अधिसूचित किया गया, जिसके तहत प्रशुल्क-चक्र 2012-2014 के लिए जीटीआई द्वारा प्रभार्य प्रशुल्क को प्रचलित दरों के पैमाने (टीएएमपी आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2010) के 44.28% तक कम कर दिया गया, इस आधार पर कि जीटीआई द्वारा अर्जित अधिशेष, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की निर्धारित सीमा से अधिक था। जीटीआई ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की (रिट याचिका संख्या 4/2013 (रिट याचिका), टीएएमपी द्वारा जारी 2012 के प्रशुल्क आदेश को चुनौती देते हुए)। इसके परिणामस्वरूप 2012

से 2020 के बीच पिछले अधिशेष को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के मानदंडों के अनुसार, 2012 से 2020 के बीच पिछले अधिशेष को लेकर विवाद को सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया था। पिछले अधिशेष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुलह और निपटान समिति द्वारा प्रस्तुत निपटान समझौते का मसौदा जेएनपीए और जीटीआई के बोर्ड द्वारा योजना को अनुमोदन मिलने के बाद 12 जनवरी 2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है।

**ii. अंतर-टर्मिनल प्रहस्तन प्रभार से संबंधित जीटीआई मामला (विशेष सिविल मुकदमा संख्या 84/2018) पनवेल न्यायालय में सिविल मुकदमा और राजस्व हिस्सेदारी भुगतान (मध्यस्थता मामला सीआरएबीपी संख्या 1491/2019) :**

यह विवाद निम्न से संबंधित था -

- क. जीटीआईपीएल को प्राप्त होने वाली कुछ आय पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान और
- ख. नियमित और राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान में देरी पर ब्याज

जेएनपीए द्वारा 5 अप्रैल 2018 को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई थी। मध्यस्थता अधिकरण द्वारा 9 अगस्त 2019 को मध्यस्थता आदेश पारित किया गया था। मध्यस्थता अधिकरण द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। जेएनपीए ने 16 दिसंबर 2019 को दायर किए गए मध्यस्थता अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। मामला प्रवेश स्तर पर लंबित है।

यह विवाद 15 फ़रवरी 2007 के आईटीआरएचओ समझौता-ज्ञापन के तहत, विहित आईटीआरएचओ बिलिंग पद्धति से संबंधित था, जिसे सेवा कर विभाग के प्रेक्षणों के बाद वर्ष 2012 में सकल बिलिंग पद्धति से बदल दिया गया था।

जेएनपीए ने फरवरी 2018 में पनवेल न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं। मामला अभी मुद्दों के निर्धारण के चरण में है।

जेएनपीए और जीटीआई की आपसी सहमति के बाद, उपर्युक्त दोनों विवादों को 5 अप्रैल 2023 के पत्र के माध्यम से सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया है। इस मामले पर पक्षों और सुलह और निपटान समिति (सीएससी) समिति के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

**iii. एनएसआईसीटी - रॉयल्टी से राजस्व हिस्सेदारी :**

वर्ष 2005 में कानून में बदलाव हुआ था जब महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) ने एनएसआईसीटी रॉयल्टी को स्वीकार्य लागत के रूप में अनुमति नहीं दी थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रशुल्क कम हो गया था



जिससे आय में कमी आई और 2019 तक नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ कम हो गया, जिसका एनएसआईसीटी द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को अपनाने तक एनएसआईसीटी द्वारा दावा की गई वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

मामला सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेजा गया था। यह अवधि वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2019-20 तक की है। इस अवधि के दौरान, एनएसआईसीटी को भुगतान की गई रॉयल्टी का पूरा भुगतान नहीं किया गया, अर्थात् भुगतान की गई रॉयल्टी का 30.50% कभी प्रशुल्क में परिवर्तित नहीं हुआ। उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर, सीएससी द्वारा की गई गणना के अनुसार एनएसआईसीटी को 1/4/2005 से 31/03/2020 की अवधि के लिए 705.78 करोड़ रुपये प्रशुल्क घाटा/राजस्व हानि हुई है (आरओसीई 16% मानते हुए)।

निपटान समझौते की शर्तों के अनुसार, जेएनपीए ने पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को 12 अप्रैल 2023 को एक पत्र भेजकर निपटान समझौते के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा। अब, जेएनपीए को पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से 4 अप्रैल 2025 के पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है।

एनएसआईसीटी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका भी दायर की थी, जिसे मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद एनएसआईसीटी ने वापस ले लिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 के आदेश के द्वारा रिट याचिका का निपटारा 22 मई 2025 के निपटान समझौते के अनुसार करने का आदेश दिया।

सुलह एवं निपटान समिति ने 705.78 करोड़ रुपये के पिछले प्रशुल्क घाटे की गणना की है। यह पिछला टैरिफ घाटा जेएनपीए द्वारा देय है, जिसे लाइसेंस समझौते के तहत एनएसआईसीटी द्वारा देय रॉयल्टी राशि में समायोजित किया जाएगा।

सुलह एवं निपटान समिति (सीएससी) की सिफारिश के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 91.41%, वर्ष 2023-24 के लिए 94.35% और वर्ष 2024-25 के लिए 95% क्षमता उपयोग के आधार पर, क्रमशः 81.16 करोड़ रुपये, 125.05 करोड़ रुपये और 190.70 करोड़ रुपये का पिछला प्रशुल्क घाटा समायोजन के लिए उपलब्ध है।

लेखांकन मानक 29, प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ और एनएसआईसीटी के साथ निपटान समझौते की शर्तों के अनुसार, निपटान समझौते की कार्यान्वयन तिथि (i) निपटान समझौते पर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण और भारत संघ की सहमति से निपटान समझौते को दर्ज करने वाली रिट याचिका पर माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि से होगी। तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, 396.91 करोड़ रुपये के दायित्व को मान्यता देना विवेकपूर्ण है, इसलिए, उक्त

दायित्व को तुलन-पत्र की तिथि पर 396.91 करोड़ रुपये की राशि के साथ बहियों में एक असाधारण मद के रूप में मान्यता दी गई है और इस प्रकार संगठन के लाभ को उसी राशि से कम कर दिया गया है।

शेष राशि, अर्थात् पिछले प्रशुल्क घाटे की 308.87 करोड़ (705.78-396.91) को तुलन-पत्र की तिथि पर आकस्मिक देयता के रूप में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि भुगतान न किए गए पिछले प्रशुल्क घाटे की पात्र राशि, जो भविष्य में देय रॉयल्टी के विरुद्ध समायोजन के लिए उपलब्ध है, तुलन-पत्र की तिथि पर निर्धारित नहीं की जा सकी।

#### iv. न्हावा शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल (एनएसडीटी) द्वारा प्रचालित टर्मिनल के लिए आयात-निर्यात (एक्जिम) कार्गो/कंटेनरों पर रॉयल्टी निर्धारित करने की कार्यप्रणाली में विवाद

रियायतग्राही ने तटीय कार्गो के लिए प्रति मीट्रिक टन रॉयल्टी उद्धृत की थी। यह विवाद रियायतग्राही द्वारा उद्धृत तटीय रॉयल्टी से एक्जिम कार्गो/कंटेनर के लिए रॉयल्टी दर निर्धारित करने से संबंधित है। यह विवाद महापत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2021 की व्याख्या से संबंधित है, जिससे आयात-निर्यात (एक्जिम) कार्गो/कंटेनर के लिए रॉयल्टी के निर्धारण को प्रभावी बनाया जा सके।

विवाद को 6 मई 2024 को समाधान के लिए सुलह एवं निपटान समिति (सीएससी) को भेजा गया था। सीएससी ने 29 नवंबर 2024 को निपटान समझौते का मसौदा प्रस्तुत किया। निपटान समझौते की शर्तों पर सीएससी के मार्गदर्शन में पक्षों के बीच चर्चा चल रही है। चूंकि सुलह एवं निपटान समिति (सीएससी) दिशानिर्देश 2021 की व्याख्या में अंतर को देखते हुए राजस्व प्राप्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए आकस्मिक परिसंपत्तियों को लेखा- बहियों में दर्ज नहीं किया जाता है। राजस्व की मान्यता उस वर्ष की जाएगी जब आय प्राप्ति को लेकर निश्चितता होगी।

#### xv. जेएनपीए में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रचालकों (पीपीपी ऑपरेटरों) की विशेष लेखा-परीक्षा (विशेष लेखा परीक्षक की नियुक्ति, लेखा परीक्षा की स्थिति और विभेदक-राजस्व की राजस्व मान्यता)

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रचालकों (पीपीपी ऑपरेटरों) (एनएसआईसीटी को छोड़कर) के साथ निष्पादित रियायत समझौते के अनुसार, प्रत्येक पीपीपी ऑपरेटर के रियायत समझौते में विशेष लेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि रियायती प्राधिकरण को अपने खर्च पर भारत में विधिवत लाइसेंस प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक अन्य फर्म को नियुक्त करने का विकल्प होगा, जो रियायती प्राधिकरण द्वारा अधिदेशित सकल राजस्व/टीईयू और वित्तीय विवरणों, दस्तावेजों और सहायक साक्ष्यों का विशेष लेखा परीक्षण करेगी तथा रियायती प्राधिकरण को ऐसी सूचना रिपोर्ट करेगी, जो किसी भी



अवधि के लिए रियायती प्राधिकरण द्वारा वांछित हो। तदनुसार, जेएनपीए ने विकल्प का प्रयोग करते हुए बीओटी प्रचालकों की विशेष लेखा-परीक्षा करने के लिए एक विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। नीचे दी गई तालिका में तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार विशेष लेखा परीक्षक की नियुक्ति का विवरण दिया गया है।

पीपीपी प्रचालक	लेखा परीक्षक	नियुक्ति की अवधि	विशेष लेखा परीक्षा की अवधि
गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया (जीटीआई)	मे. रतन चंडक एन्ड कं.	5 वर्ष	वि.व. 2020-21 से वि.व. 2024-25
भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी)	मे. जे. एन. गुप्ता	5 वर्ष	वि.व. 2022-23 से वि.व. 2026-27
न्हावा शेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी)	मे. रतन चंडक एन्ड कं.	5 वर्ष	वि.व. 2020-21 से वि.व. 2024-25
न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल (एनएसएफटी)	मे. रतन चंडक एन्ड कं.	5 वर्ष	वि.व. 2022-23 (फर. 23 एवं मार्च 23) से वि.व. 2026-27
न्हावा शेवा डिस्ट्रिब्यूशन टर्मिनल (एनएसडीटी)	मे. रतन चंडक एन्ड कं.	5 वर्ष	वि.व. 2023-24 (26 मई 2023 एवं मार्च 24) से वि.व. 2027-28
जेएसडब्लू जेएनपीटी द्रव घाट टर्मिनल	लेखा परीक्षक को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति शीघ्र ही हो जाने की संभावना है।	5 वर्ष	वि.व. 2024-25 (22 अगस्त 2024 से मार्च 2025) से वि.व. 2028-29

### तुलन-पत्र की तिथि तक विशेष लेखापरीक्षा की स्थिति:

नीचे दी गई तालिका वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के लिए विशेष लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाती है।

पीपीपी प्रचालक	पिछले वित्तीय वर्षों की स्थिति	वर्तमान वित्तीय वर्ष की स्थिति (वि.व. 2024-25)
गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया (जीटीआई)	पूर्ण	रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया
भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी)	पूर्ण	विशेष लेखा परीक्षा प्रारंभ की गई
न्हावा शेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी)	पूर्ण	रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया
न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल (एनएसएफटी)	पूर्ण	क्यू 1, क्यू 2 और क्यू 3 के लिए रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया।
न्हावा शेवा डिस्ट्रिब्यूशन टर्मिनल (एनएसडीटी)	रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया	विशेष लेखा परीक्षा प्रारंभ की गई
जेएसडब्लू जेएनपीटी लिक्विड बर्थ टर्मिनल प्रायवेट लि. (जेएसडब्लू)	2023-24 से पहले लागू नहीं, क्योंकि इसने अपने प्रचालन 22 अगस्त, 2024 को प्रारंभ किए।	लेखा परीक्षक को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति शीघ्र ही हो जाने की संभावना है।

रियायती प्राधिकरण के पास सकल राजस्व की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (अतिरिक्त लेखा परीक्षक) की एक अन्य फर्म नियुक्त करने का विकल्प है। रियायती प्राधिकरण द्वारा विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग न करने की स्थिति में, वित्तीय वर्ष के दौरान साझा की गई रॉयल्टी की शुद्धता की पुष्टि के लिए, बीओटी प्रचालकों के राजस्व प्रमाणपत्रों और लेखापरीक्षित खातों को, जैसा कि वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है, सीएजी लेखा परीक्षक द्वारा भरोसा किया जाना चाहिए। चूँकि ये पीपीपी परिचालक सामान्यतः अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर तक वैधानिक लेखा-परीक्षण पूरा कर लेते हैं, ऐसे मामलों में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विशेष लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना अव्यावहारिक है।

विशेष लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए राजस्व विभेदक की मान्यता के संबंध में, ऐसे राजस्व विभेदक को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया जाता है।

## XVI. ज.ने.प. प्राधिकरण कंटेनर टर्मिनल के कंटेनर वहन स्थानक तथा बफर यार्ड के



## लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) :

मेसर्स सीडब्लूसी को दिए गए पूर्व के लाइसेंस की अवधि दि. 31/12/2005 को समाप्त होने पर, जने पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड (जिसे बाद में सीपीपी के विकास के कारण वर्ष 2023-24 में समर्पित कर दिया गया था) के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए नया लाइसेंस मे. स्पीडी मल्टी मोड्स लि. (मेसर्स एसएमएल) मुंबई को 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस करार में सौंपी गई परिसम्पत्तियों के पट्टे किराए के भुगतान एवं लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार प्रहस्तिट टीइयू के लिए रायल्टी का प्रावधान है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पट्टा किरायों, रायल्टी एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के कारण मेसर्स एसएमएल से जनेप प्राधिकरण को प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	2024-25	2023-24
रायल्टी	8.11	8.91
पट्टा किराए	22.59	25.77
न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय (एमजीटी) में कमी (रायल्टी में समाहित)	0.62	02.14
विविध प्रभार	0.05	00.27

## XVII. धारा 80 आइ.ए. के दावे :

पत्तन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आइ.ए. के तहत कर में लाभ पाने के लिए कटौती का दावा किया है ;

क) मे. गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्रा. लि. (एपीएम टर्मिनल/जीटीआइपीएल) से अर्जित राजस्व।

ख) वर्ष 2011-12 में खरीदकर संस्थापित की गई तीन रेल माउंटेड की क्रेनें (आरएमक्यूसी)।

ग) वर्ष 2007-08 में खरीदकर संस्थापित की गई दो रेल माउंटेड गंत्री क्रेनें (आरएमजीसी)।

घ) वर्ष 2012-13 में संस्थापित की गई एक रेल माउंटेड क्वे क्रेन (आरएमक्यूसी)

ड) वर्ष 2012-13 में संस्थापित की गई एक रेल माउंटेड गंत्री क्रेन (आरएमजीसी)।

गौरतलब है कि 5 अगस्त, 2020 को हुई एक दुर्घटना में आरएमक्यूसी 6, 7, 8 पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जिनके बचे हुए माल का निपटान कर दिया गया। इसी दुर्घटना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए आरएमक्यूसी 5 और 9 की मरम्मत की गई।

## XVIII. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 जून, 2023 के परिपत्र संख्या पीडी-12019/1/2020-पीडी-VI (IV) के माध्यम से, पत्तनों की गतिविधियों के समाज और पर्यावरण पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सभी पत्तनों को अपने-अपने पत्तन से संबंधित शुद्ध लाभ के विभिन्न प्रतिशत पर सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रावधान करने का निदेश दिया है, जिसका पालन जेएनपीए द्वारा 15 जनवरी 2016 को बोर्ड के अनुमोदन से किया गया है।

01.04.2024 तक सीएसआर में शेष राशि 55.91 करोड़ रुपये थी। इसमें से 15.50 करोड़ रुपये बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं पर सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, कर-पश्चात लाभ के 0.5% की दर से 10.26 करोड़ रुपये सीएसआर के लिए आवंटित किए गए हैं।

## XIX. कम दर पर गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु ओवरड्राफ्ट

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, जेएनपीए ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 7.94% प्रति वर्ष की दर से 120 करोड़ रुपये का अस्थायी ओवरड्राफ्ट लिया है और जेएनपीए द्वारा मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) की भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित आगामी व्यय को पूरा करने के लिए केवल 26.96 करोड़ रुपये ब्याज सहित उपयोग किए हैं।

महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों की शक्तियों के अध्याय IV, धारा 33 (6) के अनुसार, बोर्ड उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक बोर्ड के पूंजी आरक्षित निधियों के 50% की सीमा के भीतर प्रतिभूतियों या सावधि जमाओं को गिरवी रखकर अस्थायी ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार ले सकता है।

## XX. घुमावदार (ज़िगज़ैग) सीमा मुद्दा

सिडको ने अन्य नोडों के क्षेत्रों के साथ ही नवी मुंबई के द्रोणागिरी नोड में 1250 हेक्टेयर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव रखा है। नवी मुंबई के द्रोणागिरी नोड में सेक्टर 1,2 के पास और सेक्टर 16,17 के नजदीक और जेएनपीए परियोजना की सीमा से लगी भूमि जो सिडको द्वारा विकसित की जा रही है एन. एम. एस. ई. जेड. डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए पट्टा विलेख (लीज डीड) द्वारा वर्ष 2006 में सौंप दी गई थी। इन दोनों स्थानों पर सौंपे गए क्षेत्र में 8 गांवों यथा जासई, धुतुम, शेमतीखार, सावरखार, सोनारी, करल, पागोटे और फुंडे से ली हुई लगभग 56.77 हेक्टेयर (140.3 एकड़) भूमि शामिल है जो जेएनपीए के कब्जे में है क्योंकि इसे जेएनपीए के लिए अधिग्रहित किया गया था। फुंडे गांव से अधिग्रहित जेएनपीए की 2.07 हेक्टेयर (5.11 एकड़) भूमि का उपयोग सिडको द्वारा नोडल विकास के



लिए सेक्टर 15 (द्रोणागिरी) में किया गया है। इस प्रकार जेएनपीए की कुल 58.84 हे. (145.4 एकड़) भूमि का उपयोग सिडको द्वारा किया गया है।

(जेएनपीए - एसपीए संबंधित) घुमावदार (ज़िग-ज़ैग) सीमा का कार्य आज की तारीख तक पूरा हो गया है।

सिडको द्वारा उपयोग की गई ग्रामवार जेएनपीए भूमि को दर्शाने वाला विवरण तैयार किया गया।

सिडको द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक गांव के क्षेत्र का सर्वेक्षण संख्या, हिस्सा दर्शाने वाला और उसे संबंधित गांव के नक्शे पर इसे चिह्नित विवरण।

साथ ही, एन. एम. एस. ई. जेड. और नोडल विकास में उपयोग की गई जेएनपीए की भूमि को दर्शाने वाली योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

इसमें कुल 205 सर्वेक्षण/हिस्सा नंबर शामिल हैं। सभी 205 सर्वेक्षण/हिस्सा नंबरों के 7/12 सरकारी वेबसाइट अर्थात् <https://bhulekh.mahahumi.gov.in> से डाउनलोड किए गए हैं। 205 सर्वे/हिस्सा नंबरों में से 203 सर्वेक्षण/हिस्सा नंबर पर जेएनपीए का नाम दर्ज है। सभी सर्वेक्षण/हिस्सा नंबरों की प्रतियां तैयार की गईं।

सिडको/एन. एम. एस. ई. जेड. द्वारा उपयोग किए गए क्षेत्र को भूमि सर्वेक्षण संख्या, गांव का नाम दर्शाने वाला ड्राइंग तैयार करके सिडको को प्रस्तुत किया गया है।

सिडको ने उक्त ड्राइंग को एनएमएसईजेड के साथ साझा किया है ताकि वे एनएमएसईजेड की सीमा का सत्यापन कर सकें। बाद में यह पाया गया कि सीमा में मामूली अंतर था।

जेएनपीए ने सिडको से द्रोणागिरी की समन्वित ड्राइंग साझा करने के लिए कहा और ड्राइंग में पाए गए अंतर को जेएनपीए द्वारा सत्यापित और ठीक किया गया।

द्रोणागिरी नोड [घुमावदार (ज़िग-ज़ैग सीमा)] में सिडको द्वारा उपयोग किए गए क्षेत्र की अंतिम संशोधित ड्राइंग सिडको को प्रस्तुत की गई थी। सिडको से इस मामले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है।

जेएनपीए के अध्यक्ष ने 9 जून 2023 को सिडको के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर घुमावदार (ज़िग-ज़ैग) सीमा के मुद्दे को हल करने के लिए सिडको और जेएनपीए अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने को कहा। इस पत्र के जवाब में सिडको के प्रबंध निदेशक ने 3 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा सिडको और जेएनपीए अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया।

समिति की बैठक 12 दिसंबर 2023 को अपर कलेक्टर और मुख्य भूमि और सर्वेक्षण अधिकारी, सिडको द्वारा आयोजित की गई थी। इस बैठक में सिडको द्वारा उपयोग की जाने वाली जेएनपीए भूमि को अंतिम रूप देने

के लिए महाराष्ट्र सरकार के उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उरण से सरकारी माप कराने का निर्णय लिया गया। माप रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सिडको और जेएनपीए संयुक्त रूप से मामले का फैसला करेंगे।

तदनुसार, जेएनपीए ने मार्च और अप्रैल 2024 में विवादित घुमावदार (जिग-जैग) सीमा क्षेत्रों की माप के लिए उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उरण को आवेदन किया है। मांग-पत्र प्राप्त होने पर, जेएनपीए ने महाराष्ट्र सरकार को माप-शुल्क का भुगतान कर दिया है।

भूमि मापन से संबंधित मामले को सुलझाने के लिए जिला भूमि अभिलेख कार्यालय, रायगढ़ और उरण के उप अधीक्षक भूमि अभिलेख से इस मामले पर लगातार बातचीत की जा रही है।

सरकारी सर्वेक्षण-चित्र प्राप्त होने के बाद, मामले को निपटान के लिए सिडको के समक्ष उठाया जाएगा।

## XXI. जेएनपीए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) :-

जेएनपीए ने पत्तन न्यास के स्वामित्व वाली 277.38 हेक्टेयर क्षेत्र में एक पत्तन आधारित बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को विकसित करने का काम हाथ में लिया है। उक्त परियोजना पत्तन परिसर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पत्तन संचालन को पूरक करने के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से जेएनपीए द्वारा की गई एक प्रमुख आधारीक संरचनात्मक विकास पहल है। जेएनपीए के करीब होने के कारण, यह परियोजना आयातित कच्चे माल की तत्काल उपलब्धता, वैश्विक बाजारों तक पहुँच और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) रेल कॉरिडोर, ट्रांस-हार्बर रोड लिंक (एमटीएचएल) सहित आगामी मल्टीमॉडल आधारीक संरचना परियोजनाओं तक पहुँच के कारण जेएनपीए एसईजेड देश के एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप उभरेगा। जेएनपीए एसईजेड का लक्ष्य पत्तन आधारित औद्योगीकरण में एक नया मानदंड स्थापित करना है, और इस प्रकार पोत परिवहन मंत्रालय के सागरमाला परियोजना के 'पत्तन आधारित औद्योगीकरण' की परिकल्पना (विज़न) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसईजेड में अन्य के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण, अभियांत्रिकी, सौंदर्य प्रसाधन, वाहनों के पुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसे एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर हैं। इसमें एक मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) भी विकसित किया जा रहा है जो इस परियोजना के महत्व को और भी बढ़ा देगा। जेएनपीए को एसईजेड अधिनियम प्रावधानों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष योजना प्राधिकरण (एसपीए) और विद्युत वितरण लाइसेंसधारी का दर्जा दिया गया है, जेएनपीए एसईजेड क्षेत्र के लिए विकास नियंत्रण विनियमन को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो जेएनपीए एसईजेड में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा



प्रदान करने में जेएनपीए को सक्षम बनाता है। इस प्रकार जेएनपीए एसईजेड का लक्ष्य औद्योगिक विकास के लिए एसईजेड भूमि की अधिकतम क्षमता का उपयोग करना है। पर्यावरणीय मंजूरी एवं स्थापना हेतु सहमति प्राप्त हो गई है।

## XXII. लेखा नीतियां और वार्षिक विवरणों का प्रारूप:

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को प्रभावी बना दिया है। सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम, 2021 को भी अधिसूचित किया है।


महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44(1) के अनुसार, बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा। 31 जनवरी 2023 को आयोजित भारतीय पत्तन संघ की 195वीं सामान्य सभा की बैठक के अनुसार, वार्षिक लेखों की सामान्य संरचना के विकास का कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) लेखा अनुसंधान फाउंडेशन को सौंपा गया था। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने 11 सितंबर 2024 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें (i) महापत्तनों के लिए वार्षिक खातों का सामान्य फ्रेमवर्क, जिसमें वित्तीय विवरणों के लिए उदाहरण स्वरूप प्रारूप शामिल हैं और (ii) महापत्तनों के वित्तीय विवरणों के लिए अनुशासित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां शामिल हैं। यह रिपोर्ट मंत्रालय को अनुमोदन के लिए और इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए सीएजी कार्यालय को भेजने के लिए प्रस्तुत की गई है।

चूंकि मंत्रालय/सीएजी कार्यालय से उक्त प्रारूप अभी भी प्रतीक्षित है, इसलिए पत्तन ने मौजूदा लेखांकन नीतियों और वार्षिक विवरणों के प्रारूप का पालन किया है, जिनका उपयोग पत्तन द्वारा 3 नवंबर 2021 से पहले किया गया था।

34. प्रस्तुतीकरण में एकरूपता तथा समानता बनाए रखने के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/फिर से तैयार किया गया है।

(सीएमए राजश्री के. दाबके )  
महाप्रबंधक (वित्त)

(उन्मेश शरद वाघ भा. रा. से.)  
अध्यक्ष





## लेखा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई 2024-25

## 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

हमने जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और तब समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, और वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण नीतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का समावेश है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा प्रभावशीलता एवं निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर यदि लेखा-परीक्षा के कोई प्रेक्षण होते हैं तो वे निरीक्षण रिपोर्टों / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से बताए जाते हैं।

हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के संगत वित्तीय विवरण, जो लेखांकन नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों और पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ पठित हैं, 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति, और महापत्तनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य रूपरेखा (सीएफएफआर) के अनुसार तब समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

(i) पूर्ण हो चुके कार्यों के पूंजीकरण न करने के संबंध में टिप्पणी संख्या क.1, और

(ii) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ टीडीआर से सम्बद्ध संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करने से संबंधित टिप्पणी संख्या क.3



हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शक-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ:**

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण बोर्ड, मुंबई महापत्तनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य रूपरेखा (सीएफएफआर) के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए ज़िम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हों।

### **वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ:**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शक-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

-ह.-

(विजय एन. कोठारी)

प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक (पोत परिवहन), मुंबई

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27 अक्टूबर 2025

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे के संबंध में पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई नोट

### क. तुलन पत्र

क.1 नियत परिसंपत्ति : ₹ 8825.51 करोड़

प्रगतिरत पूंजी कार्य : ₹ 713.38 करोड़

क. लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि केवल पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही परिसंपत्तियों को मान्यता देने की लेखांकन नीति संख्या 2 (घ) लेखांकन मानक 10 के अनुरूप नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद की लागत को तभी मान्यता दी जानी चाहिए यदि यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, अर्थात्, जब यह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से काम करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। यह भी देखा गया है कि पुष्टिकरण प्रमाण पत्र पत्तन के अपने विभाग अर्थात् पत्तन, योजना एवं विकास (पीपीडी) विभाग/ जेएनपीए द्वारा जारी किया जा रहा है।

ख. उपर्युक्त में 'वाई जंक्शन फ्लाय ओवर पर बिटुमेन मैस्टिक के पुनःसतहीकरण का मूल्य ₹ 4.38 करोड़ शामिल है। यह कार्य 7 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ, हालांकि, इसे लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया गया था। पूरे किए गए कार्य के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया है और प्रगतिरत पूंजी कार्यों को ₹ 4.38 करोड़ रुपये से बढ़ाकर दिखाया गया है, साथ ही मूल्यहास को भी कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹ 0.05 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया है।

ग. उपर्युक्त में बीपीसीएल पाइपलाइन पर आरसीसी क्लवर्ट के निर्माण की ₹ 0.83 करोड़ की लागत शामिल है। यह कार्य 4.68 करोड़ रुपये को सौंपा गया था तथा 31 मार्च 2018 को पूरा हो गया। इस काम का एक हिस्सा पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है; हालांकि, पूरे कार्य को पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया तथा प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹ 0.83 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया और पूर्व अवधि व्यय को 0.13 करोड़ कम तथा मूल्यहास को 0.02 करोड़ रुपये कम दिखाया गया और लाभ को 0.15 करोड़ अधिक दिखाया गया।



- घ. उपर्युक्त में 'आप्रवासन कार्यालय से बीपीसीएल जेटी एप्रोच ब्रिज तक की सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण' का ₹2.60 करोड़ मूल्य शामिल है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25, अर्थात् 28 फरवरी 2025 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपने लेखा पुस्तिका में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत संपत्तियों को कम करके दिखाया गया तथा प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹2.60 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम और लाभ को ₹0.03 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
- ङ. उपर्युक्त में 'जेएनपीटी में अतिरिक्त लिक्विड कार्गो जेट्टी के विकास' से संबंधित कार्यों का मूल्य ₹3.24 करोड़ शामिल है। उक्त कार्य ₹181.51 करोड़ को सौंपा गया था और 31 मई 2023 को पूरा हो गया था। इस कार्य का एक भाग पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है, हालाँकि, संपूर्ण कार्य पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया है और प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹3.24 करोड़ अधिक दर्शाया गया है, पूर्व अवधि व्यय को ₹0.08 करोड़ कम दर्शाया गया है, मूल्यहास को ₹0.08 करोड़ कम दर्शाया गया है और लाभ को ₹0.16 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।
- च. उपर्युक्त में ₹6.58 करोड़ की राशि शामिल है, जो ज ने पत्तन क्षेत्र में एलटी और एचटी वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने, विभिन्न एचटी और एलटी केबलों की आपूर्ति और बिछाने के साथ-साथ जेएनपीए में एचटी आरएमयू की आपूर्ति और स्थापना और संबंधित कार्यों का मूल्य है। यह कार्य 4 फरवरी 2025 को पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के बावजूद, पत्तन ने अपने लेखा पुस्तिकों में कार्य को पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को ₹6.58 करोड़ कम दर्शाया गया, प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹6.58 करोड़ अधिक दर्शाया गया, मूल्यहास को कम दर्शाया गया और लाभ को ₹0.08 करोड़ अधिक दर्शाया गया।
- छ. उपर्युक्त में ₹1.62 करोड़ की राशि शामिल है, जो 'एकीकृत ईआईएनएस के लिए सॉफ्टवेयर समाधान की आपूर्ति, स्थापना और कार्यान्वयन' कार्य का मूल्य है। यह कार्य 10 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपने लेखा-पुस्तिकों में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजी कार्य को बढ़ाकर दिखाया गया और कुल नियत परिसंपत्तियों को ₹1.62 करोड़ से कम दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम दर्शाया गया है और लाभ को ₹0.16 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।
- ज. उपर्युक्त में 'ज ने पत्तन में पत्तन सुविधा केंद्र के निर्माण' की लागत के रूप में ₹38.79 करोड़ की राशि शामिल है। यह कार्य 21 जनवरी 2025 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपनी लेखा पुस्तिकों में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम करके

दर्शाया गया तथा और प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹38.79 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम और लाभ को ₹0.39 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

झ. उपर्युक्त में 'ज ने पत्तन में व्यवसाय सुविधा केंद्र के निर्माण' की कुल लागत ₹36.56 करोड़ शामिल है। यह कार्य 21 जनवरी 2025 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपनी लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया और प्रगतिरत पूंजी कार्यों को ₹36.56 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम और लाभ को ₹0.37 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

## **क.2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम ठेकेदारों को अग्रिम: ₹700.88 करोड़ (अनुसूची 5)**

उपर्युक्त राशि में जेएनपीए परियोजना प्रभावित लोगों के लिए 12.5% योजना[1] के अंतर्गत भूमि विकास का मूल्य ₹220.45 करोड़ शामिल है। महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको) ने जेएनपीए द्वारा सौंपी गई दास्तान फाटा के निकट 111 हेक्टेयर भूमि पर डिपॉजिट के आधार पर 'जेएनपीए प्रभावित लोगों के लिए 12.50% योजना के विकास' का कार्य अपने हाथ में लिया है। इस संबंध में 18 जनवरी 2021 को जेएनपीए और सिडको के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जेएनपीए ने 31 मार्च 2025 तक सिडको को कुल ₹252.92 करोड़ जारी किए हैं। इसके जवाब में, सिडको ने 29 मार्च 2023 को ₹32.47 करोड़ का उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया है। इसके बाद, सिडको ने 22 जुलाई 2024 को ₹88.88 करोड़ की संचयी राशि का एक और उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया। लेखापरीक्षा में पाया कि ₹88.88 करोड़ की राशि के उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बावजूद, जेएनपीए ने अपने लेखा पुस्तकों में ₹88.88 करोड़ के बजाय केवल ₹32.47 करोड़ समायोजित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अग्रिम (वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम) को बढ़ाकर दिखाया गया है और प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹56.41 करोड़ कम दिखाया गया है।

## **क. 3 मान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-5) निवेश पर अर्जित ब्याज - ₹396.41 करोड़ नकद और बैंक बैलेंस (बैंकों के साथ टीडीआर सहित) - ₹5876.50 करोड़**

नकद और बैंक बैलेंस में ₹69.21[2] करोड़ की राशि शामिल है, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (फरवरी 2014) में सावधि जमा (एफडी) बनाने के लिए हस्तांतरित की गई थी और निवेश पर अर्जित ब्याज में ₹89.06 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) की राशि शामिल है। बैंक द्वारा सावधि जमा (एफडी) नहीं बनाई गई थी क्योंकि मूल राशि का बैंक कर्मचारी द्वारा गबन किया गया था और उक्त मामला सीबीआई द्वारा जाँच के अधीन है। सावधि जमा



(एफडी) के अभाव में और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा रखना विवेकपूर्ण नहीं है।

चूँकि इस बात को 11 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। ₹158.27 (₹69.21 मूलधन + ₹89.06 उपार्जित ब्याज 2021-22 तक) की संदिग्ध वसूली का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ के साथ-साथ वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों को ₹158.27 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।

उपर्युक्त मुद्दा 2013-14 से लेखापरीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है।

#### क.4 वर्तमान देयतायें और प्रावधान

##### अनुसूची 6: उपार्जित व्यय - ₹ 60.36 करोड़

उपर्युक्त में वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित व्यय का मूल्य ₹ 1.21 करोड़ शामिल नहीं है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

क्र. सं.	कार्य विवरण	राशि (₹ लाख में)
1	कंटेनर टर्मिनल में सामान्य सफाई-कार्य हेतु संविदा	16.10
2	स्वतंत्र अभियंता एन एस एफ टी पी एल (पूर्व में ज.ने.प.कं.ट.)	16.00
3	रीच स्टैकर्स की सेवाओं को किराए पर लेना	31.51
4	जे जे एल टी पी एल के लिए स्वतंत्र अभियंता की सेवाएं	57.50
	<b>कुल</b>	<b>121.10</b>

वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित खर्चों को दर्ज न करने के परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और लाभ को ₹1.21 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है।

#### ख. लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता

##### ख.1 लाभ-हानि खाता

संपत्ति किराया: ₹202.82 करोड़ (अनुसूची 10)

विशेष आर्थिक क्षेत्र आय: ₹24.87 करोड़

जेएनपीए विशेष आर्थिक क्षेत्र (जीएल-350011) के लिए सेवा-प्रभार: ₹2.53 करोड़

उपर्युक्त में वर्ष 2024-25 के लिए छह इकाई धारकों के सेवा-प्रभार से संबंधित ₹64.42 लाख शामिल नहीं हैं। राजस्व मान्यता (अनुसूची 24) से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा-नीति के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आय

को पत्तन और पट्टेदार के बीच पट्टा-करार के निष्पादन के उपरांत ही गणना (रिकॉग्नाइज) में लिया जाता है।

यह पाया गया कि छह इकाई धारकों, जिनके साथ पट्टा समझौते किए गए थे, को वर्ष 2024-25 के दौरान सेवा-प्रभार का बिल नहीं भेजा गया। बिल न भेजे जाने के परिणामस्वरूप एसईजेड की आय और लाभ में ₹0.65 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

## ख.2 वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची-20) ₹157.79 करोड़

उपर्युक्त में ₹12.49 करोड़ की राशि शामिल है, जो मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लोथल, गुजरात में समुद्री संग्रहालय के निर्माण के लिए भुगतान की गई थी। महापत्तन प्राधिकरणों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों (जून 2023) के अनुसार, आवंटित सीएसआर निधि को एक निश्चित तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें यह भी शामिल है कि 20% धनराशि निम्नलिखित गतिविधियों/योगदानों में लगाई जानी चाहिए, जिनमें शामिल हैं- (i) जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड I, (ii) राष्ट्रीय समुद्री विरासत संकुल, लोथल, गुजरात और (iii) राष्ट्रीय युवा विकास निधि।

यह देखा गया कि वर्ष के दौरान, सीएसआर के प्रावधान के माध्यम से ₹12.49 करोड़ का भुगतान करने के बजाय, इसे लाभ-हानि खाते में व्यय (वित्त और विविध व्यय) के रूप में प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक, लाभ को कम तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (वर्तमान देयताओं) के लिए प्रावधान को ₹12.49 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया।

## ख.3 बीओटी संविदाओं पर व्यय: ₹139.71 करोड़ (अनुसूची 17)

### बीएमसीटीपीएल पर व्यय: ₹14.76 करोड़

निविदा की शर्तों के अनुसार, सीएमसी शुल्क का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाएगा और शेष राशि एक वर्ष के अनुरक्षण के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर चुकाई जानी है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक की अवधि के लिए मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (एएमसी) ₹2.93 करोड़ है, जो मेसर्स स्मिथ डिटेक्शन को देय है। पत्तन ने जुलाई से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए एएमसी का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। तथापि, तीन महीने की अवधि, यथा जनवरी से मार्च 2025 तक, ₹73.25 लाख की एएमसी देय थी, लेकिन लेखा-पुस्तकों में इसका प्रावधान नहीं किया गया।



इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके , लाभ को अधिक करके तथा वर्तमान देयताओं को ₹73.25 लाख कम करके दर्शाया गया है।

#### **ख.4 निवल पूर्व-अवधि शुल्क (अनुसूची 21): ₹7.09 करोड़**

उपर्युक्त राशि में ₹101.36 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो 2022-23 तक पूरी हो चुकी 13 परिसंपत्तियों का मूल्यहास है। ये कार्य 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पूरे किए गए और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त परिसंपत्तियों के निमित्त ₹1834.20 करोड़ की राशि पूंजीकृत की गई है। तथापि, पूर्व अवधि में ₹101.36 करोड़ और वर्तमान वर्ष के व्यय में ₹19.54 करोड़ का मूल्यहास वसूलने के बजाय, इसने ₹120.90 करोड़ के मूल्यहास की पूरी राशि वर्तमान वर्ष के व्यय में प्रभारित की है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व अवधि के व्यय को कम करके दर्शाया गया है और मूल्यहास व्यय को ₹101.36 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के लेखों के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई थी।

#### **ग. प्रबंधन-पत्र**

जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन-पत्र की नोटिस में लाया गया है।

#### **घ. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन**

##### **i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

एनपीटी द्वारा प्रस्तुत 20 बैंक खातों के संबंध में 31 मार्च 2025 तक के बैंक समाधान विवरणों से पता चला है कि 1999 से ₹79.50 करोड़ की राशि की कई लंबित प्रविष्टियाँ हैं जिनका समाधान नहीं किया गया है। ऐसी लंबे समय से लंबित प्रविष्टियों का समाधान न होना कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण की ओर इशारा करता है। 2017-18 से एसएआर के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, लेकिन पत्तन ने अभी तक उचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

##### **ii. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :**

प्राधिकरण की वर्ष 2024-25 की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा के बाद प्रस्तुत की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

##### **iii. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :**

वर्ष 2024-25 के दौरान, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ। पिछले वर्ष (एस ए आर 2023-24) के दौरान केवल प.यो.वि.विभाग, अस्पताल और अग्निशमन-समुद्री से संबंधित रिपोर्टें ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत

की गई। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-23 के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में परिसंपत्तियों के बही शेष और भौतिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों के बीच तुलना नहीं दिखाई गई। उपर्युक्त आवश्यकता के अभाव में, लेखापरीक्षा यह आकलन नहीं कर सकी कि कोई विसंगतियाँ हैं या नहीं।

**iv. वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :**

प्राधिकरण ने 31 मार्च 2025 तक वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) का भौतिक सत्यापन किया है।

**v. सांविधिक बकाया-राशि के भुगतान में नियमितता :**

जेएनपीए अविवादित सांविधिक बकाया-राशि को नियमित रूप से जमा कर रहा है।

**च. सहायता अनुदान**

पत्तन ने आरंभिक अनुदान का उपयोग नहीं किया है और वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।



**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे के संबंध में पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई नोट**

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
A.1	<p><b>नियत परिसंपत्ति : ₹ 8825.51 करोड़</b></p> <p><b>प्रगतिरत पूंजी कार्य : ₹ 713.38 करोड़</b></p> <p>क) लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि केवल पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही परिसंपत्तियों को मान्यता देने की लेखांकन नीति संख्या 2 (घ) लेखांकन मानक 10 के अनुरूप नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद की लागत को तभी मान्यता दी जानी चाहिए यदि यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, अर्थात्, जब यह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से काम करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। यह भी देखा गया है कि पुष्टिकरण प्रमाण पत्र पत्तन के अपने विभाग अर्थात् पत्तन, योजना एवं विकास (पीपीडी) विभाग/ जेएनपीए द्वारा जारी किया जा रहा है।</p> <p>ख) उपर्युक्त में 'वाई जंक्शन फ्लाई ओवर पर बिटुमेन मैस्टिक के पुनःसतहीकरण का मूल्य ₹ 4.38 करोड़ शामिल है। यह कार्य 7 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ, हालांकि, इसे लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया गया था। पूरे किए गए कार्य के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया है और प्रगतिरत पूंजी कार्यों को ₹ 4.38 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर दिखाया गया है, साथ ही मूल्यहास को भी कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹0.05 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया है।</p> <p>ग) उपर्युक्त में बीपीसीएल पाइपलाइन पर आरसीसी कल्वर्ट के निर्माण की ₹0.83 करोड़ की लागत शामिल हैं। यह कार्य 4.68 करोड़ रुपयों के साथ सौंपा गया था तथा 31 मार्च 2018 को पूरा हो गया। इस काम का एक हिस्सा पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है; हालांकि, पूरे कार्य को पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया तथा प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹0.83 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया और पूर्व अवधि व्यय को 0.13 करोड़ कम तथा मूल्यहास को 0.02 करोड़ रुपये कम दिखाया गया और लाभ को 0.15 करोड़ अधिक दिखाया गया।</p> <p>घ) उपर्युक्त में 'आप्रवासन कार्यालय से बीपीसीएल जेटी एप्रोच ब्रिज तक की सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण' का ₹2.60 करोड़ मूल्य शामिल है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25, अर्थात् 28 फरवरी 2025 को पूरा हो गया था, हालांकि, पत्तन ने इसे अपने लेखा पुस्तिका में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत संपत्तियों को कम करके दिखाया गया तथा प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹2.60 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम और लाभ को ₹0.03 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>क) जैसा कि लेखा-परीक्षा के दौरान पहले ही सूचित किया जा चुका है, यह कहा गया है कि यह पद्धति पत्तन द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान अनुमोदित लेखा नीति के अनुरूप है। इसके अलावा, मंत्रालय से सभी महा पत्तनों के लिए सामान्य फ्रेमवर्क दस्तावेज प्राप्त होने पर पत्तन की लेखांकन नीति की समीक्षा की जाएगी, जिसकी भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा -परीक्षक (सीए एंड एजी) द्वारा समीक्षा की जा रही है।</p> <p>ख) लेखा-परीक्षा द्वारा बताया गया है, उक्त कार्य को दस्तावेज संख्या 2501002108 के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में पूंजीकृत किया गया है।</p> <p>ग) पूर्णता प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त हो गया है, इसलिए, उक्त कार्य को वर्तमान वित्त वर्ष में दस्तावेज संख्या 2501002109 के माध्यम से पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है।</p> <p>घ) सुलह के बाद, उक्त कार्य को वर्तमान वित्त वर्ष में दस्तावेज संख्या 2501002043 के माध्यम से पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है।</p>

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
	<p>ड) उपर्युक्त में 'जेएनपीटी में अतिरिक्त लिक्विड कार्गो जेट्टी के विकास' से संबंधित कार्यों का मूल्य ₹3.24 करोड़ शामिल है। उक्त कार्य ₹181.51 करोड़ के साथ सौंपा गया था और 31 मई 2023 को पूरा हो गया था। इस कार्य का एक भाग पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है, हालाँकि, संपूर्ण कार्य पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया है और प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹3.24 करोड़ अधिक दर्शाया गया है, पूर्व अवधि व्यय को ₹0.08 करोड़ कम दर्शाया गया है, मूल्यहास को ₹0.08 करोड़ कम दर्शाया गया है और लाभ को ₹0.16 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>ड) जेएनपीए ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में दस्तावेज संख्या 2501002111 और 2501002113 के तहत इसे पूंजीकृत किया है।</p>
	<p>च) उपर्युक्त में ₹6.58 करोड़ की राशि शामिल है, जो ज ने पत्तन क्षेत्र में एलटी और एचटी वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने, विभिन्न एचटी और एलटी केबलों की आपूर्ति और बिछाने के साथ-साथ जेएनपीए में एचटी आरएमयू की आपूर्ति और स्थापना और संबंधित कार्यों का मूल्य है। यह कार्य 4 फरवरी 2025 को पूरा हुआ। कार्य पूरा होने के बावजूद, पत्तन ने अपने लेखा पुस्तिकाओं में कार्य को पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को ₹6.58 करोड़ कम दर्शाया गया, प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹6.58 करोड़ अधिक दर्शाया गया, मूल्यहास को कम दर्शाया गया और लाभ को ₹0.08 करोड़ अधिक दर्शाया गया।</p>	<p>च) 31 जुलाई 2025 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, इसलिए, परिसंपत्ति पूर्णता से संबंधित सहायक कार्य को भी दस्तावेज संख्या 2501003443 के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सही ढंग से पूंजीकृत किया गया है।</p>
	<p>छ) उपर्युक्त में ₹1.62 करोड़ की राशि शामिल है, जो 'एकीकृत ईआईएनएस के लिए सॉफ्टवेयर समाधान की आपूर्ति, स्थापना और कार्यान्वयन' कार्य का मूल्य है। यह कार्य 10 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपने लेखा-पुस्तिकों में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजी कार्य को बढ़ाकर दिखाया गया और कुल नियत परिसंपत्तियों को ₹1.62 करोड़ से कम दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम दर्शाया गया है और लाभ को ₹0.16 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>छ) उक्त कार्य को वर्तमान वित्त वर्ष में दस्तावेज संख्या 2501002139 के माध्यम से पूंजीकृत किया गया है।</p>
	<p>ज) उपर्युक्त में 'ज ने पत्तन में पत्तन सुविधा केंद्र के निर्माण' की लागत के रूप में ₹38.79 करोड़ की राशि शामिल है। यह कार्य 21 जनवरी 2025 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपनी लेखा पुस्तिकों में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम करके दर्शाया गया तथा और प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹38.79 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम और लाभ को ₹0.39 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>ज) पूर्णता प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त हो गया है, इसलिए, उक्त कार्य को वर्तमान वित्त वर्ष में दस्तावेज संख्या 2501002907 के माध्यम से पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है।</p>
	<p>झ) उपर्युक्त में 'ज ने पत्तन में व्यवसाय सुविधा केंद्र के निर्माण' की कुल लागत ₹36.56 करोड़ शामिल है। यह कार्य 21 जनवरी 2025 को पूरा हो गया था, हालाँकि, पत्तन ने इसे अपनी लेखा पुस्तिकों में पूंजीकृत नहीं किया। पूर्ण हो चुके कार्यों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप कुल नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया और प्रगतिरत पूंजी कार्यों को ₹36.56 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा मूल्यहास को कम और लाभ को ₹0.37 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>झ) पूर्णता प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त हो गया है, इसलिए, उक्त कार्य को वर्तमान वित्त वर्ष में दस्तावेज संख्या 2501002908 के माध्यम से पहले ही पूंजीकृत किया जा चुका है।</p>



मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
क.2	<p><b>वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम</b></p> <p><b>ठेकेदारों को अग्रिम: ₹700.88 करोड़ (अनुसूची 5)</b></p> <p>उपर्युक्त राशि में जेएनपीए परियोजना प्रभावित लोगों के लिए 12.5% योजना[1] के अंतर्गत भूमि विकास का मूल्य ₹220.45 करोड़ शामिल है। महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको) ने जेएनपीए द्वारा सौंपी गई दास्तान फाटा के निकट 111 हेक्टेयर भूमि पर डिपॉजिट के आधार पर 'जेएनपीए प्रभावित लोगों के लिए 12.50% योजना के विकास' का कार्य अपने हाथ में लिया है। इस संबंध में 18 जनवरी 2021 को जेएनपीए और सिडको के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।</p> <p>जेएनपीए ने 31 मार्च 2025 तक सिडको को कुल ₹252.92 करोड़ जारी किए हैं। इसके जवाब में, सिडको ने 29 मार्च 2023 को ₹32.47 करोड़ का उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया है। इसके बाद, सिडको ने 22 जुलाई 2024 को ₹88.88 करोड़ की संचयी राशि का एक और उपयोग प्रमाणपत्र जारी किया। लेखापरीक्षा में पाया कि ₹88.88 करोड़ की राशि के उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बावजूद, जेएनपीए ने अपने लेखा पुस्तकों में ₹88.88 करोड़ के बजाय केवल ₹32.47 करोड़ समायोजित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अग्रिम (वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम) को बढ़ाकर दिखाया गया है और प्रगतिरत पूंजी कार्य को ₹56.41 करोड़ कम दिखाया गया है।</p>	<p>पत्तन, परियोजना एवं विकास विभाग से मूल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, उक्त कार्य को वर्तमान वित्त वर्ष में दस्तावेज संख्या 2512000310 और 2536002772 के माध्यम से निपटाया गया है।</p>
क.3	<p><b>वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-5)</b></p> <p><b>निवेश पर अर्जित ब्याज - ₹396.41 करोड़</b></p> <p><b>नकद और बैंक बैलेंस (बैंकों के साथ टीडीआर सहित) - ₹5876.50 करोड़</b></p> <p>नकद और बैंक बैलेंस में ₹69.21[2] करोड़ की राशि शामिल है, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (फरवरी 2014) में सावधि जमा (एफडी) बनाने के लिए हस्तांतरित की गई थी और निवेश पर अर्जित ब्याज में ₹89.06 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) की राशि शामिल है। बैंक द्वारा सावधि जमा (एफडी) नहीं बनाई गई थी क्योंकि मूल राशि का बैंक कर्मचारी द्वारा गबन किया गया था और उक्त मामला सीबीआई द्वारा जाँच के अधीन है। सावधि जमा (एफडी) के अभाव में और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा रखना विवेकपूर्ण नहीं है।</p> <p>चूँकि इस बात को 11 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। ₹158.27 (₹69.21 मूलधन + ₹89.06 उपार्जित ब्याज 2021-22 तक) की संदिग्ध वसूली का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ के साथ-साथ वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों को ₹158.27 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>उपर्युक्त मुद्दा 2013-14 से लेखापरीक्षा द्वारा उठाया जा रहा है।</p>	<p>लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ - कहता है कि प्रावधान को तब मान्यता दी जानी चाहिए जब:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो।</li> <li>ii. यह संभावित हो (अधिक संभावना है कि) कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा।</li> <li>iii. हानि की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।</li> </ul> <p>इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि बिलिमोरिया रिपोर्ट, जिसके आधार पर पत्तनों के वार्षिक लेखे तैयार किए जाते हैं, यह भी कहती है</p>

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
		<p>“यदि भविष्य की घटनाओं से संभावित वसूली को ध्यान में रखते हुए यह पुष्टि होती है कि किसी परिसंपत्ति की क्षति हुई है या कोई देयता उत्पन्न हुई है तो आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है तथा राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है।”</p> <p>चूंकि वर्तमान स्थिति में उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं और चूंकि जेएनपीए द्वारा ली गई कानूनी राय के अनुसार मामले का परिणाम जेएनपीए के पक्ष में आएगा, इसलिए प्रावधान न करने की पत्तन की भूमिका उचित है।</p> <p>इस संबंध में, मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील से भी कानूनी सलाह ली गई, जिसमें यह राय दी गई कि किसी भी लेखा प्रविष्टि (प्रावधान का निर्माण) को किसी भी तरह से बट्टे खाते में डाली जा रही राशि के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और/या अपरिवर्तनीय नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे अदालती मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जेएनपीए द्वारा ओबीसी के विरुद्ध अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान करना इस तथ्य को स्वीकार करने के समान होगा कि जेएनपीए का ओबीसी के विरुद्ध ब्याज और मूलधन पर कोई दावा नहीं है, जिससे चल रहे कानूनी मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।</p> <p>इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों का हिस्सा बनने वाली जेएनपीए की लेखा नीति (बिंदु संख्या 15) के अनुसार, “पत्तन ने तीन वर्ष से अधिक पुराने देनदारों (सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, देनदारों बीओटी/पीपीपी संचालकों और कानूनी विवाद/ न्यायालय में विचाराधीन देनदारों को छोड़कर) के 10% अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के</p>



मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट																		
		<p>लिए अपेक्षित प्रावधान किया है"। चूंकि ओबीसी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए पत्तन उपर्युक्त लेखा नीति के अनुसार इसके लिए प्रावधान नहीं कर सकता है।</p> <p>जेएनपीए ने सभी हितधारकों की जानकारी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों का हिस्सा बनने वाले नोट्स टू अकाउंट्स प्वाइंट संख्या 10 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ किए गए टीडीआर में निवेश के मामले पर एक पूर्ण और अद्यतन खुलासा भी किया है।</p> <p>निष्कर्ष के तौर पर, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 में निर्धारित मापदंडों, बिलिमोरिया रिपोर्ट जिसके आधार पर भारत में महा पत्तनों के वार्षिक लेखे तैयार किए जाते हैं, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में बताए गए प्रावधानों को मान्यता देने के लिए पत्तन की लेखा नीति और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ किए गए संपूर्ण शेष निवेश की वसूली के विषय पर कानूनी राय के साथ-साथ उस पर ब्याज के आधार पर, पत्तन ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों में मूल निवेश के साथ-साथ उस पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।</p>																		
क.4	<p><b>वर्तमान देयतायें और प्रावधान</b>  <b>अनुसूची 6: उपार्जित व्यय - ₹ 60.36 करोड़</b>  उपर्युक्त में वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित व्यय का मूल्य ₹ 1.21 करोड़ शामिल नहीं है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:</p> <table border="1" data-bbox="220 1653 1034 1944"> <thead> <tr> <th>क्र सं.</th> <th>कार्य विवरण</th> <th>राशि (₹ लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>कंटेनर टर्मिनल में सामान्य सफाई-कार्य हेतु संविदा</td> <td>16.10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>स्वतंत्र अभियंता एन एस एफ टी पी एल (पूर्व में ज.ने.प.कं.ट.)</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>रीच स्टैकर्स की सेवाओं को किराए पर लेना</td> <td>31.51</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जे जे एल टी पी एल के लिए स्वतंत्र अभियंता की सेवाएं</td> <td>57.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td>121.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित खर्चों को दर्ज न करने के परिणामस्वरूप व्यय को कम करके और लाभ को ₹1.21 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है।</p>	क्र सं.	कार्य विवरण	राशि (₹ लाख में)	1	कंटेनर टर्मिनल में सामान्य सफाई-कार्य हेतु संविदा	16.10	2	स्वतंत्र अभियंता एन एस एफ टी पी एल (पूर्व में ज.ने.प.कं.ट.)	16.00	3	रीच स्टैकर्स की सेवाओं को किराए पर लेना	31.51	4	जे जे एल टी पी एल के लिए स्वतंत्र अभियंता की सेवाएं	57.50		कुल	121.10	<p>वर्ष 2024-25 के लिए जेएनपीए के वित्तीय विवरणों में कुछ व्ययों को दर्ज न करने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण के संदर्भ में, चूंकि जिन व्ययों के लिए दस्तावेज बाद में प्राप्त हुए थे, उनका अब वर्तमान वित्तीय अवधि में पूर्ण और उचित रूप से लेखा-जोखा कर लिया गया है, इसलिए प्रेक्षण को सुधारने के लिए आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां पारित कर दी गई हैं।</p>
क्र सं.	कार्य विवरण	राशि (₹ लाख में)																		
1	कंटेनर टर्मिनल में सामान्य सफाई-कार्य हेतु संविदा	16.10																		
2	स्वतंत्र अभियंता एन एस एफ टी पी एल (पूर्व में ज.ने.प.कं.ट.)	16.00																		
3	रीच स्टैकर्स की सेवाओं को किराए पर लेना	31.51																		
4	जे जे एल टी पी एल के लिए स्वतंत्र अभियंता की सेवाएं	57.50																		
	कुल	121.10																		

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
ख ख.1	<p><b>लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता</b></p> <p><b>लाभ-हानि खाता</b>  <b>संपत्ति किराया: ₹202.82 करोड़ (अनुसूची 10)</b>  <b>विशेष आर्थिक क्षेत्र आय: ₹24.87 करोड़</b>  <b>जेएनपीए विशेष आर्थिक क्षेत्र (जीएल-350011) के लिए सेवा-प्रभार: ₹2.53 करोड़</b></p> <p>उपर्युक्त में वर्ष 2024-25 के लिए छह इकाई धारकों के सेवा-प्रभार से संबंधित ₹64.42 लाख शामिल नहीं हैं। राजस्व मान्यता (अनुसूची 24) से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा-नीति के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आय को पत्तन और पट्टेदार के बीच पट्टा-करार के निष्पादन के उपरांत ही गणना (रिकॉग्राइज) में लिया जाता है।</p> <p>यह पाया गया कि छह इकाई धारकों, जिनके साथ पट्टा समझौते किए गए थे, को वर्ष 2024-25 के दौरान सेवा-प्रभार का बिल नहीं भेजा गया। बिल न भेजे जाने के परिणामस्वरूप एसईजेड की आय और लाभ में ₹0.65 करोड़ की कमी दर्शाई गई।</p>	<p>जीएसटी छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु सेवा-प्रभार के लिए चालान कुछ औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद जारी किए जाते हैं, जैसे कि बोर्ड की मंजूरी के बाद एसईजेड विकास आयुक्त द्वारा बीएल्यूटी जारी करना, जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी छूट प्रमाण पत्र आदि, न कि केवल पट्टा-विलेख (लीज डीड) का निष्पादन।</p> <p>6 यूनिट धारकों के इस विशेष मामले में, विलंब आवश्यक दस्तावेजों की देरी से प्राप्ति के कारण हुआ, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>एसईजेड प्लॉट का जीएसटी पंजीकरण</li> <li>अनुमोदित सेवाओं की सूची (यूनिट धारक को एस ई जेड- एस ई ई पी जेड से अपना प्रमाणपत्र मिलता है)</li> <li>अनुमोदन पत्र (एलओए)</li> <li>बांड सह कानूनी वचनबद्धता (बीएल्यूटी)</li> <li>पट्टा करार</li> </ol> <p>इस आय को वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्रदान की गई है, जब इकाइयों ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन कर लिया था।</p>
ख.2	<p><b>वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची-20) ₹157.79 करोड़</b></p> <p>उपर्युक्त में ₹12.49 करोड़ की राशि शामिल है, जो मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लोथल, गुजरात में समुद्री संग्रहालय के निर्माण के लिए भुगतान की गई थी। महापत्तन प्राधिकरणों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों (जून 2023) के अनुसार, आवंटित सीएसआर निधि को एक निश्चित तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें यह भी शामिल है कि 20% धनराशि निम्नलिखित गतिविधियों/योगदानों में लगाई जानी चाहिए, जिनमें शामिल हैं-(i) जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड।, (ii) राष्ट्रीय समुद्री विरासत संकुल, लोथल, गुजरात और (iii) राष्ट्रीय युवा विकास निधि।</p> <p>यह देखा गया कि वर्ष के दौरान, सीएसआर के प्रावधान के माध्यम से ₹12.49 करोड़ का भुगतान करने के बजाय, इसे लाभ-हानि खाते में व्यय (वित्त और विविध व्यय) के रूप में प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक, लाभ को कम तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (वर्तमान देयताओं) के लिए प्रावधान को ₹ 12.49 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया।</p>	<p>वर्ष 2023-24 में मेसर्स एनएमएचसी को 12.49 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए और वित्तीय व्यय में नामे (डेबिट) कर दिए गए। यह प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुधारी जानी थी। तथापि, इस बीच, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09.07.2025 के माध्यम से एनएमएचसी को पूरी राशि वापस करने का निदेश दिया। तदनुसार, एनएमएचसी से 12.49 करोड़ रुपये की पूरी राशि प्राप्त हो गई है और वर्ष 2025-26 के दौरान वित्त एवं विविध व्यय की लेखा-प्रविष्टि भी उलट दी गई है।</p> <p>इस प्रकार, निष्कर्षतः, सीएसआर/लाभ को न तो कम करके और न ही अधिक करके बताया गया है।</p>



मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
ख.3	<p><b>बीओटी संविदाओं पर व्यय: ₹139.71 करोड़ (अनुसूची 17)</b></p> <p><b>बीएमसीटीपीएल पर व्यय: ₹14.76 करोड़</b></p> <p>निविदा की शर्तों के अनुसार, सीएएमसी शुल्क का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाएगा और शेष राशि एक वर्ष के अनुरक्षण के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर चुकाई जानी है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक की अवधि के लिए मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (एएमसी) ₹2.93 करोड़ है, जो मेसर्स स्मिथ डिटेक्शन को देय है। पत्तन ने जुलाई से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए एएमसी का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। तथापि, तीन महीने की अवधि, यथा जनवरी से मार्च 2025 तक, ₹73.25 लाख की एएमसी देय थी, लेकिन लेखा-पुस्तकों में इसका प्रावधान नहीं किया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम करके, लाभ को अधिक करके तथा वर्तमान देयताओं को ₹73.25 लाख कम करके दर्शाया गया है।</p>	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए अनुरक्षण-प्रभार को उपार्जित व्यय के रूप में दर्ज किया गया होगा, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंधित वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (एएमसी) का 50% भुगतान करते समय इसे दर्ज किया जाएगा। तथापि, 2025-2026 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देते समय जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के अनुरक्षण-प्रभार को उपार्जित व्यय के रूप में दर्शाने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।</p>
ख.4	<p><b>निवल पूर्व-अवधि शुल्क (अनुसूची 21): ₹7.09 करोड़</b></p> <p>उपर्युक्त राशि में ₹101.36 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो 2022-23 तक पूरी हो चुकी 13 परिसंपत्तियों का मूल्यहास है। ये कार्य 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पूरे किए गए और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त परिसंपत्तियों के निमित्त ₹1834.20 करोड़ की राशि पूंजीकृत की गई है। तथापि, पूर्व अवधि में ₹101.36 करोड़ और वर्तमान वर्ष के व्यय में ₹19.54 करोड़ का मूल्यहास वसूलने के बजाय, इसने ₹120.90 करोड़ के मूल्यहास की पूरी राशि वर्तमान वर्ष के व्यय में प्रभारित की है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व अवधि के व्यय को कम करके दर्शाया गया है और मूल्यहास व्यय को ₹101.36 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के लेखों के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई थी।</p>	<p>पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर, जिसमें लेखाप्रणाली मानक-10 का उल्लेख किया गया था, पूंजी निकर्षण को 2024-25 के दौरान पूंजीकृत किया गया था।</p> <p>वर्ष के दौरान, पूंजी निकर्षण पर मूल्यहास की लेखांकन पद्धति के संबंध में, यह कहा गया है कि यह पद्धति, पत्तन द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान लेखांकन नीति के अनुरूप है और इसलिए इसे लेखाप्रणाली मानक- 5 के अनुसार गलत तरीके से दर्ज करने (कमीशन) या चूक (ओमिशन) के रूप में नहीं माना जाएगा।</p>
ग	<p><b>प्रबंधन-पत्र</b></p> <p>जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन-पत्र की नोटिस में लाया गया है।</p>	

मद सं.	विवरण	पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई रिपोर्ट
घ	<p><b>आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन</b></p> <p><b>i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</b></p> <p>जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुत 20 बैंक खातों के संबंध में 31 मार्च 2025 तक के बैंक समाधान विवरणों से पता चला है कि 1999 से ₹79.50 करोड़ की राशि की कई लंबित प्रविष्टियाँ हैं जिनका समाधान नहीं किया गया है। ऐसी लंबे समय से लंबित प्रविष्टियों का समाधान न होना कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण की ओर इशारा करता है। 2017-18 से एसएआर के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, लेकिन पत्तन ने अभी तक उचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।</p> <p><b>ii. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :</b></p> <p>प्राधिकरण की वर्ष 2024-25 की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा के बाद प्रस्तुत की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।</p> <p><b>iii. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :</b></p> <p>वर्ष 2024-25 के दौरान, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ। पिछले वर्ष (एस ए आर 2023-24) के दौरान केवल प.यो.वि.विभाग, अस्पताल और अग्निशमन-समुद्री से संबंधित रिपोर्टें ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गईं। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-23 के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में परिसंपत्तियों के बही शेष और भौतिक रूप से उपलब्ध परिसंपत्तियों के बीच तुलना नहीं दिखाई गई। उपर्युक्त आवश्यकता के अभाव में, लेखापरीक्षा यह आकलन नहीं कर सकी कि कोई विसंगतियाँ हैं या नहीं।</p> <p><b>iv. वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :</b></p> <p>प्राधिकरण ने 31 मार्च 2025 तक वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) का भौतिक सत्यापन किया है।</p> <p><b>v. सांविधिक बकाया-राशि के भुगतान में नियमितता :</b></p> <p>जेएनपीए अविवादित सांविधिक बकाया-राशि को नियमित रूप से जमा कर रहा है।</p>	<p>(i) यह प्रस्तुत किया जाता है कि 79.50 करोड़ रुपये की कुल लंबित प्रविष्टियों (31 मार्च, 2025 तक बीआरएस) में से, आज की तारीख तक 17.52 करोड़ रुपये की प्रविष्टियों का मिलान पहले ही कर लिया गया है। समाधान की गई कुल राशि का प्रतिशत 27.90% है। इसके अलावा, पुरानी लंबित मदों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, जेएनपीए ने एक पेशेवर सलाहकार नियुक्त किया है, जिसे विशेष रूप से बीआरएस मदों के समाधान का कार्य सौंपा गया है। सलाहकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और वे इसे समय पर पूरा कर लेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पुरानी बीआरएस मदों से संबंधित आवश्यक समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष में विधिवत दर्ज किया जाए।</p> <p>(ii) वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 के लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गई है।</p> <p>(iii) वित्त विभाग ने 31 मार्च 2024 तक प.यो.वि. विभाग, अस्पताल और अग्निशमन विभाग द्वारा परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रस्तुत कर दिया है। शेष परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है और यथासमय प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पत्तन अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने और पेशेवरों की नियुक्ति के माध्यम से उन्हें कोड करने की प्रक्रिया में है और यह प्रक्रिया यथासमय पूरी कर ली जाएगी।</p> <p>(iv) तथ्यात्मक</p> <p>(v) तथ्यात्मक</p>
च	<p><b>सहायता अनुदान</b></p> <p>पत्तन ने आरंभिक अनुदान का उपयोग नहीं किया है और वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।</p>	<p>तथ्यात्मक</p>



# वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा 2024-25

## 2024-25 के वित्तीय मुख्य अंश

### वित्तीय निष्पादन

पत्तन की प्रचालन आय 2023-24 में 2,722.29 करोड़ रुपये से 19.81% बढ़कर 2024-25 में 3,261.69 करोड़ रुपये हो गई। प्रचालन व्यय 2023-24 में 958.33 करोड़ रुपये से 17.18% बढ़कर 2024-25 में 1,122.97 करोड़ रुपये हो गया। जेएनपीए द्वारा प्रहस्ति जलयानों और यातायात में वृद्धि के कारण बीओटी आय और जलयान संबंधी आय में वृद्धि के कारण, प्रचालन लाभ 2024-25 में 21.25% बढ़कर 2,138.72 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1,763.96 करोड़ रुपये था। कर-पूर्व लाभ एवं असाधारण मद 2023-24 में 2,064.58 करोड़ रुपये से 2024-25 में 27.78% बढ़कर 2,638.07 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में वि. से. यो. (एसवीआरएस) योजना और एनएसएफटीपीएल एवं एनएसआईसीटी के साथ निपटान समझौते के लिए असाधारण मद में 399.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह अनुग्रह राशि 43.18 करोड़ रुपये थी। पत्तन के कराधान हेतु प्रावधान वित्त वर्ष 2023-24 में 674.97 करोड़ रुपये से 72.48% घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 185.76 करोड़ रुपये हो गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रचालन अधिशेष और वित्त आय में वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2024-25 में कर के बाद शुद्ध लाभ में 52.45% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 1,346.43 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,052.62 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में वित्त व्यय में 30.40% की कमी भी हुई है, क्योंकि मार्च 2024 से जेएनपीए ऋण मुक्त संगठन हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में कोई ब्याज देनदारियां नहीं हैं।

### पत्तन के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपयों में)


क्र. सं	विवरण	इकाई	2023-24	2024-25
1	प्रचालन आय	करोड़ रुपयों में	2722.29	3261.69
2	प्रचालन व्यय	करोड़ रुपयों में	958.33	1122.97
3	प्रचालन अनुपात	प्रतिशत	35.20 %	34.42 %
4	कुल आय	करोड़ रुपयों में	3143.92	3918.84
5	कुल व्यय	करोड़ रुपयों में	1122.52	1680.47
6	कर के लिए प्रावधान	करोड़ रुपयों में	674.97	185.76
7	निवल लाभ	करोड़ रुपयों में	1346.43	2052.62
8	पूंजी व्यय (योजना व गैर योजना)	करोड़ रुपयों में	769.32	645.81
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	प्रतिशत	33.28 %	25.00 %
10	कुल कर्मचारी	संख्या में	681	625
11	बोनस निकालकर कुल मजदूरी बीजक	करोड़ रुपयों में	165.60	154.69
12	प्रचालन व्यय से वेतन एवं मजदूरी का अनुपात	प्रतिशत	17.28 %	13.77 %
13	असाधारण मद (एसवीआरएस) योजना और निपटान समझौते के लिये	करोड़ रुपयों में	43.18	399.69



## वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा - वित्तीय संकेतक

(करोड़ रुपयों में)

क्र.संख्या	विवरण	2023-24	2024-25
<b>1</b>	<b>पूंजी पर प्रतिलाभ</b>		
	<b>क कर पूर्व लाभ</b>	<b>2,021.40</b>	<b>2,238.38</b>
	ख जोड़ें : ऋण पर ब्याज	70.51	0.01
	ग घटाएँ : निवेश पर ब्याज	413.57	494.04
	घ ब्याज पूर्व लाभ	1,678.34	1,744.35
	च निवल नियोजित पूंजी (चालू कार्य और बै.सा.ज. रहित)	5043.55	6976.50
	<b>छ नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर (घ / च)</b>	<b>33.28%</b>	<b>25.00%</b>
<b>2</b>	<b>ऋण से पूंजी आरक्षित एवं अधिशेष</b>		
	क देय ब्याज सहित ऋण	-	-
	ख आरक्षित निधि एवं अधिशेष	14612.62	16,655.23
	ग अनुपात	-	-
<b>3</b>	<b>वर्तमान परिसम्पत्तियों से वर्तमान देयताएँ</b>		
	क वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (बै.सा.ज. रहित)	8768.66	10,289.61
	ख वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	8346.18	9,436.57
	ग अनुपात	<b>1.05:1</b>	<b>1.09:1</b>
<b>4</b>	<b>वर्तमान परिसम्पत्तियों से कुल परिसम्पत्तियाँ</b>		
	क वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (बै.सा.ज. रहित)	8768.66	10,289.61
	ख कुल परिसम्पत्तियाँ (आस्थगित कर परिसम्पत्ति रहित)	23149.48	25,807.23
	ग अनुपात	<b>0.38:1</b>	<b>0.40:1</b>
<b>5</b>	<b>प्रचालनीय अनुपात</b>		
	क प्रचालनीय व्यय	958.33	1,122.97
	ख प्रचालनीय आय	2,722.29	3,261.69
	ग अनुपात	<b>35.20%</b>	<b>34.42%</b>
<b>6</b>	<b>भंडार एवं सामग्री से वर्तमान परिसम्पत्तियाँ</b>		
	क भंडार एवं सामग्री का समापन स्टॉक	9.90	9.56
	ख वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (बै.सा.ज.रहित)	8768.66	10,289.61
	ग अनुपात	<b>0.11%</b>	<b>0.09%</b>
<b>7</b>	<b>कार्य अनुपात</b>		
	क प्रचालनीय व्यय (मूल्यहास छोड़कर)	786.96	848.60
	ख प्रचालनीय आय	2,722.29	3,261.69
	ग अनुपात	<b>28.91%</b>	<b>26.02%</b>





# सघन वित्तीय विवरण (वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक)

## तुलन पत्र वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>निधियों के स्रोत</b>				
पूंजीगत आरक्षित निधि	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567
राजस्व आरक्षित निधियाँ	7,05,52,32,499	23,87,50,23,826	30,92,64,70,105	38,02,61,25,071
सांविधिक आरक्षित निधियाँ	17,10,93,08,818	19,39,84,35,589	21,59,09,16,632	23,94,41,17,106
अवसंरचना आरक्षित निधि	10,129,588,419	-	-	-
<b>कुल आरक्षित निधियां एवं अधिशेष</b>	<b>70,37,72,98,303</b>	<b>79,35,66,27,982</b>	<b>88,60,05,55,305</b>	<b>98,05,34,10,744</b>
सुरक्षित ऋण - कर मुक्त बाँड	41,31,96,000	41,31,96,000	41,31,96,002	41,31,96,002
अप्रतिभूत ऋण - बाहरी वाणिज्यिक ऋण	-	5,15,52,50,750	17,78,52,84,027	27,97,20,00,001
<b>कुल ऋण देयता</b>	<b>41,31,96,000</b>	<b>5,56,84,46,750</b>	<b>18,19,84,80,029</b>	<b>28,38,51,96,003</b>
आस्थगित कर देयता	1,83,35,24,284	2,20,73,04,709	2,55,84,62,034	2,85,93,24,616
<b>निधियों के कुल स्रोत</b>	<b>72,62,40,18,587</b>	<b>87,13,23,79,441</b>	<b>1,09,35,74,97,368</b>	<b>1,29,29,79,31,364</b>



## तुलन पत्र वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

( राशि रुपये में )

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,09,44,14,347	36,09,65,63,196	36,09,89,12,511
46,06,54,11,292	51,76,13,65,234	54,99,22,81,039	63,33,47,86,197	73,63,84,37,725	89,87,62,89,382
26,38,19,29,567	28,54,12,62,799	31,18,13,29,287	33,80,39,52,583	36,39,11,84,403	40,57,70,84,850
-	-	-	-	-	-
<b>1,08,53,05,09,426</b>	<b>1,16,38,57,96,600</b>	<b>1,22,25,67,78,893</b>	<b>1,33,23,31,53,127</b>	<b>1,46,12,61,85,324</b>	<b>1,66,55,22,86,743</b>
41,31,96,002	41,31,96,000	41,31,96,000	-	-	-
26,78,43,00,001	22,79,20,00,000	19,66,75,05,000	17,03,38,41,000	-	-
<b>27,19,74,96,003</b>	<b>23,20,51,96,000</b>	<b>20,08,07,01,000</b>	<b>17,03,38,41,000</b>	-	-
1,19,46,86,896	1,45,12,48,734	3,47,14,04,522	4,33,08,61,637	5,15,28,03,348	1,02,90,99,286
<b>1,36,92,26,92,325</b>	<b>1,41,04,22,41,334</b>	<b>1,45,80,88,84,415</b>	<b>1,54,59,78,55,764</b>	<b>1,51,27,89,88,672</b>	<b>1,67,58,13,86,029</b>

## तुलन पत्र वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>निधियों का उपयोग</b>				
<b>नियत परिसम्पत्तियाँ</b>				
पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ (कार्य प्रगति पर सहित)	33,70,10,11,302	36,54,83,90,744	47,78,40,49,691	61,15,50,49,143
घटाएँ : मूल्यहास	7,36,96,61,082	8,02,39,03,865	8,78,81,36,866	9,54,83,57,248
<b>निवल नियत परिसम्पत्तियाँ</b>	<b>26,33,13,50,220</b>	<b>28,52,44,86,880</b>	<b>38,99,59,12,825</b>	<b>51,60,66,91,895</b>
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड	33,62,60,798	31,50,26,027	34,60,40,856	32,47,90,091
दुर्घटना में आरएमक्यूसी नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गई	-	-	-	-
<b>निवेश</b>	<b>73,30,00,000</b>	<b>76,78,10,000</b>	<b>1,12,68,71,516</b>	<b>3,63,73,23,026</b>
<b>आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ</b>	-	-	-	-
<b>वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम</b>				
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	71,25,27,25,817	88,89,48,20,459	1,07,00,39,05,166	1,22,55,53,27,834
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	26,02,93,18,248	31,36,97,63,925	38,11,52,32,995	48,82,62,01,482
<b>निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ</b>	<b>45,22,34,07,569</b>	<b>57,52,50,56,534</b>	<b>68,88,86,72,171</b>	<b>73,72,91,26,352</b>
घाटा	-	-	-	-
<b>कुल संपत्ति</b>	<b>72,62,40,18,587</b>	<b>87,13,23,79,441</b>	<b>1,09,35,74,97,368</b>	<b>1,29,29,79,31,364</b>



## तुलन पत्र वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

( राशि रुपये में )

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
70,87,22,55,850	76,98,28,47,275	83,00,51,61,070	90,17,60,56,977	96,61,30,08,004	95,38,88,69,633
10,34,22,75,526	10,79,63,54,064	11,98,96,74,840	13,23,44,43,522	14,80,09,04,364	17,51,77,07,602
<b>60,52,99,80,324</b>	<b>66,18,64,93,211</b>	<b>71,01,54,86,230</b>	<b>76,94,16,13,453</b>	<b>81,81,21,03,640</b>	<b>77,87,11,62,031</b>
30,35,39,326	28,23,03,094	26,10,49,869	23,97,96,643	21,85,43,418	19,72,90,192
-	52,94,84,083	52,94,84,083	52,94,84,084	-	-
<b>4,13,73,23,026</b>	<b>5,61,94,81,339</b>	<b>6,11,94,81,339</b>	<b>6,85,85,97,244</b>	<b>5,96,78,01,208</b>	<b>18,09,24,08,604</b>
-	-	2,43,20,27,055	3,16,14,66,248	3,24,59,74,287	3,87,48,01,711
1,24,93,45,48,893	1,27,90,43,50,029	1,30,08,95,82,722	1,40,96,11,76,871	1,43,49,63,45,925	1,61,91,13,92,312
52,98,26,99,245	59,47,98,70,422	64,63,82,26,883	74,09,42,78,779	83,46,17,79,806	94,36,56,68,821
<b>71,95,18,49,648</b>	<b>68,42,44,79,607</b>	<b>65,45,13,55,838</b>	<b>66,86,68,98,092</b>	<b>60,03,45,66,119</b>	<b>67,54,57,23,491</b>
-	-	-	-	-	-
<b>1,36,92,26,92,325</b>	<b>1,41,04,22,41,334</b>	<b>1,45,80,88,84,415</b>	<b>1,54,59,78,55,764</b>	<b>1,51,27,89,88,672</b>	<b>1,67,58,13,86,029</b>

## राजस्व लेखा वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>आय</b>				
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	8,61,52,536	8,55,42,832	8,89,05,432	8,90,44,709
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार	4,88,57,06,658	5,26,81,98,530	5,38,42,99,352	3,98,04,00,316
पत्तन एवं गोदी प्रभार	3,39,43,36,521	3,58,80,08,538	4,30,22,06,666	4,73,13,03,475
संपदा किराया	1,02,50,64,661	92,92,31,379	1,23,95,42,568	1,50,54,83,760
बीओटी ठेकों से आय	7,25,97,30,147	7,13,86,75,375	7,89,38,91,243	9,58,36,96,755
<b>प्रचालनीय आय (क)</b>	<b>16,65,09,90,523</b>	<b>17,00,96,56,654</b>	<b>18,90,88,45,261</b>	<b>19,88,99,29,016</b>
<b>व्यय</b>				
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण	3,80,98,426	4,97,82,586	4,99,58,318	9,76,96,786
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण	2,67,86,85,937	2,84,80,48,970	3,30,00,42,007	2,69,41,52,149
पत्तन एवं गोदी व्यय	1,62,60,38,375	1,90,36,95,236	1,19,42,42,253	1,42,50,27,584
रेल कार्यचालन	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823
किराए योग्य भूमि एवं भवन	29,17,03,688	35,15,07,368	33,71,92,745	38,59,93,799
बीओटी ठेकों पर व्यय	67,97,42,326	83,69,93,489	77,32,28,996	93,70,41,758
<b>उप योग (व्यय)</b>	<b>5,32,64,10,575</b>	<b>6,00,21,69,472</b>	<b>5,66,68,06,142</b>	<b>5,55,20,53,899</b>



## राजस्व लेखा वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

(राशि रुपये में)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
13,10,41,365	11,12,29,311	13,64,41,981	19,17,24,794	3,84,18,718	2,75,24,955
2,76,74,68,328	2,19,99,60,214	1,90,46,03,505	1,21,79,85,853	29,92,30,890	36,61,01,454
4,54,33,80,076	4,59,93,37,218	4,81,81,89,168	5,98,07,59,033	6,51,82,16,181	7,80,77,82,756
1,29,18,37,072	1,54,81,62,787	1,12,38,35,276	1,32,82,72,323	67,21,41,351	2,02,82,55,034
10,26,24,17,946	10,75,32,40,639	13,88,29,86,577	16,74,35,86,954	19,69,48,84,921	22,38,72,49,077
<b>18,99,61,44,787</b>	<b>19,21,19,30,170</b>	<b>21,86,60,56,508</b>	<b>25,46,23,28,957</b>	<b>27,22,28,92,061</b>	<b>32,61,69,13,275</b>
4,14,30,305	7,84,48,822	7,96,37,737	6,92,45,046	6,66,63,374	4,36,13,186
2,84,63,99,027	3,06,37,74,779	3,27,36,49,259	2,56,14,94,122	1,55,42,98,144	47,15,39,297
2,41,39,20,433	2,81,46,71,375	3,89,87,19,762	4,26,05,11,042	3,73,77,30,323	5,53,87,07,564
1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823
34,93,15,648	55,71,86,140	81,99,80,218	85,76,83,049	1,01,01,78,755	92,17,36,203
1,06,14,34,701	1,06,25,56,683	1,33,18,94,977	1,31,96,13,175	91,82,21,119	1,39,71,41,566
<b>6,72,46,41,937</b>	<b>7,58,87,79,622</b>	<b>9,41,60,23,774</b>	<b>9,08,06,88,257</b>	<b>7,29,92,33,538</b>	<b>8,38,48,79,639</b>

## राजस्व लेखा वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	1,60,47,44,132	2,04,75,01,995	1,84,56,29,117	2,08,50,90,883
<b>प्रचालनीय व्यय (ख)</b>	<b>6,93,11,54,707</b>	<b>8,04,96,71,467</b>	<b>7,51,24,35,259</b>	<b>7,63,71,44,782</b>
<b>प्रचालनीय अधिशेष (ग=क-ख)</b>	<b>9,71,98,35,816</b>	<b>8,95,99,85,187</b>	<b>11,39,64,10,002</b>	<b>12,25,27,84,233</b>
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय (घ)	3,19,59,86,105	4,61,46,03,346	3,45,45,75,629	4,33,88,94,673
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय (च)	1,32,11,22,525	16,53,19,226	45,14,45,406	1,90,26,55,516
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार (छ)	(4,99,55,453)	(3,80,92,956)	(2,30,96,920)	21,28,98,144
<b>कर पूर्व लाभ (ज=ग+घ-च-छ)</b>	<b>11,64,46,54,849</b>	<b>13,44,73,62,262</b>	<b>14,42,26,37,145</b>	<b>14,47,61,25,246</b>
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (ट)				
वर्तमान कर	3,33,95,72,508	4,28,03,52,159	4,55,10,97,040	4,60,19,93,947
आस्थगित कर	38,97,01,685	37,37,80,425	35,11,57,325	30,08,62,582
<b>करोत्तर लाभ (ठ=ज-ट)</b>	<b>7,91,53,80,656</b>	<b>8,79,32,29,679</b>	<b>9,52,03,82,779</b>	<b>9,57,32,68,717</b>
असाधारण मद	72,85,00,000	-	-	-
<b>निवल लाभ</b>	<b>7,18,68,80,656</b>	<b>8,79,32,29,679</b>	<b>9,52,03,82,779</b>	<b>9,57,32,68,717</b>



## राजस्व लेखा वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

(राशि रुपये में)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1,96,66,48,570	2,60,65,22,485	2,69,98,76,423	3,01,60,86,695	2,28,40,88,737	2,84,48,65,515
<b>8,69,12,90,507</b>	<b>10,19,53,02,107</b>	<b>12,11,59,00,197</b>	<b>12,09,67,74,952</b>	<b>9,58,33,22,275</b>	<b>11,22,97,45,153</b>
<b>10,30,48,54,279</b>	<b>9,01,66,28,063</b>	<b>9,75,01,56,311</b>	<b>13,36,55,54,005</b>	<b>17,63,95,69,786</b>	<b>21,38,71,68,122</b>
4,41,52,43,753	3,98,00,78,832	2,90,40,38,906	3,25,47,98,731	4,26,89,69,833	6,64,24,40,897
1,62,72,37,563	89,41,85,922	2,00,24,09,338	94,02,83,002	1,21,00,83,501	1,57,79,75,215
4,33,85,668	(1,40,70,127)	3,62,356	(23,42,15,388)	5,27,00,940	7,09,16,430
<b>13,04,94,74,801</b>	<b>12,11,65,91,100</b>	<b>10,65,14,23,524</b>	<b>15,91,42,85,122</b>	<b>20,64,57,55,178</b>	<b>26,38,07,17,373</b>
4,17,82,75,331	3,82,14,99,463	3,01,07,34,747	4,67,28,73,990	6,01,23,21,754	6,61,00,97,716
(1,66,46,37,720)	25,65,61,838	(41,18,71,267)	13,00,17,922	73,74,33,672	(4,75,25,31,486)
<b>10,53,58,37,190</b>	<b>8,03,85,29,799</b>	<b>8,05,25,60,044</b>	<b>11,11,13,93,210</b>	<b>13,89,59,99,752</b>	<b>24,52,31,51,144</b>
-	-	2,15,92,23,687.90	13,29,32,685.00	43,17,49,880.00	3,99,69,43,702
<b>10,53,58,37,190</b>	<b>8,03,85,29,799</b>	<b>5,89,33,36,356</b>	<b>10,97,84,60,525</b>	<b>13,46,42,49,872</b>	<b>20,52,62,07,441</b>

## वित्तीय अनुपात वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रचालनीय आय	1,665.10	1,700.97	1,890.88	1,988.99
प्रचालनीय व्यय	693.12	804.97	751.24	763.71
<b>परिचालनीय अनुपात (%)</b>	<b>41.63%</b>	<b>47.32%</b>	<b>39.73%</b>	<b>38.40%</b>
वित्त एवं विविध आय	319.60	461.46	345.46	433.89
कुल आय	1,984.70	2,162.43	2,236.34	2,422.88
निवल लाभ (हानि)	718.69	879.32	952.04	957.33
<b>निवल लाभ अनुपात (%)</b>	<b>36.21%</b>	<b>40.66%</b>	<b>42.57%</b>	<b>39.51%</b>
<b>कुल आय में वित्त एवं विविध आय (%)</b>	<b>16.10%</b>	<b>21.34%</b>	<b>15.45%</b>	<b>17.91%</b>
"वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (टीडीआर सहित)	7,125.27	8,889.48	10,700.39	12,255.53
वर्तमान देयताएँ	2,602.93	3,136.98	3,811.52	4,882.62
<b>वर्तमान अनुपात (कितने गुना)</b>	<b>2.74</b>	<b>2.83</b>	<b>2.81</b>	<b>2.51</b>
निवल लाभ	718.69	879.32	952.04	957.33
इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	7,037.73	7,935.66	8,860.06	9,805.34
<b>निवल मूल्य पर प्रतिलाभ</b>	<b>10.21%</b>	<b>11.08%</b>	<b>10.75%</b>	<b>9.76%</b>
कुल ऋण	41.32	556.84	1,819.85	2,838.52
<b>ऋण इक्विटी अनुपात</b>	<b>0.01</b>	<b>0.07</b>	<b>0.21</b>	<b>0.29</b>
नियोजित पूंजी	3,555.27	3,603.38	3,797.39	3,803.58
<b>नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ</b>	<b>22.49%</b>	<b>25.50%</b>	<b>30.15%</b>	<b>30.05%</b>



## वित्तीय अनुपात वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

( राशि रुपये में )

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1,899.61	1,921.19	2,186.61	2,546.23	2722.29	3,261.69
869.13	1,019.53	1,211.59	1,209.68	958.33	1,122.97
<b>45.75%</b>	<b>53.07%</b>	<b>55.41%</b>	<b>47.51%</b>	<b>35.20%</b>	<b>34.43%</b>
441.52	398.01	290.40	325.48	427.00	664.24
2,341.14	2,319.20	2,477.01	2,871.71	3,149.19	3,925.94
1,053.58	803.85	589.33	1,097.85	1,346.42	2,052.62
<b>45.00%</b>	<b>34.66%</b>	<b>23.79%</b>	<b>38.23%</b>	<b>42.75%</b>	<b>52.28%</b>
<b>18.86%</b>	<b>17.16%</b>	<b>11.72%</b>	<b>11.33%</b>	<b>13.56%</b>	<b>16.92%</b>
12,493.45	12,790.44	13,008.96	14,096.12	14,349.63	16,191.14
5,298.27	5,947.99	6,463.82	7,409.43	8,346.18	9,436.57
<b>2.36</b>	<b>2.15</b>	<b>2.01</b>	<b>1.90</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>
1,053.58	803.85	589.33	1,097.85	1,346.42	2,052.62
10,853.05	11,638.58	12,225.68	13,323.32	14,612.62	16,655.23
<b>9.71%</b>	<b>6.91%</b>	<b>4.82%</b>	<b>8.24%</b>	<b>9.21%</b>	<b>12.32%</b>
2,719.75	2,320.52	2,008.07	1,703.38	0	0
0.25	0.20	0.16	0.13	-	-
3,985.32	3,770.32	4,339.15	4,210.44	5,043.55	6,976.50
<b>25.10%</b>	<b>23.80%</b>	<b>14.61%</b>	<b>31.79%</b>	<b>33.28%</b>	<b>25.00%</b>

## प्रहस्तित यातायात वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सुखा बल्क	6,74,064	8,15,680	9,04,624	9,97,472
<b>विघटीत बल्क</b>	58,109	24,410	46,997	30,547
द्रव - जनेप न्यास	5,37,913	5,23,967	5,83,160	5,66,026
द्रव (एनएसडीटी)	-	-	-	-
द्रव (जेजेएलटीपीएफ़)	-	-	-	-
द्रव (बीपीसीएल)	59,66,743	62,57,018	66,03,321	69,97,694
कुल द्रव ( जनेप बल्क + बीपीसीएल )	<b>65,04,656</b>	<b>67,80,985</b>	<b>71,86,481</b>	<b>75,63,720</b>
<b>कुल बल्क</b>	<b>72,36,829</b>	<b>76,21,075</b>	<b>81,38,102</b>	<b>85,91,739</b>
<b>कंटेनर (जनेप कं.ट.)</b>				
टनभार	1,79,76,822	1,82,97,756	1,65,68,564	1,24,47,206
टीईयू	(14,29,223)	(15,33,975)	(14,81,768)	(10,56,368)
<b>कंटेनर (एनएसआईसीटी)</b>				
टनभार	1,20,55,150	89,00,431	78,76,537	68,52,374
टीईयू	(9,99,680)	(7,28,560)	(6,41,122)	(5,60,661)
<b>कंटेनर (एनएसआईजीटी)</b>				
टनभार	24,63,588	55,53,759	82,82,970	1,21,59,078
टीईयू	(2,02,328)	(4,45,111)	(6,59,400)	(9,47,665)
<b>कंटेनर (जीटीआईपीएल)</b>				
टनभार	2,42,94,531	2,17,78,297	2,48,93,462	2,49,00,624
टीईयू	(18,60,283)	(17,92,503)	(20,27,895)	(20,48,454)
<b>कंटेनर (बीएमसीटीपीएल)</b>				
टनभार	-	-	2,44,493	57,54,697
टीईयू	-	-	(23,212)	(5,20,126)
<b>कंटेनर (एनएसएफटीपीएल)</b>				
टनभार	-	-	-	-
टीईयू	-	-	-	-
<b>कंटेनर (एनएसडीटीपीएल)</b>				
टनभार	-	-	-	-
टीईयू	-	-	-	-
<b>कुल टनभार (जनेप कं.ट. + एनएसआईसीटी + एनएसआईजीटी + जीटीआईपीएल + बीएमसीटीपीएल + एनएसएफटीपीएल + एनएसडीटीपीएल)</b>	<b>5,67,90,091</b>	<b>5,45,30,243</b>	<b>5,78,66,026</b>	<b>6,21,13,979</b>
<b>कुल टीईयू (जनेप कं.ट. + एनएसआईसीटी + एनएसआईजीटी + जीटीआईपीएल + बीएमसीटीपीएल + एनएसएफटीपीएल + एनएसडीटीपीएल)</b>	<b>(44,91,514)</b>	<b>(45,00,149)</b>	<b>(48,33,397)</b>	<b>(51,33,274)</b>
<b>कुल योग</b>	<b>6,39,68,811</b>	<b>6,21,26,908</b>	<b>6,59,57,131</b>	<b>7,06,75,171</b>



## प्रहस्तित यातायात वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक

(मीट्रिक टनों में)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
10,17,571	8,65,989	8,07,421	13,60,245	15,89,545	18,02,117
41,117	45,414	1,12,868	5,211	2,18,122	4,93,412
3,80,564	5,31,252	7,86,103	11,51,755	7,47,796	16,727
-	-	-	-	-	3,59,474
-	-	-	-	-	198779
60,69,797	56,21,106	51,97,099	51,50,601	51,36,093	5276548
<b>64,50,361</b>	<b>61,52,357</b>	<b>59,83,202</b>	<b>63,02,356</b>	<b>58,83,889</b>	<b>58,51,528</b>
<b>75,09,049</b>	<b>70,63,760</b>	<b>69,03,491</b>	<b>76,67,812</b>	<b>76,91,556</b>	<b>81,47,057</b>
81,06,305 (7,18,863)	65,47,406 (5,44,027)	53,91,918 (4,40,210)	25,13,441 (2,06,067)	- -	- -
68,18,055 (5,31,354)	93,27,715 (7,50,978)	1,18,05,711 (9,47,887)	1,44,83,553 (10,96,954)	1,42,47,557 (11,32,232)	1,46,39,120 (12,07,729)
1,32,18,313 (9,86,624)	97,73,280 (7,79,769)	1,35,58,310 (11,86,181)	1,40,15,536 (11,37,034)	1,35,44,566 (11,11,838)	1,25,94,446 (11,29,933)
2,40,86,806 (19,85,473)	2,11,60,979 (16,68,903)	2,35,29,914 (18,65,587)	2,29,02,350 (18,46,920)	1,89,91,189 (15,88,485)	2,34,10,360 (20,78,961)
87,10,750 (8,08,873)	1,09,36,056 (9,33,154)	1,48,07,536 (12,44,694)	2,16,36,822 (17,14,246)	2,44,92,685 (20,27,781)	2,60,85,576 (22,70,181)
-	-	-	6,41,894 (49,707)	67,28,646 (5,62,154)	69,22,762 (5,94,260)
-	-	-	-	1,21,092 (7,948)	3,15,672 (20,445)
<b>6,09,40,229</b>	<b>5,77,45,436</b>	<b>6,90,93,389</b>	<b>7,61,93,596</b>	<b>7,81,25,735</b>	<b>8,39,67,936</b>
<b>(50,31,187)</b>	<b>(46,76,831)</b>	<b>(56,84,559)</b>	<b>(60,50,928)</b>	<b>64,30,438</b>	<b>73,01,509</b>
<b>6,84,08,161</b>	<b>6,47,63,782</b>	<b>7,58,84,012</b>	<b>8,38,61,408</b>	<b>8,58,17,291</b>	<b>9,21,14,993</b>






## TABLE OF CONTENTS

<b>Sr. No.</b>	<b>PARTICULAR</b>	<b>PAGE NO.</b>
1	Balance Sheet	4
2	Profit & Loss Account	6
3	Schedule to Balance Sheet	9
4	Schedule to Profit & Loss Account	27
5	Cash Flow Statement	41
6	Significant Accounting Policies	45
7	Notes on Accounts	55
8	Audit Report & Action taken thereon	85
9	Financial Performance Profile	103
10	Condensed Financial Statement (Year 2015-16 to 2024-25)	107





# ANNUAL ACCOUNTS 2024-25



## PART I: BALANCE SHEET

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	SCHEDULE	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
<b>I. SOURCES OF FUNDS</b>			
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>	1		
CAPITAL RESERVE		36,09,89,12,511	36,09,65,63,197
REVENUE RESERVES		89,87,62,89,382	73,63,84,37,725
STATUTORY RESERVES		40,57,70,84,850	36,39,11,84,402
		<b>1,66,55,22,86,743</b>	<b>1,46,12,61,85,325</b>
<b>DEFERRED TAX LIABILITY</b>	4	<b>1,02,90,99,286</b>	<b>5,15,28,03,348</b>
<b>TOTAL SOURCES OF FUNDS</b>		<b>1,67,58,13,86,029</b>	<b>1,51,27,89,88,673</b>
<b>II. APPLICATION OF FUNDS</b>			
<b>FIXED ASSETS</b>	2		
GROSS BLOCK		88,25,51,30,688	68,84,53,68,428
Less: DEPRECIATION		17,51,77,07,602	14,80,09,04,364
<b>NET BLOCK</b>		<b>70,73,74,23,085</b>	<b>54,04,44,64,066</b>
CAPITAL WORK IN PROGRESS		7,13,37,38,946	27,76,76,39,576
		<b>77,87,11,62,031</b>	<b>81,81,21,03,642</b>
<b>SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR &amp; EXPENDITURE INCURRED ON EXTENSION OF BERTH OF BOT OPERATOR</b>		<b>19,72,90,192</b>	<b>21,85,43,418</b>
<b>INVESTMENTS</b>	3		
LONG TERM INVESTMENTS		18,09,24,08,604	5,96,78,01,208
		<b>18,09,24,08,604</b>	<b>5,96,78,01,208</b>
<b>DEFERRED TAX ASSETS</b>	4	<b>3,87,48,01,711</b>	<b>3,24,59,74,287</b>
<b>CURRENT ASSETS LOANS &amp; ADVANCES:</b>	5		
INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		3,96,41,45,311	1,95,02,81,895
INVENTORIES		9,56,39,535	9,90,14,953
NET SUNDRY DEBTORS		8,39,36,86,153	7,82,54,03,338
CASH & BANK BALANCES (including TDR with banks)		58,76,50,45,920	56,02,40,92,629
LOANS & ADVANCES		90,69,28,75,393	77,59,75,53,111
		<b>1,61,91,13,92,312</b>	<b>1,43,49,63,45,925</b>



## PART I: BALANCE SHEET

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	SCHEDULE	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
<b>Less : CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>	<b>6</b>		
CURRENT LIABILITIES			
SUNDRY CREDITORS		11,09,52,64,139	14,72,85,12,892
PROVISION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY		50,68,56,880	55,91,80,160
AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES		5,77,69,402	13,49,79,908
ADVANCE PAYMENTS ETC.		19,35,63,21,306	11,52,97,92,903
ACCRUED EXPENSES		60,35,92,339	62,54,54,697
INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS		-	(25,19,07,793)
		<b>31,61,98,04,067</b>	<b>27,32,60,12,768</b>
<b>PROVISIONS:</b>			
FOR TAXATION		62,74,58,64,754	56,13,57,67,038
TOTAL PROVISIONS FOR TAXATION		62,74,58,64,754	56,13,57,67,038
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>		<b>94,36,56,68,821</b>	<b>83,46,17,79,806</b>
<b>NET CURRENT ASSETS</b>		<b>67,54,57,23,491</b>	<b>60,03,45,66,119</b>
<b>TOTAL APPLICATION OF FUNDS</b>		<b>1,67,58,13,86,029</b>	<b>1,51,27,89,88,673</b>

Major Legal Cases & Contingent Claim is incorporated under Notes on Accounts

**ACCOUNTING POLICIES** 24

**NOTES ON ACCOUNTS** 25

The schedules, referred to above, form an integral part of the Balance Sheet

(CMA RAJASHREE K DABKE)  
GENERAL MANAGER (FINANCE)

(UNMESH SHARAD WAGH, IRS )  
CHAIRMAN

## PART II: PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	Schedule No	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME</b>			
BULK HANDLING AND STORAGE CHARGES	7	2,75,24,955	3,84,18,718
CONTAINER HANDLING AND STORAGE CHARGES	8	36,61,01,454	29,92,30,890
PORT AND DOCK CHARGES	9	7,80,77,82,756	6,51,82,16,181
ESTATE RENTALS	10	2,02,82,55,034	67,21,41,354
INCOME FROM BOT CONTRACTS	11	22,38,72,49,077	19,69,48,84,921
<b>OPERATING INCOME - ( A )</b>		<b>32,61,69,13,275</b>	<b>27,22,28,92,060</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
BULK HANDLING AND STORAGE	12	4,36,13,186	6,66,63,374
CONTAINER HANDLING AND STORAGE	13	47,15,39,297	1,55,42,98,144
PORT AND DOCK EXPENDITURE	14	5,53,87,07,564	3,73,77,30,323
RAILWAY WORKINGS	15	1,21,41,823	1,21,41,823
RENTABLE LAND AND BUILDING	16	92,17,36,203	1,01,01,78,755
EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS	17	1,39,71,41,566	91,82,21,119
MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	18	2,84,48,65,515	2,28,40,88,737
<b>OPERATING EXPENDITURE - ( B )</b>		<b>11,22,97,45,153</b>	<b>9,58,33,22,275</b>
<b>OPERATING SURPLUS - ( C = A - B )</b>		<b>21,38,71,68,122</b>	<b>17,63,95,69,786</b>
ADD : FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME -( D)	19	6,64,24,40,897	4,26,89,69,833
LESS : FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE - ( E )	20	1,57,79,75,215	1,21,00,83,501
LESS : NET PRIOR PERIOD CHARGES ( F )	21	7,09,16,430	5,27,00,940
<b>PROFIT BEFORE TAX AND EXTRA-ORDINARY ITEM - ( G = C + D - E - F )</b>		<b>26,38,07,17,373</b>	<b>20,64,57,55,177</b>
EXTRA-ORDINARY ITEM ( H )	23	3,99,69,43,702	43,17,49,880
<b>PROFIT BEFORE TAX ( I = G - H )</b>		<b>22,38,37,73,671</b>	<b>20,21,40,05,297</b>



## PART II: PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	Schedule No	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
LESS : PROVISION FOR TAXATION - ( J )	22		
CURRENT TAX		6,61,00,97,716	6,01,23,21,754
DEFERRED TAX		(4,75,25,31,486)	73,74,33,672
<b>PROFIT AFTER TAX ( K = I - J )</b>		<b>20,52,62,07,441</b>	<b>13,46,42,49,871</b>
ADD: AMOUNT WITHDRAWN FROM WELFARE FUND		15,65,624	12,25,000
TOTAL AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS		20,52,77,73,065	13,46,54,74,871
<b>APPROPRIATIONS:</b>			
<b>RESERVE FOR DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOANS &amp; CONTINGENCIES</b>			
INTEREST EARNED		3,26,17,966	2,85,74,492
PROFIT TRANSFERRED TO		2,06,03,32,258	1,48,44,89,965
<b>RESERVE FOR REPLACEMENT, REHABILITATION &amp; MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS</b>			
INTEREST EARNED		2,69,45,660	2,36,05,352
PROFIT TRANSFERRED		2,06,60,04,563	1,48,94,59,105
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY		10,26,31,037	13,46,42,499
EMPLOYEES WELFARE FUND		13,89,924	10,51,930
<b>TOTAL APPROPRIATIONS</b>		<b>4,28,99,21,408</b>	<b>3,16,18,23,343</b>
<b>PROFIT TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE</b>		<b>16,23,78,51,657</b>	<b>10,30,36,51,529</b>
<b>ACCOUNTING POLICIES</b>	24		
<b>NOTES ON ACCOUNTS</b>	25		

The schedules, referred to above, form an integral part of the Profit and Loss Account

(CMA RAJASHREE K DABKE)  
GENERAL MANAGER (FINANCE)

(UNMESH SHARAD WAGH, IRS )  
CHAIRMAN





# **SCHEDULES TO BALANCE SHEET 2024-25**

**SCHEDULES TO BALANCE SHEET**  
**SCHEDULE - 1 : RESERVES AND SURPLUS AS ON 31<sup>st</sup> March, 2025**

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	TOTAL	CAPITAL RESERVE	OTHER RESERVES		STATUTORY RESERVES	
			GENERAL RESERVE	EMPLOYEE WELFARE FUND	RES. FOR DEV. REPMT. OF LOANS AND CONTINGENCIES	RES. FOR REPL. REHAB. & MODER. OF CAPITAL ASSETS
<b>A OPENING BALANCE</b>	<b>1,46,12,61,85,325</b>	<b>36,09,65,63,197</b>	<b>73,63,59,37,725</b>	<b>25,00,000</b>	<b>14,82,66,12,401</b>	<b>21,56,45,72,002</b>
<b>B ADD</b>						
TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	20,42,74,91,342	23,49,314	16,23,78,51,657	13,89,924	2,09,29,50,224	2,09,29,50,224
INTEREST ON EMPLOYEE WELFARE INVESTMENT	1,75,700	-	-	1,75,700	-	-
AMOUNT TRANSFERRED FROM CAPITAL RESERVE	-	-	-	-	-	-
TRANSFER FROM DEBENTURE REDEMPTION RESERVE	-	-	-	-	-	-
TRANSFER FROM GENERAL RESERVE	-	-	-	-	-	-
<b>C TOTAL (C= A + B)</b>	<b>1,66,55,38,52,367</b>	<b>36,09,89,12,511</b>	<b>89,87,37,89,382</b>	<b>40,65,624</b>	<b>16,91,95,62,624</b>	<b>23,65,75,22,225</b>

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULE - 1 : RESERVES AND SURPLUS AS ON 31<sup>st</sup> March, 2025

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	TOTAL	CAPITAL RESERVE	OTHER RESERVES		STATUTORY RESERVES		
			GENERAL RESERVE	EMPLOYEE WELFARE FUND	RES. FOR DEV. REPMT. OF LOANS AND CONTINGENCIES	RES. FOR REPL. REHAB. & MODER. OF CAPITAL ASSETS	
<b>D LESS</b>							
<b>INTER-RESERVE/OTHER TRANSFERS</b>							
TRANSFER TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT	15,65,624	-	-	15,65,624	-	-	-
TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	-	-	-	-	-	-	-
4) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RESERVE UTILISED DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (D)</b>	<b>15,65,624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,65,624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E CLOSING BALANCE (E = C - D)</b>	<b>1,66,55,22,86,743</b>	<b>36,09,89,12,511</b>	<b>89,87,37,89,382</b>	<b>25,00,000</b>	<b>16,91,95,62,624</b>	<b>23,65,75,22,225</b>	<b>23,65,75,22,225</b>



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

SR. NO.	CAPITAL ASSETS	GROSS BLOCK			
	PARTICULARS OF ASSETS	AS AT 01.04.2024	ADDITION DURING THE YEAR	DELETION DURING THE YEAR	AS AT 31.03.2025 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(A)	<b>LAND</b>	<b>6,03,49,21,337</b>	<b>20,43,11,751</b>	<b>(4,68,57,977)</b>	<b>6,19,23,75,111</b>
(B)	ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES	24,97,02,825	9,60,339	-	25,06,63,164
<b>II</b>	<b>CAPITAL DREDGING</b>	<b>13,44,05,97,744</b>	<b>17,57,17,80,008</b>	<b>-</b>	<b>31,01,23,77,752</b>
<b>III</b>	<b>BUILDING SHEDS &amp; OTHER STRUCTURES</b>				
(A)	TRANSIT SHEDS	-	-	-	-
(B)	WAREHOUSES	4,81,38,245	-	-	4,81,38,245
(C)	QUARTERS	1,46,54,96,764	7,82,45,763	-	1,54,37,42,527
(D)	OTHER STRUCTURES	4,31,98,18,446	3,23,358,802	(5,40,502)	4,64,26,36,745
(E)	MINOR STRUCTURES	7,38,22,432	1,75,99,296	(55,20,213)	85,9,01,515
(F)	CISF ACCOMMODATION	41,972,741	-	-	41,972,741
(G)	PRELIMINARY STUDIES & WORKS	4,28,66,998	-	-	4,28,66,998



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

(AMOUNT IN RS.)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
AS AT 01.04.2024	ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	PROVISIONS DURING THE YEAR	TOTAL AS AT 31.03.2025 (7)+(8)+(9)	AS AT 31.03.2025 (6)-(10)	AS AT 31.03.2024 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	<b>6,19,23,75,111</b>	<b>6,03,49,21,337</b>
3,07,77,747	-	2,08,53,307	5,16,31,054	19,90,32,110	21,89,25,078
<b>1,50,89,21,003</b>	-	<b>1,26,05,69,018</b>	<b>2,76,94,90,021</b>	<b>28,24,28,87,731</b>	<b>11,93,16,76,741</b>
-	-	-	-	-	-
3,49,00,229	-	12,03,456	3,61,03,685	1,20,34,560	1,32,38,016
40,63,78,286	-	3,08,88,400	43,72,66,686	1,10,64,75,841	1,05,91,18,478
61,43,22,251	(3,09,660)	9,51,52,104	70,91,64,695	3,93,34,72,050	3,70,54,96,195
1,51,66,490	(6,20,835)	36,05,490	18,151,146	67,750,369	5,86,55,941
2,27,47,993	-	8,39,455	2,35,87,447	18,385,294	1,92,24,749
4,28,66,998	-	-	4,28,66,998	-	-

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

SR. NO.	CAPITAL ASSETS	GROSS BLOCK			
	PARTICULARS OF ASSETS	AS AT 01.04.2024	ADDITION DURING THE YEAR	DELETION DURING THE YEAR	AS AT 31.03.2025 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
<b>IV</b>	<b>WHARVES, ROADS AND BOUNDARIES</b>				
(A)	WHARVES & PAVEMENTS	14,36,73,66,688	4,44,98,920	(92,26,873)	14,40,26,38,735
(B)	BOUNDARY WALLS & FENCES	1,14,80,42,276	-	(58,19,789)	1,14,22,22,486
(C)	ROADS	8,53,87,19,233	38,05,01,406	(1,24,91,734)	8,90,67,28,904
(D)	DRAINS & CULVERTS	9,27,842,192	13,97,775	-	92,92,39,967
(E)	BRIDGES	4,52,62,83,272	67,46,80,283	-	5,20,09,63,555
<b>V</b>	<b>FLOATING CRAFTS</b>	<b>5,20,24,643</b>	<b>-</b>	<b>(1,42,50,147)</b>	<b>3,77,74,496</b>
<b>VI</b>	<b>RAILWAY AND ROLLING STOCK</b>				
(C)	PERMANENT WAY INSIDE THE PORT	8,89,56,634	-	-	8,89,56,634
	PERMANENT WAY OUTSIDE THE PORT	82,92,17,158	-	-	82,92,17,158



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

(AMOUNT IN RS.)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
AS AT 01.04.2024	ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	PROVISIONS DURING THE YEAR	TOTAL AS AT 31.03.2025 (7)+(8)+(9)	AS AT 31.03.2025 (6)-(10)	AS AT 31.03.2024 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
3,555,335,988	(695,165)	362,363,559	3,91,70,04,382	10,48,56,34,353	10,81,20,30,700
13,49,01,308	(2,18,242)	3,19,00,870	16,65,83,936	97,56,38,551	1,01,31,40,968
1,14,09,31,215	(4,68,440)	22,90,44,756	1,36,95,07,531	7,53,72,21,373	7,39,77,88,017
21,60,81,192	-	2,35,04,048	23,95,85,240	68,96,54,726	71,17,60,999
48,32,37,065	-	18,10,21,909	66,42,58,973	4,53,67,04,582	4,04,30,46,207
<b>2,19,36,079</b>	<b>(1,28,53,437)</b>	<b>22,73,284</b>	<b>1,13,55,926</b>	<b>2,64,18,570</b>	<b>3,00,88,563</b>
4,81,38,276	-	14,82,611	4,96,20,886	3,93,35,748	4,08,18,358
37,41,08,021	-	1,38,20,286	38,79,28,306	44,12,88,852	45,51,09,138

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

SR. NO.	CAPITAL ASSETS	GROSS BLOCK			
	PARTICULARS OF ASSETS	AS AT 01.04.2024	ADDITION DURING THE YEAR	DELETION DURING THE YEAR	AS AT 31.03.2025 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
<b>VII</b>	<b>DOCKS, JETTIES, SEA-WALLS, PIERS &amp; NAVIGATIONAL AIDS</b>				
(A)	DOCKS & JETTIES	23,69,83,449	5,90,18,432	-	29,60,01,881
(D)	FENDERS, BUOYS & MOORINGS	12,95,72,794	-	(40,80,000)	12,54,92,794
(E)	DOCK ENTRANCE GATES	2,47,17,878	-	-	2,47,17,878
(G)	NAVIGATIONAL AIDS	12,80,75,112	-	-	12,80,75,112
<b>VIII</b>	<b>CRANES &amp; VEHICLES</b>				
(D)	OTHER EQUIPMENTS	7,17,91,273	-	(95,50,392)	6,22,40,881
<b>IX</b>	<b>PLANT &amp; MACHINERY</b>				
(A)	WORKSHOP & MACHINE TOOLS	2,89,71,700	-	-	2,89,71,700
(D)	OTHER EQUIPMENTS	15,82,44,323	1,30,61,770	(11,06,694)	17,01,99,399
(F)	WEIGH BRIDGES	50,45,399	-	-	50,45,399
(G)	HOSPITAL FURNITURE	6,93,56,607	9,89,100	-	7,03,45,707
(H)	OIL PIPE LINE	32,43,357	-	-	32,43,357



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

(AMOUNT IN RS.)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
AS AT 01.04.2024	ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	PROVISIONS DURING THE YEAR	TOTAL AS AT 31.03.2025 (7)+(8)+(9)	AS AT 31.03.2025 (6)-(10)	AS AT 31.03.2024 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
5,32,55,695	-	39,70,337	5,72,26,032	23,87,75,849	18,37,27,754
8,86,53,792	(13,60,000)	56,98,655	9,29,92,447	3,25,00,347	4,09,19,002
1,43,83,367	-	3,04,392	1,46,87,759	1,00,30,119	1,03,34,511
11,67,02,931	-	12,83,817	11,79,86,748	1,00,88,364	1,13,72,181
6,17,43,361	(86,96,967)	24,52,126	5,54,98,519	67,42,362	1,00,47,912
1,09,28,732	-	12,81,014	1,22,09,746	1,67,61,954	1,80,42,968
10,38,32,795	(10,77,482)	78,16,637	11,05,71,950	5,96,27,449	5,44,11,528
50,45,399	-	-	50,45,399	-	-
5,86,85,431	-	20,59,737	6,07,45,169	96,00,538	1,06,71,176
32,43,357	-	-	32,43,357	-	-

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

SR. NO.	CAPITAL ASSETS	GROSS BLOCK			
	PARTICULARS OF ASSETS	AS AT 01.04.2024	ADDITION DURING THE YEAR	DELETION DURING THE YEAR	AS AT 31.03.2025 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
<b>X</b>	<b>INSTALLATIONS FOR WATER, ELECT. COMMUNICATION &amp; FIRE FIGHTING</b>				
(A)	INSTALLATIONS FOR ELECTRICITY	3,29,44,54,819	7,55,97,634	-	3,37,00,52,453
(B)	INSTALLATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS	1,73,49,572	-	-	1,73,49,572
(C)	INSTALLATIONS FOR WATER	46,90,23,835	1,65,57,587	-	48,55,81,423
(D)	FIRE-FIGHTING	7,120,58,618	-	-	71,20,58,618
<b>XII.</b>	<b>CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS</b>	<b>5,95,29,43,371</b>	<b>15,280,385</b>	<b>(24,25,154)</b>	<b>5,96,57,98,601</b>
<b>XIII.</b>	<b>COMPUTER &amp; ELECTRONIC EQUIPMENT</b>				
(A)	COMPUTER	87,52,01,994	3,15,40,847	(6,02,706)	90,61,40,135
(B)	ELECTRONIC EQUIPMENT	30,83,26,160	78,26,482	-	31,61,52,642
(C)	OTHER ELECTRONIC EQUIPMENTS	2,75,33,356	17,76,083	-	2,93,09,439



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

(AMOUNT IN RS.)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
AS AT 01.04.2024	ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	PROVISIONS DURING THE YEAR	TOTAL AS AT 31.03.2025 (7)+(8)+(9)	AS AT 31.03.2025 (6)-(10)	AS AT 31.03.2024 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
1,03,94,65,984	-	8,44,15,308	1,12,38,81,291	2,24,61,71,161	2,25,49,88,835
1,26,35,605	-	11,63,278	1,37,98,883	35,50,689	47,13,967
14,76,65,829	-	1,62,72,184	16,39,38,013	32,16,43,409	32,13,58,006
56,64,69,252	-	2,18,08,778	58,82,78,030	12,37,80,588	14,55,89,366
<b>2,87,30,25,934</b>	<b>(3,03,310)</b>	<b>24,76,40,970</b>	<b>3,12,03,63,594</b>	<b>2,84,54,35,007</b>	<b>3,07,99,17,437</b>
63,21,47,638	(4,45,799)	5,20,49,307	68,37,51,146	22,23,88,989	24,30,54,356
22,82,42,222	-	2,70,72,254	25,53,14,476	6,08,38,166	8,00,83,938
90,28,198	-	45,97,500	1,36,25,698	15,68,3,741	1,85,05,158

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

SR. NO.	CAPITAL ASSETS	GROSS BLOCK			
	PARTICULARS OF ASSETS	AS AT 01.04.2024	ADDITION DURING THE YEAR	DELETION DURING THE YEAR	AS AT 31.03.2025 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
<b>XIV</b>	<b>VEHICLES &amp; OTHER OFFICE MACHINES</b>				
(A)	VHF TRANSRECEIVER	3,96,86,066	-	-	3,96,86,066
(B)	ZEROX & PHOTOCOPYING MACHINE	1,17,01,751	32,22,779	-	1,49,24,530
(C)	OFFICE EQUIPMENTS	94,51,984	29,000	-	94,80,984
(D)	VEHICLES	34,85,037	-	-	34,85,037
<b>XV.</b>	<b>CAPITAL SPARES</b>	<b>7,23,60,346</b>	-	-	<b>7,23,60,346</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>68,84,53,68,428</b>	<b>19,52,22,34,442</b>	<b>(11,24,72,182)</b>	<b>88,25,51,30,688</b>
	CAPITAL WORKS IN PROGRESS	27,76,76,39,576	(1,11,16,66,189)	19,52,22,34,442	7,13,37,38,946
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>96,61,30,08,005</b>	<b>18,41,05,68,253</b>	<b>19,40,97,62,260</b>	<b>95,38,88,69,634</b>



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULES : 2 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2025

(AMOUNT IN RS.)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
AS AT 01.04.2024	ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	PROVISIONS DURING THE YEAR	TOTAL AS AT 31.03.2025 (7)+(8)+(9)	AS AT 31.03.2025 (6)-(10)	AS AT 31.03.2024 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
3,24,71,314	-	36,07,376	3,60,78,690	36,07,376	72,14,753
1,00,51,241	-	11,37,348	1,11,88,589	37,35,942	16,50,510
84,86,467	-	2,86,754	87,73,221	7,07,763	9,65,517
16,29,332	-	4,12,253	20,41,585	14,43,452	18,55,705
<b>7,23,60,346</b>	-	-	<b>7,23,60,346</b>	-	-
<b>14,80,09,04,364</b>	<b>(2,70,49,338)</b>	<b>2,74,38,52,577</b>	<b>17,51,77,07,602</b>	<b>70,73,74,23,086</b>	<b>54,04,44,64,065</b>
-	-	-	-	7,13,37,38,946	27,76,76,39,576
<b>14,80,09,04,364</b>	<b>(2,70,49,338)</b>	<b>2,74,38,52,577</b>	<b>17,51,77,07,602</b>	<b>77,87,11,62,031</b>	<b>81,81,21,03,641</b>

# SCHEDULES TO BALANCE SHEET

## SCHEDULE - 3 INVESTMENTS

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	CAPITAL RESERVE FUND	DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOAN & CONTINGENCIES RESERVE FUND	REPLACEMENT & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS RESERVE FUND	REVENUE RESERVE FUND	GENERAL INSURANCE FUND	WELFARE FUND	TOTAL AS ON 31/03/2025	TOTAL AS ON 31/03/2024
<b>CURRENT INVESTMENTS</b>								
DEBENTURES OR BONDS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CURRENT INVESTMENTS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LONG TERM INVESTMENTS</b>								
QUOTED INVESTMENTS								
INVESTMENT IN DREDGING CORPORATION OF INDIA.	2,57,40,43,948	-	-	-	-	-	2,57,40,43,948	2,57,40,43,948
INVESTMENT IN BHARAT BOND ETF	-	-	-	-	-	-	-	-
UNQUOTED INVESTMENTS								
DEBENTURES OR BONDS	12,06,48,405	-	-	-	-	-	12,06,48,405	12,06,48,405
SHARES IN MJNPTPRCL	75,90,61,516	-	-	-	-	-	75,90,61,516	75,90,61,516
SHARE IN INDIAN PORT RAIL CORPORATION LTD.	15,30,00,000	-	-	-	-	-	15,30,00,000	15,30,00,000
SHARE IN VADHAVAN PORT PROJECT LTD.	9,62,48,10,000	-	-	-	-	-	9,62,48,10,000	48,10,000
Investment in LICMF AM LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHERS	-	-	-	-	-	-	-	-
LEAVE ENCASHMENT INVESTMENT WITH LIC	97,85,65,875	-	-	-	-	-	97,85,65,875	97,85,65,875
SHARES IN NAGPUR MMLP PVT LTD	3,88,22,78,859	-	-	-	-	-	3,88,22,78,859	1,37,76,71,463
<b>TOTAL LONG TERM INVESTMENTS</b>	<b>18,09,24,08,603</b>	-	-	-	-	-	<b>18,09,24,08,603</b>	<b>5,96,78,01,208</b>
<b>GRAND TOTAL INVESTMENTS</b>	<b>18,09,24,08,603</b>	-	-	-	-	-	<b>18,09,24,08,603</b>	<b>5,96,78,01,208</b>



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULE - 4 DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITIES

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
<b><u>DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITY ON DEPRECIATION</u></b>		
OPENING BALANCE	(5,15,28,03,348)	(4,33,08,61,637)
CURRENT YEAR DEFERRED TAX CHARGE	4,12,37,04,062	(82,19,41,711)
<b>BALANCE AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>(1,02,90,99,287)</b>	<b>(5,15,28,03,348)</b>
<b><u>DEFERRED TAX ASSETS ON 43B ITEMS</u></b>		
OPENING BALANCE ADJUSTMENTS	-	5,16,85,042
DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	3,87,48,01,711	3,19,42,89,245
BALANCE AT THE END OF THE YEAR	3,87,48,01,711	3,24,59,74,287
<b>TOTAL DEFERRED TAX ASSETS (LIABILITY) AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>2,84,57,02,424</b>	<b>(1,90,68,29,062)</b>

Note : Income Tax Rate prevalent during the year has been considered for computing the different tax Asset/Liability

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULE - 5 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
<b>CURRENT ASSETS</b>		
INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS	3,96,41,45,310	1,95,02,81,895
INVENTORIES	18,53,18,371	-
Less : PROVISION FOR SLOW MOVING/NON MOVING INVENTORY	(8,96,78,837)	-
	9,56,39,534	9,90,14,953
<b>SUNDRY DEBTORS</b>		
<b>GOVERNMENT DUES</b>		
LESS THAN SIX MONTHS OLD	4,13,80,591	4,53,79,087
MORE THAN SIX MONTHS OLD	2,57,43,55,087	2,41,50,11,169
<b>NON GOVERNMENT DUES</b>		
LESS THAN SIX MONTHS OLD	20,18,02,333	17,43,58,755
MORE THAN SIX MONTHS OLD	5,34,91,68,541	5,06,62,16,385
<b>TOTAL DUES</b>	<b>8,16,67,06,552</b>	<b>7,70,09,65,392</b>
ADD ACCRUED INCOME	36,94,77,513	22,73,88,732
	8,53,61,84,065	7,92,83,54,128
LESS PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	14,24,97,913	10,29,50,790
<b>NET SUNDRY DEBTORS</b>	<b>8,39,36,86,152</b>	<b>7,82,54,03,338</b>



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULE - 5 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
<b>CASH &amp; BANK BALANCES</b>		
IMPREST CASH	5,38,500	5,51,000
CASH AT SCHEDULED BANKS	(25,06,96,625)	74,32,78,573
T D R WITH NATIONALISED BANKS	59,01,52,04,044	55,28,02,63,056
<b>TOTAL CASH &amp; BANK BALANCES</b>	<b>58,76,50,45,919</b>	<b>56,02,40,92,629</b>
<b>LOANS &amp; ADVANCES</b>		
ADVANCES TO CONTRACTORS	7,00,87,51,955	3,52,24,38,898
ADVANCES TO EMPLOYEES	3,14,05,029	1,51,07,459
STATUTORY DEPOSITS	70,47,34,33,625	62,13,30,26,744
MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES	2,98,29,62,677	2,69,68,90,046
OTHER RECEIVABLES	49,60,96,833	53,69,37,268
LOAN TO MUMBAI JNPA PORT ROAD CO. LTD (MJPRCL)	8,05,23,44,559	8,05,23,44,559
LOAN TO DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED (DCIL)	1,64,78,80,713	64,08,08,137
<b>TOTAL LOANS &amp; ADVANCES</b>	<b>90,69,28,75,393</b>	<b>77,59,75,53,111</b>
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>1,61,91,13,92,309</b>	<b>1,43,49,63,45,926</b>

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET

### SCHEDULE - 6 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
<b>SUNDRY CREDITORS</b>		
CREDITORS FOR CAPITAL WORKS	2,27,21,99,262	4,90,16,00,439
DUES PAYABLE TO EMPLOYEES	77,35,914	89,73,96,752
DEPOSITS FROM MERCHANT CONTRACTORS ETC.	1,72,94,28,310	1,99,79,75,087
MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES	1,17,93,81,944	87,47,45,333
CREDITORS FOR RETIREMENT BENEFITS	97,35,95,998	97,51,72,124
INCOME BILLED IN ADVANCE	4,93,29,22,711	5,08,16,23,155
<b>TOTAL SUNDRY CREDITORS</b>	<b>11,09,52,64,139</b>	<b>14,72,85,12,892</b>
PROVISION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	50,68,56,880	55,91,80,160
AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES	5,77,69,403	13,49,79,908
ADVANCE PAYMENTS & UNEXPIRED DISCOUNTS	19,35,63,21,306	11,52,97,92,903
ACCRUED EXPENSES	60,35,92,339	62,54,54,697
INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS	-	(25,19,07,793)
<b>PROVISIONS:</b>		
FOR TAXATION	62,74,58,64,754	56,13,57,67,038
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	<b>94,36,56,68,821</b>	<b>83,46,17,79,806</b>



# **SCHEDULES TO PROFIT & LOSS ACCOUNT 2024-25**

## SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME</b>		
<b>SCHEDULE - 7</b>		
<b>BULK HANDLING &amp; STORAGE CHARGES</b>		
WHARFAGE ON BULK CARGO	70,01,688	2,41,40,101
MISCELLANEOUS BULK INCOME	2,05,23,266	1,42,78,617
<b>TOTAL INCOME FROM BULK HANDLING &amp; STORAGE CHARGES</b>	<b>2,75,24,955</b>	<b>3,84,18,718</b>
<b>SCHEDULE - 8</b>		
<b>CONTAINER HANDLING &amp; STORAGE CHARGES</b>		
CONTAINER HANDLING CHARGES	18,74,88,598	10,72,20,196
CONTAINER STORAGE CHARGES	-	(1,40,497)
ROYALTY INCOME FROM CFS	8,11,40,445	8,91,75,362
WHARFAGE ON NON STANDARD CARGO	4,92,578	89,81,378
MISCELLANEOUS CONTAINER INCOME	9,69,79,832	9,39,94,452
<b>TOTAL INCOME FROM CONTAINER HANDLING &amp; STORAGE CHARGES</b>	<b>36,61,01,454</b>	<b>29,92,30,890</b>



## SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME</b>		
<b>SCHEDULE - 9</b>		
<b>PORT AND DOCK CHARGES</b>		
<b>PORT DUES INCOME</b>		
PORT DUES - FOREIGN CONTAINER VESSELS	48,50,604	11,38,736
PORT DUES - ONGC VESSELS	43,40,905	48,70,528
PORT DUES - SUPPLY VESSELS	29,58,813	32,58,171
PORT DUES - COASTAL CONTAINER VESSELS	-	11,875
PORT DUES - NSICT VESSELS	35,60,69,849	30,32,85,027
PORT DUES - BPCL VESSELS	11,10,53,996	9,68,62,995
PORT DUES - SHALLOW WATER BERTH	1,87,03,888	3,03,31,810
PORT DUES - GTIPL VESSELS	45,79,16,149	29,63,44,055
PORT DUES - NSIGT VESSELS	44,07,28,516	39,69,08,128
PORT DUES - BMCTPL	69,36,43,344	59,84,61,348
PORT DUES - NSDTPL VESSELS	53,31,437	40,84,524
PORT DUES - NSFTPL VESSELS	19,11,18,223	19,13,59,741
<b>TOTAL INCOME FROM PORT DUES</b>	<b>2,28,67,15,725</b>	<b>1,92,69,16,938</b>

## SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME</b>		
<b>PILOTAGE INCOME</b>		
PILOTAGE - FOREIGN CONTAINER VESSELS	96,25,557	23,93,138
PILOTAGE - ONGC VESSELS	1,30,71,511	1,49,58,526
PILOTAGE - SUPPLY VESSELS	37,59,108	41,39,355
PILOTAGE - COASTAL CONTAINER VESSELS	2,183	-
PILOTAGE - NSICT VESSELS	73,13,92,032	62,26,10,426
PILOTAGE - BPCL VESSELS	22,90,11,234	19,86,51,763
PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - BT	3,86,45,950	6,34,10,335
PILOTAGE - GTIPL VESSELS	87,28,45,905	57,44,35,202
PILOTAGE - NSIGT VESSELS	80,58,64,993	73,05,80,030
PILOTAGE - BMCTPL VESSELS	1,36,30,37,492	1,15,58,40,769
PILOTAGE - NSDTPL VESSELS	1,18,57,080	90,82,358
PILOTAGE - NSFTPL VESSELS	39,20,55,538	39,20,78,042
<b>TOTAL INCOME FROM PILOTAGE</b>	<b>4,47,11,68,584</b>	<b>3,76,81,79,944</b>



## SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME</b>		
<b>BERTH HIRE INCOME</b>		
BERTH HIRE - FOREIGN CONTAINER VESSELS	75,65,091	71,73,355
BERTH HIRE - ONGC VESSELS/SUPPLY VESSELS	2,64,506	3,34,148
BERTH HIRE - COASTAL CONTAINER VESSELS	88,882	2,98,597
BERTH HIRE - NSICT VESSELS	25,36,14,174	19,65,47,611
BERTH HIRE - BPCL VESSELS	14,78,77,450	13,52,29,644
BERTH HIRE - SHALLOW WATER BERTH	2,49,14,960	2,42,50,399
BERTH HIRE - GTIPL VESSELS	43,94,54,937	27,70,15,897
BERTH HIRE - NSFTPL VESSELS	12,86,09,432	13,88,77,311
<b>TOTAL INCOME FROM BERTH HIRE</b>	<b>1,00,23,89,432</b>	<b>77,97,26,962</b>
<b>MISCELLANEOUS INCOME - MARINE</b>	<b>4,75,09,015</b>	<b>4,33,92,336</b>
<b>TOTAL INCOME FROM PORT &amp; DOCK CHARGES</b>	<b>7,80,77,82,756</b>	<b>6,51,82,16,181</b>
<b>INCOME</b>		
<b>SCHEDULE - 10</b>		
<b>ESTATE RENTALS</b>		
RENT ON LAND	1,49,32,96,232	22,40,30,779
RENT ON BUILDING	4,03,69,301	4,08,49,801
RENT FROM TOWNSHIP	5,44,74,379	2,62,72,435
RECOVERY OF ELECTRICITY CHARGES	2,64,73,628	5,84,00,538
RECOVERY OF WATER CHARGES	6,15,77,033	5,65,72,773
SEZ INCOME	24,87,16,040	17,24,81,919
MISCELLANEOUS INCOME-ESTATE	10,33,48,422	9,35,33,107
<b>TOTAL INCOME FROM ESTATE RENTALS</b>	<b>2,02,82,55,034</b>	<b>67,21,41,351</b>

## SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME</b>		
<b>SCHEDULE - 11</b>		
<b>INCOME FROM BOT CONTRACTS</b>		
<b>INCOME FROM NSICT</b>		
ROYALTY INCOME NSICT	5,81,71,69,670	5,13,53,47,350
OTHER CHARGES NSICT	14,17,95,631	14,37,53,933
<b>TOTAL INCOME FROM NSICT</b>	<b>5,95,89,65,301</b>	<b>5,27,91,01,283</b>
<b>INCOME FROM BPCL</b>		
ROYALTY INCOME BPCL	27,15,81,673	24,89,34,101
OTHER CHARGES BPCL	3,48,67,965	44,454
<b>TOTAL INCOME FROM BPCL</b>	<b>30,64,49,638</b>	<b>24,89,78,554</b>
<b>INCOME FROM GTIPL</b>		
LEASE RENTALS GTIPL	69,09,66,469	62,57,59,949
REVENUE SHARE GTIPL	3,51,72,84,246	2,48,26,47,570
OTHER CHARGES GTIPL	24,78,36,821	28,92,63,249
<b>TOTAL INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL)</b>	<b>4,45,60,87,537</b>	<b>3,39,76,70,768</b>
<b>INCOME FROM BMCT</b>		
LEASE RENTALS BMCT	61,98,01,233	53,46,12,321
REVENUE SHARE BMCT	5,74,31,09,600	4,87,99,10,830
OTHER CHARGES BMCT	20,45,46,023	19,69,23,786
<b>TOTAL INCOME FROM BMCT</b>	<b>6,56,74,56,856</b>	<b>5,61,14,46,938</b>



## SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>INCOME FROM NSIGT</b>		
LEASE RENTALS NSIGT	7,76,93,050	5,20,99,388
REVENUE SHARE NSIGT	2,31,10,68,057	2,24,69,32,293
OTHER CHARGES NSIGT	12,30,17,052	18,54,49,399
<b>TOTAL INCOME FROM NSIGT</b>	<b>2,51,17,78,160</b>	<b>2,48,44,81,080</b>
<b>INCOME FROM NSFTPL</b>		
ROYALTY NSFTPL	2,08,23,64,019	2,21,16,94,105
OTHER CHARGES NSFTPL	17,74,01,362	11,80,71,423
<b>TOTAL INCOME FROM NSFTPL</b>	<b>2,25,97,65,380</b>	<b>2,32,97,65,528</b>
<b>INCOME FROM NSDTPL</b>		
ROYALTY NSDTPL	27,89,51,026	29,73,60,575
OTHER CHARGES NSDTPL	(54,87,785)	4,60,80,194
<b>TOTAL INCOME FROM NSDTPL</b>	<b>27,34,63,241</b>	<b>34,34,40,770</b>
<b>INCOME FROM JSW</b>		
ROYALTY JSW	5,06,29,960	-
OTHER CHARGES JSW	26,53,004	-
<b>TOTAL INCOME FROM JSW</b>	<b>5,32,82,964</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INCOME FROM BOT CONTRACTS</b>	<b>22,38,72,49,077</b>	<b>19,69,48,84,921</b>

(AMOUNT IN RS)

<b>PARTICULARS</b>	<b>For the Year ended 31.03.2025</b>	<b>For the Year ended 31.03.2024</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 12</b>		
<b>EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE</b>		
ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	4,36,13,186	2,83,80,223
DEPRECIATION BULK	-	3,82,83,152
<b>TOTAL EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE</b>	<b>4,36,13,186</b>	<b>6,66,63,374</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 13</b>		
<b>EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE</b>		
OPERATION AND MAINTENANCE OF QUAY CRANES	-	9,44,34,285
OPERATION AND MAINTENANCE OF YARD CRANES	-	9,54,73,434
OPERATION AND MAINTENANCE OF TRACTOR TRAILORS	-	49,95,725
HIRE OF OTHER CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS	2,42,75,990	5,61,35,699
FACILITY MANAGEMENT	-	1,51,10,703
OTHER CONTAINER HANDLING EXPENDITURE	39,59,19,590	(53,07,3,538)
ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	4,33,55,707	84,08,50,626
DEPRECIATION - CONTAINER	79,88,010	50,03,71,209
<b>TOTAL EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE</b>	<b>47,15,39,297</b>	<b>1,55,42,98,144</b>



(AMOUNT IN RS)

<b>PARTICULARS</b>	<b>For the Year ended 31.03.2025</b>	<b>For the Year ended 31.03.2024</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 14</b>		
<b>PORT AND DOCK EXPENDITURE</b>		
BERTHING AND MOORING	-	2,931
POLLUTION CONTROL	30,47,609	4,14,555
PILOTAGE AND TOWING	1,29,30,15,736	1,17,09,57,312
DRY DOCKING EXPENSES	6,28,564	14,37,436
WATER SUPPLY TO SHIPPING	39,53,802	67,38,566
FIRE FIGHTING	18,71,91,472	12,96,34,369
DREDGING AND MARINE SURVEY	2,29,86,30,603	1,92,63,26,325
OPERATION & MAINTENANCE OF NAVIGATIONAL AIDS	1,65,07,140	94,62,828
ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	35,85,74,096	23,56,97,081
NEW MINOR WORKS		2,63,687
DEPRECIATION - MARINE	1,37,71,58,543	25,67,95,233
<b>TOTAL EXPENDITURE ON PORT AND DOCK</b>	<b>5,53,87,07,564</b>	<b>3,73,77,30,323</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 15</b>		
<b>RAILWAY WORKING</b>		
DEPRECIATION - RAILWAY	1,21,41,823	1,21,41,823
<b>TOTAL EXPENDITURE ON RAILWAY WORKING</b>	<b>1,21,41,823</b>	<b>1,21,41,823</b>

<b>PARTICULARS</b>	<b>For the Year ended 31.03.2025</b>	<b>For the Year ended 31.03.2024</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 16</b>		
<b>RENTABLE LAND AND BUILDINGS</b>		
ESTATE MAINTENANCE	36,69,43,024	45,22,12,261
ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	39,08,110	23,07,660
NEW MINOR WORKS - ESTATE	7,75,311	1,63,81,902
SEZ EXPENDITURE	20,50,82,836	20,03,45,429
DEPRECIATION - ESTATE	34,50,26,923	33,89,31,503
<b>TOTAL EXPENDITURE ON RENTABLE LAND AND BUILDINGS</b>	<b>92,17,36,203</b>	<b>1,01,01,78,755</b>
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 17</b>		
<b>EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS</b>		
EXPENDITURE ON NSICT	8,04,05,543	9,64,96,772
EXPENDITURE ON BPCL	2,42,14,434	99,20,405
EXPENDITURE ON GTIPL	15,67,36,665	17,24,70,091
EXPENDITURE ON NSIGT	6,71,18,671	7,34,39,963
EXPENDITURE ON BMCTPL	14,76,29,494	11,74,97,948
EXPENDITURE ON NSFTPL	5,23,52,091	5,80,31,057
EXPENDITURE ON NSDTPL	3,61,16,577	3,83,56,121
EXPENDITURE ON JSW	33,31,824	-
DEPRECIATION - BOT	82,92,36,267	35,20,08,763
<b>TOTAL EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS</b>	<b>1,39,71,41,566</b>	<b>91,82,21,119</b>



(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 18</b>		
<b>MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION</b>		
MANAGEMENT AND SECRETARIAL EXPENSES	88,99,64,916	74,48,84,495
ACCOUNTING AND AUDIT	24,53,20,217	28,22,60,214
LABOUR & WELFARE EXPENSES	36,72,32,260	20,01,28,862
MEDICAL EXPENSES	32,87,26,003	33,74,77,270
STORE KEEPING	10,17,20,838	6,61,09,637
EXPENDITURE ON BUILDINGS & ROADS	13,57,22,711	15,87,06,116
PORT MANAGEMENT COMPUTER CENTRE	15,51,96,744	10,86,47,104
ENGINEERING AND WORKSHOP	44,86,80,813	25,28,59,669
DEPRECIATION - ADMINISTRATION	17,23,01,012	13,30,15,371
<b>TOTAL EXPENDITURE ON MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION</b>	<b>2,84,48,65,515</b>	<b>2,28,40,88,737</b>

(AMOUNT IN RS)

<b>PARTICULARS</b>	<b>For the Year ended 31.03.2025</b>	<b>For the Year ended 31.03.2024</b>
<b>INCOME</b>		
<b>SCHEDULE - 19</b>		
<b>FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME</b>		
INTEREST INCOME FROM INVESTMENTS AND LOANS	4,94,04,10,999	4,13,56,54,090
INTEREST ON STAFF ADV/ DELAYED PAYMENTS	26,328	33,01,654
SALE OF UNSERVICEABLE MATERIALS	99,65,187	3,01,08,561
INCOME FROM LAUNCH PASS	22,02,180	46,77,645
INCOME FROM GUEST HOUSE	1,18,000	-
FOREIGN EXCHANGE FLUCTUATIONS GAINS	-	2,64,607
SUNDRY INCOME	1,68,97,18,203	9,49,63,275
<b>TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME</b>	<b>6,64,24,40,897</b>	<b>4,26,89,69,833</b>



(AMOUNT IN RS)

PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 20</b>		
<b>FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE</b>		
RETIREMENT GRATUITY, PENSION, LEAVE ENCASHMENT AS PER ACTUARIAL VALUATION	2,58,37,890	18,18,11,307
<b>INTEREST ON LOANS</b>		
INTEREST ON ECB LOAN	-	70,51,27,515
INTEREST ON OVERDRAFT	1,35,372	-
<b>TOTAL INTEREST ON LOANS</b>	<b>1,35,372</b>	<b>70,51,27,515</b>
LOSS ON SALE OF ASSETS	13,67,248	-
BANK CHARGES (Incl. Bond Issue Expenses)	1,75,358	21,56,256
EXPENDITURE ON HIRE OF LAUNCHES	1,52,13,850	2,33,57,157
GUEST HOUSE EXPENDITURE	5,42,23,947	4,52,12,649
SUNDRY EXPENSES	1,48,10,21,550	25,24,18,616
<b>TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE</b>	<b>1,57,79,75,215</b>	<b>1,21,00,83,501</b>

(AMOUNT IN RS)

<b>PARTICULARS</b>	<b>For the Year ended 31.03.2025</b>	<b>For the Year ended 31.03.2024</b>
<b>NET INCOME</b>		
<b>SCHEDULE - 21</b>		
<b>NET PRIOR PERIOD CHARGES</b>		
PRIOR PERIOD INCOME	(89,10,000)	-
PRIOR PERIOD EXPENSES	7,98,26,430	5,27,00,940
<b>TOTAL NET PRIOR PERIOD CHARGES</b>	<b>7,09,16,430</b>	<b>5,27,00,940</b>
<b>NET EXPENDITURE</b>		
<b>SCHEDULE - 22</b>		
<b>PROVISION FOR TAXATION</b>		
CURRENT TAX		
PROVISION FOR INCOME TAX	6,61,00,97,716	6,01,23,21,754
<b>TOTAL CURRENT TAX</b>	<b>6,61,00,97,716</b>	<b>6,01,23,21,754</b>
DEFERRED TAX		
DEFERRED TAX CHARGES	(4,75,25,31,486)	73,74,33,672
TOTAL DEFERRED TAX	(4,75,25,31,486)	73,74,33,672
<b>TOTAL PROVISION FOR TAXATION</b>	<b>1,85,75,66,230</b>	<b>6,74,97,55,426</b>
<b>SCHEDULE - 23</b>		
<b>EXTRA-ORDINARY ITEM</b>		
EX GRATIA TOWARDS SVRS SCHEME & CONCILLIATION SETTLEMENT	3,99,69,43,702	43,17,49,880
<b>TOTAL EXTRA-ORDINARY ITEM</b>	<b>3,99,69,43,702</b>	<b>43,17,49,880</b>

Note: Income Tax rate prevalent during the year has been considered for computing the Deferred Tax Asset/Liability



# CASH FLOW STATEMENT

## 2024-25

## CASH FLOW STATEMENT

(Rs- in Crores)

	<b>PARTICULARS</b>	<b>For the Year ended 31.03.2025</b>	<b>For the Year ended 31.03.2024</b>
<b>A</b>	<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
	NET SURPLUS BEFORE TAX	2,638.07	2,064.58
	<b>ADJUSTMENTS FOR</b>		
	DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD	274.39	163.15
	AMORTISATION OF SHEDS	2.13	2.13
	PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS	0.23	0.21
	INTEREST/DIVIDEND INCOME	(494.04)	(413.57)
	INTEREST EXPENDITURE	0.01	70.51
	INCOME TAX PAID (NET)	561.76	(354.34)
	PAYMENTS MADE OUT OF CSR FUND	(15.50)	(1.43)
	EXTRA-ORDINARY ITEM	(399.69)	(43.17)
	<b>OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES</b>	<b>2,567.35</b>	<b>1,488.07</b>
	<b>WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS</b>		
	<b>SUNDRY DEBTORS</b>	<b>(56.83)</b>	<b>51.71</b>
	INVENTORIES	0.34	10.98
	CSR	5.23	(12.03)
	ADVANCES/DEBIT BALANCES	(1,871.27)	(336.87)
	CREDITORS & PAYABLES	404.19	356.23
	<b>TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS</b>	<b>(1,518.34)</b>	<b>70.02</b>
	<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A</b>	<b>1,049.01</b>	<b>1,558.09</b>



## CASH FLOW STATEMENT

(Rs- in Crores)

	PARTICULARS	For the Year ended 31.03.2025	For the Year ended 31.03.2024
<b>B</b>	<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
	PURCHASE/SALE OF FIXED ASSETS(NET)-INTERNAL RESOURCES	119.71	(650.20)
	LOAN REPAYMENT BY MJPRCL	-	2,300.00
	INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	292.65	391.61
	CHANGE IN INVESTMENTS	(1,212.46)	89.08
	<b>TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B</b>	<b>(800.10)</b>	<b>2,130.48</b>
<b>C</b>	<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
	REPAYMENT OF LOANS	0.00	(1,703.38)
	INTEREST ON LOANS	25.18	(135.12)
	<b>TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C</b>	<b>25.18</b>	<b>(1,838.50)</b>
<b>D</b>	<b>INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)</b>	<b>274.09</b>	<b>1,850.08</b>
<b>E</b>	OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs	5,602.41	3,752.33
	CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs	5,876.50	5,602.41
	<b>INCREASE/(DECREASE)</b>	<b>274.10</b>	<b>1,850.08</b>





# **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

## **2024-25**

## SCHEDULE –24

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 1. Revenue Recognition :-

**The Port's major sources of income are classified as follows:**

- a. Vessel Related Charges consisting mainly of Pilotage, Port dues and berth hire charges,
- b. Cargo related charges consisting mainly of handling charges and wharfage charges for both Container and Bulk,
- c. Dwell time charges on cargo both Container and Bulk,
- d. Estate Related Charges for land and buildings, namely, Rent, Water, Electricity and SEZ income.
- e. Royalty/Revenue sharing from BOT Projects / CFS & MGT.
- f. Interest/Dividend Income on investments,
- g. Services rendered to BOT operators.
- h. SEZ related income
  - i) Vessel Related Charges and Cargo Related Charges at (a) & (b) above are recognized immediately on completion of the services to be rendered. For vessels and related cargo, where the service is not completed at the end of the accounting period, the revenue is recognized in the next accounting period. This is as per the completed service contract method under AS-9 (Revenue Recognition). Dwell time income at (c) is recognized only during the period where the cargo lies in the Port, after reducing any free period applicable.
  - ii) For Estate Related Charges, rents are receivable per month or part thereof. Therefore, rental income is recognized in the beginning of the month. In the case of fixed water charges, the income is recognized in the beginning of the month and where the consumption is dependent on the meter reading, revenue is recognized on the billing done in the subsequent month. In the case of electricity, income is recognized on billing i.e. in the subsequent month. SEZ income is recognised on



execution of lease agreement between Port and lessee.

All the Upfront Lease Income is recognised equally over the period of Lease.

- iii) Interest on Bonds, Fixed Deposits is recognized on accrual basis.
- iv) SEZ income is recognized on execution of lease agreement between Port and the lessee. However, for Accounting purpose, the Port is recognising the SEZ income on a deferred basis over the lease period and that the entire year's income is being recognized for the first year of lease irrespective of the month the lease agreement was entered into.

- v) Minimum Guaranteed Throughput :-

The Arbitral Tribunal has given in award in favour of LCBUA in May 2012 in respect of common issued against JNPA. Port has filed appeal against the said award and the matter is sub-judice in the Hon'ble High Court. In the invoice raised upto March, 2009 in-respect of penalty for Minimum Guaranteed Throughput (MGT) have been disputed. During F.Y. 2009- 2010 a decision had been taken not raise bills in respect of wharfage on shortfall in Minimum Guaranteed Throughput of Tank Farm Operators. However, calculation of MGT is workout on yearly basis and the same is mentioned in Annual Accounts by the way of Notes to Accounts.

JNPA has started raising the bill w.e.f. 1st April 2021 as per arbitration award.

With the approval of JNPA Board the case of tank farm operators was refer to Conciliation and Settlement Committee of IPA for amicable resolution as opined by the Legal Retainer of JNPA and in accordance with directions of MoPSW dated 10.06.2019. If the matter in respect of MGT between the Tank Farm operators and JNPA are settled through CSC then JNPA will withdraw the case from Hon' ble High Court Bombay.

- vi) All other income including interest on employee advances are recognized on cash basis in keeping with need to be conservative and prudent.

## 2. Fixed Assets :-

- a) Fixed assets are stated in the books at historical value, based on actual cost consisting of construction cost, purchase price including import duties, other taxes and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.
- b) Administration and other general overhead expenses, unless they are specifically attributable and directly identifiable with the project/assets, are excluded from the cost of fixed assets.
- c) Profit/(Loss) on sale/disposal of Fixed assets are transferred in Capital Reserve from Financial Year 2022-23.
- d) Assets are capitalised only on receipt of completion certificate from the department overseeing implementation of the project or purchase of the asset.

## 3. Depreciation :-

Depreciation of fixed assets is provided on straight-line basis based on the economic life of assets given in the directives/circulars/guidelines issued by the Government.

Assets capitalized during the year are depreciated as follows:

### Assets put to use

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. upto 30 days                  | : Nil                      |
| 2. Above 30 days & upto 180 days | ; Half (50%)               |
| 3. Above 180 days                | : Full depreciation (100%) |

## 4. Investments :-

The Port's investments broadly consist of the following:-

- a) PSU Bonds/other bonds,
- b) Equity/Sub-ordinate loan in SPV,



- c) Fixed Deposits with Bank.
- d) Mutual Fund including Overnight Fund.

The investment in PSU Bonds have been made at par and generally in the nature of long term investments to be redeemed on maturity at par value. Therefore, they are valued at cost (par value).

## 5. Retirement Benefits :-

- a) Pension, Gratuity and leave encashment liability to employees are provided for on accrual basis based on actuarial valuation done once in three years. Contributions are made to Pension Fund and Gratuity Fund created in Trusts set up for this purpose and the funds are managed by LIC of India. The leave encashment liability has also been provided w.e.f. 31st March'2004 and annual contributions are being made to the Leave Encashment fund managed by LIC of India.
- b) Annual contribution to be made shall not be less than the amount of disbursement made in that financial year.
- c) The latest actuarial valuation of liability of all the three superannuation funds, the amount of investments held by each of this fund and the shortfall if any shall be disclosed in the Notes on Accounts to the financial statements of the Port.
- d) Employers contribution to Contributory Provident Fund are charged to the Profit & Loss Account.
- e) The amounts recovered from the members of General Provident Fund towards Provident Fund are transferred to Provident Fund Trust formed for this purpose.

## 6. Interest on Investments :-

Until the year 2002-03, interest earned on investment was credited to Revenue Account. At the insistence of audit, and as per the requirements of the Billimoria Report, the interest earned on investments pertaining to the following reserves were credited directly to the reserves in financial year 2003-04.

- a) Reserve for replacement, rehabilitation and modernization of capital assets.
- b) Reserve for development, repayment of loans and contingencies.

This was a change in accounting policy, and the impact is disclosed in the Notes on Accounts for the year 2003-04.

The Port was not in agreement with the method prescribed by the Billimoria Report and therefore sought the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Expert Advisory Committee opined that the earlier practice followed by Port is correct. Therefore, with the approval of CAG, the Port is crediting the interest to revenue accounts then making appropriation below the line as per earlier practice.

Interest Income on employee fund investment has been transferred to employee welfare fund from financial year 2023-24.

## 7. Inventories :-

Inventories mainly consist of maintenance spares, tools and consumables and are valued at cost determined on moving average method. The total inventory also includes inventories lying at sub stores.

## 8. Provision for Slow Moving Inventory :-

The accounting policy suggested in the Billimoria Report which forms part of common frame work of accounting policy for all the Major Ports, is reproduced below;

1. Inventory of spares less than 2 years to be considered at cost.
2. Inventory more than 2 years and less than 4 years to be depreciated 25% of cost.
3. Inventory more than 4 years and less than 6 years to be depreciated 50% of cost.
4. Inventories more than 6 years to be depreciated 90% of cost.



5. The balance of inventories after 6 years to be carried forward at residual value to be charged off at the time of utilisation or to be written off by specific approvals.

## **9. Borrowing Costs :-**

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets are capitalized till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalization is charged to Revenue on accrual basis.

## **10. Foreign Currency Transactions :-**

- i) Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction.
- ii) Port has certain incomes like vessel related charges and dwell time charges on container which are denominated in US\$, but collected in Indian Rupees using the reference rate of RBI as on date of entry of vessel into Port. For export containers, the exchange rate shall be as on the date of arrival of containers in the Port premises.

## **11. Insurance of Port Assets :-**

The Port's property are national assets and the Port has been insuring these assets since 2006 against Act of God Peril which includes all perils of nature beyond the control of human being, like Storm, Cyclone, Earthquake, Tsunami, Flood, Inundation, and also perils of fire, Terrorisms and insurable liabilities, Hull etc. The insurance policies also includes Business Interruption losses of the port due to insured peril, Channel blockage etc. This is in line and in compliance with the directives received from Ministry and IPA.

Accordingly, the Port finalized and placed the renewal of Comprehensive Port Package Policy w.e.f. 01.04.2025 to continue till close of 31.03.2026 with a New India Assurance Co. Ltd. through due process of Tendering.

## 12. **Accounting for Taxes on Income AS – 22 :-**

The Port has adopted AS-22 in the Financial Statement, which has become mandatory. This has resulted in the Balance Sheet and Profit and Loss Account to include Deferred Taxation. Accordingly, timing differences mainly on account of depreciation, and on account of SEZ income received in advance resulting in Deferred Tax Assets and liabilities, charges and credits have been recognized in the accounts.

## 13. **Change in accounting policy effective from FY 2010-11 in respect of disputed income :-**

Reference is invited to the decision taken in the 13th Board Meeting held on 29th March 2011 wherein following resolution was passed :

“RESOLVED in compliance with the requirements of Accounting Standard 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Instruction of the Ministry of Shipping and Transport, to address the audit objections raised by C&AG and to present a more appropriate preparation and presentation of the financial statements, to approve the change in the policy of accounting for the income arising to JNPA from “Penalty for Shortfall and Throughput”. “Penal interest on outstanding dues” and “any other income of JNPA” which are disputed by the concerned Operators, to the effect that such disputed income shall be recognised in the financial year in which it is reasonable to expect the ultimate collection.

Resolved further that this change shall be effective from the financial year 2010-11”.

In compliance with the above, MGT income for the year 2024-25 has not been recognised in the financial statements.

## 14. **Corporate Social Responsibility (CSR) :-**

The Ministry of Port, Shipping and Waterways vide circular No.PD-12019/1/2020-PD-VI (IV) dated 28th June, 2023, considering the economic, social and environmental impact of the activities of the Ports on the society and the environment, has directed



all Ports to provide for CSR activities ranging from 0.5% to 2.0% if the net profit in the previous financial year is Rs. 500 Crores. & above. As per Board Resolution no.89/15.01.2016, it was resolved that a CSR Liability may be created as per the guidelines issued by the Ministry

For the year 2024-25, CSR @0.5% of the profit after tax has been created to the extent of Rs.10.26 Crores.

## **15. Provision for Doubtful Debts :-**

Port has provided requisite provision for bad and doubtful debts of 10% of debtors ageing more than three years old (excluding Government Bodies, PSUs, debtors, BOT/PPP operators & debtors which are under legal dispute/sub-judice).

(i) The requisite provision for bad and doubtful debts of 10% of debtors ageing more than three years old (excluding Government Bodies, PSUs, BOT/PPP operators & debtors which are under legal dispute/ sub judice) has been made.

(ii) In case of debts more than three years, firm wise analysis and review is to be made and wherever, it is felt necessary, a provision of 10 per cent of the debt due is to be made.

(iii) If the amounts of debtors for whom provision was made in the previous year is not realized in the subsequent year, another 10 per cent provision is to be made.

## **16. Accounting Policies and Format of Annual Statements :-**

The Central Government has made effective Major Port Authorities Act, 2021 w.e.f 3rd November 2021. The Government has also notified Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rules, 2021.

As per Section 44(1) of the Major Port Authority Act, Board will prepare Annual Statement of Accounts in such form as prescribed by Central Government in consultation with Comptroller and Auditor General of India. As per the 195th General Body Meeting of IPA held on 31st January 2023, the recommendation

of the Departmental Standing Committee (DSC) on Finance and Investments for engagement of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) Accounting Research Foundation to undertake the work of development of common framework of Annual Accounts of Major Port Authorities under MPA Act 2021 and Major Port authorities (Accounts and Audit Rules), 2021 has been approved and accordingly work order dated 17th February 2023 has been issued to ICAI. The first preliminary meeting to discuss the aforesaid issue with ICAI was held on 13th April 2023 and latest meeting was held on 14th March 2024 at IPA, New Delhi.

Since the said format is still awaited as per the aforesaid developments, the Port has followed the existing accounting policies and format of annual statements which were used by Port before 3rd November 2021.



# NOTES ON ACCOUNTS 2024-25

## SCHEDULE-25

### NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

#### I. MODERNIZATION OF PORTS:-

##### 1) DEVELOPMENT OF PORT BASED SEZ :-

To make success of the 'Make in India' campaign, JN Port has taken the lead to develop Port based SEZ in total area of 277.38 hectares. The EPC contract to develop basic infrastructure at cost of Rs.476 Cr is awarded on 6th October 2016 and work is completed in June 2021.

JNPA has developed a robust power distribution system comprising 220/33 kV main receiving substation along with downstream underground cable network and distribution substation of 33/11 kV to supply quality and uninterrupted power to consumers located in our license area. Present Status JNPA SEZ is allotting the land on 60 years lease to investors. The allotment is done through transparent e-tender cum e-auction process. The JNPA SEZ out of 277 Ha land, 162 Ha (@ 400 acres) to be allotted 60 years on lease. A total of 54 investors are allotted land in JNPA SEZ of around @125 ha (@308 acres), which includes 85 acres of land for M/s Nhava Sheva Business Park (NSBPL) for FTWZ. 11 units in JNPA SEZ have generated their first invoice from their JNPA SEZ unit and are declared operational unit and thus JNPA SEZ is now first Port based operational multi product SEZ in India. Another 7 units have started their construction activities and are planning to commence their operations soon. M/s. NSBPL have partly operationalized for their FTWZ unit on the plot allotted to them. JNPA-SEZ commenced its operations in August, 2021 as a Distribution licensee within the area of supply. As on date there are 36 consumers (including eleven of JNP SEZ utilities) are on board to whom electrical supply has been provided and the energy billing is done by Distribution licensee.



Sr. No.	Description	Remark
1	No of Unit Holders	54 (36 Agreement executed and balance are in process).
2	Total Upfront Payment Received	Rs.12,77,73,42,082.00
3	Balance Upfront Payment Receivable	Rs. 3,99,06,52,991.85
4	SEZ Fixed Assets	Rs.6,23,53,32,620.00
5	SEZ CWIP	Rs.26,78,92,485.71
6	SEZ Upfront Fees received in Advance	Rs.8,43,07,62,597.35

## 2) DEVELOPMENTS OF VADHAVAN PORT :-

To boost industrial development and inclusive growth of Indian economy, JN Port has planned to develop a port at Vadhvan, in Palghar District, Maharashtra. This is proposed to be developed by JNPA and MMB with shareholding of 74% and 26% respectively. The in-principle approval in this regard is received from Government of India. The field studies/surveys directed by MoEF&CC as compliance to approved ToR for EC are completed. DPR and detailed engineering is completed. The EC for the project is received. Approval from the Union cabinet was also received on 08-07-2024. JNPA has incurred total cost of Rs.117.26 Crores on Vadhvan Port Project Ltd till 31st March 2025 and the same is being reimbursed from M/s. Vadhvan Port Project Ltd along with 10% markup.

## 3) CAPITAL DREDGING :-

The Port has incurred Capital dredging expenditure of Rs.1711.46 crores till 31st March, 2025 which has been retained in CWIP and has been capitalized in 2024-25.

#### 4) PROPOSED ICONIC CORPORATE BUILDING OF JNPA & VPPL AT MALET BUNDER IN MUMBAI.

##### Estimated Cost : 900 (In Cr) (tentative)

JNPA intends to develop an 'Iconic High-Rise Building' of more than 20 floors on this plot which will be a landmark building in South Mumbai for Corporate office. The site is strategically located near the starting point of Eastern Freeway. It has excellent connectivity by Road, Rail, air & waterways. 12,804 sqm plot for 30 years on lease is taken from MbPA. JNPA has initiated discussion with M/s. Engineers India Ltd (EIL) for taking up the consultancy (Detailed Design engineering & PMC) services for the proposed construction. The building will have a digital observatory & a viewing gallery on the topmost floor & will have a state-of-the art auditorium with facility for about 200 pax on ground floor. Top floors will house corporate office of JNPA & VPPL. Other floors will be lease to Port allied agencies such as DG Shipping etc. Also, Central & State government offices. The building will be developed completely as a highest rated Green Building. Target completion date is Sept, 2027.

#### 5) DRY PORTS :-

##### a. DRY PORT WARDHA :-

In terms of MoU dated 22/10/2021 between JNPA and NHLML, a Special Purpose Vehicle (SPV) has been formed to establish a MMLP, at Sindi, near Nagpur for improving the logistics efficiency and reduce logistics costs of freight movements.

As per Clause No.4.1. c of the MoU, the cost incurred by JNPA towards development of boundary wall, development of rail connectivity (including cost of land required for rail connectivity), and other consultancy charges amounting to a total of appx INR 126.83 crores will form part of JNPA's equity contribution to the SPV. JNPA has so far incurred expenditure of Rs.137.76 crores in this project.

The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 1500 crores only divided into 150 crores equity shares of Rs.10 each. On the basis of contribution by JNPA & NHLML, the percentage of shareholding works out to 61.61% (NHLML) and 38.39% (JNPA). Accordingly, JNPA has been allotted 13,75,03,703 equity share capital out of



35,81,30,797 shares of SPV as per Clause 4 (1 e). Any change in the percentage of shareholding on the basis of contribution can be implemented by transferring shares from one shareholder to the other.

#### **b. DRY PORT JALNA :-**

In terms of MoU dated 21/09/2022 between JNPA and NHLML, a Special Purpose Vehicle (SPV) has been formed to establish a MMLP, at Jawasgaon and Daregaon, near Nagpur for improving the logistics efficiency and reduce logistics costs of freight movements.

As per Clause No.4.1. c of the MoU, the cost incurred by JNPA towards development of boundary wall, development of rail connectivity (including cost of land required for rail connectivity), and other consultancy charges amounting to a total of appx INR 247.45 crores (223.55+23.90 future investment) will form part of JNPA's equity contribution to the SPV. JNPA has so far incurred expenditure of Rs.250.70 crores in this project.

In this backdrop, JNPA has appointed a firm of Chartered Accountants for the certification of the cost incurred towards the Jalna project on the basis of which SPV will be requested to initiate the procedure at their end for issuing the shares to JNPA.

#### **II. 18% PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL IN DREDGING CORPORATION OF INDIA LTD :-**

Ministry of Shipping, Govt of India vide its letter dated 19th November, 2018 on the Subject – “Strategic Disinvestment of Dredging Corporation of India Ltd. (DCIL)”, has accorded in-principle approval for Strategic Disinvestment of 100% GOI shares in DCIL in favour of consortium of 4 Ports, namely, Vishakhapatnam Port Authority (Consortium Leader), Paradip Port Authority, Jawaharlal Nehru Port Authority and Kandla Port Authority (Now Deendayal Port Authority).

Accordingly, JNPA has acquired 18% (50,40,101 No. of Shares) Paid up Equity Shares of Dredging Corporation of India Ltd. from Govt. of India at the rate of Rs. 510/- per share. Chairman, JNPA has been appointed as Director in the board of DCIL. The market value of investment in Dredging Corporation of India as on 31.03.2025 is Rs. 2,74,30,74,969.25 only.

### III. INCOME TAX RELATED MATTERS: -

Income Tax Return for Assessment Year 2024-25 has been filed within the prescribed date during the year.

The Income Tax Assessment status for the various years is summarized as below:

Assessment Year	Particulars
AY 2003-04 to AY 2005-06	<p>The Hon'ble ITAT of Mumbai vide its order dated 30/09/2010 had directed the assessing officer to examine the matter, on merits, for eligibility to tax exemption as a result of the registration u/s. 12AA. However the assessing officer has done de-novo assessment without taking into consideration the directions issued by the Hon'ble ITAT. JNPA had filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the said order. Also, an early hearing petition was filed with the CCIT, Thane for early disposal of the case.</p> <p>Thereafter the case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing specifically for the erstwhile assessment years. The CIT (Appeals) passed order on 21-12-2015 granting tax exemption u/s.11 to the Port as a result of the registration u/s.12AA. The case was regularly followed up with DCIT, Panvel for giving effect to the CIT (Appeals) orders which would result in considerable refunds to the Port.</p> <p>However, the DCIT, Panvel abruptly transferred the Port's case records to DCIT (Exemptions), Pune without giving an opportunity to the Port for presenting its argument against the transfer. Aggrieved by this the Port has filed a writ petition with Hon'ble Bombay High Court which was listed for admission hearing on 06-05-2016. The case was heard and the matter has been adjourned to 15-06-2016.</p> <p>Further hearings were held in the matter and income tax department filed an affidavit claiming that transfer of case records was as a result of creation of new charge of CIT (Exemptions) Pune by CBDT. They also agreed that</p>



Assessment Year	Particulars
AY 2003-04 to AY2005-06	<p>order effect of CIT (Appeals), Aurangabad shall be passed immediately after the writ petition is decided upon. Accordingly, the writ petition was withdrawn by the Port. The CIT (Exemp), Pune passed the order effect and refund amounts of Rs.313.40 Crores were issued to JNPA in October, 2016. The matter has been further appealed with ITAT, Mumbai on certain issues which need to be decided upon. Further, Income Tax Department has filed appeal with ITAT, Pune against the exemption u/s 11 provided to JNPA.</p>
AY 2006-07 to AY 2007-08	<p>The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment years has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPA to tax exemption u/s.11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration u/s.12AA.</p> <p>The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said cases.</p> <p>The Hon'ble Bombay High Court has vide its order dated 08-06-2015 dismissed both the appeals of the Income Tax Dept. Further the Income Tax Dept. has filed appeals for both the years with the Hon'ble Supreme Court. The case of Assessment year 2006-07 was dismissed by the Honorable Supreme court on 5th September 2018 and the case for Assessment Year 2007-08 was dismissed by Honorable Supreme Court on 31st January 2018.</p>
AY 2008-09	<p>The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment year has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPA to tax exemption u/s. 11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration under section 12AA.</p> <p>The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said case. The said case has been dismissed by High Court in our favour vide order dated 24.10.2016 and it is pending with Supreme court.</p> <p>In meanwhile the case was re-opened by DCIT, Panvel u/s.148 of the IT Act. The order for the same was passed by DCIT on 15-03-2016 against which the Port has filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the additions made.</p>

Assessment Year	Particulars
AY 2009-10	JNPA has preferred appeal with the ITAT, Mumbai against the order passed by CIT (Appeals), Thane for the said assessment year against the additions made. For the said assessment year the Port is also trying to seek exemption u/s.11 by filing additional grounds of appeal.
AY 2010-11 & AY 2011-12	JNPA have preferred appeals with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. The case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing for the said assessment years. The orders were passed by CIT (Appeals) confirming the additions made by JCIT, Panvel. The Port has filed an appeal with ITAT, Mumbai against the said orders of CIT (Appeals), Aurangabad. For the said assessment years the Port has also filed additional grounds of appeal to seek exemption u/s.11 of the Income Tax Act.
AY 2012-13	Assessment order was passed by Assessing Officer wherein the major issue involved was disallowance of claim of deduction u/s.80IA. An appeal was filed before CIT(A). All the necessary documents, maps, reports which are in support to the claim of 80IA by JNPA has been furnished before CIT (A). Further additional ground was filed for the exemption u/s 11. CIT(A) vide order dated 21.12.2017 dismissed the appeal of JNPA. The port has filed an appeal before ITAT which is pending for adjudication.
AY 2013-14	JNPA have preferred appeal with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. Sec.80IA deduction claimed by Port has been disallowed by the IT Dept. which has been appealed before the CIT (Appeals), Thane. Further additional ground was filed for the exemption u/s 11. CIT(A) vide order dated 21.12.2017 dismissed the appeal of JNPA. The port has filed an appeal before ITAT which is pending for adjudication.



Assessment Year	Particulars
AY 2014-15	<p>The assessment proceedings were resumed after the writ petition filed by the Port against the transfer of case records to DCIT (Exemptions), Pune was withdrawn. Necessary documents and supporting were submitted with the Assessing Officer. The assessment order u/s.143(3) was passed by DCIT (Exem)(HQ), Pune. An appeal has been filed with CIT (Appeals), Pune on 25-01-2017 against the order passed by DCIT. The issues involved are denying exemption benefit u/s.11, disallowance of deduction u/s.80IA and other additions. CIT(A) vide order dated 22.12.2017 dismissed the appeal of JNPA. The port has filed an appeal before ITAT which pending for adjudication.</p>
AY 2015-16	<p>Assessment order dated 28.12.2017 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 20.01.2018. The order has been passed by CIT(A) dated 18.03.2019 and JNPA has filed an appeal before ITAT.</p> <p>Refund of Rs.23.08 Crores. was received in Nov.2017 for AY 2015-16</p>
AY 2016-17	<p>Assessment order dated 26.12.2018 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 24.01.2019.</p> <p>The said assessment year has been reopened vide issue of notice u/s 148 dated 31.03.2021. JNPA has filed objections to the said notice. The final order is yet to be received as on 31.03.2024.</p>
AY 2017-18	<p>Assessment order dated 29.12.2019 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 24.01.2020. In meanwhile, a rectification order has been passed u/s 154 dated 31.03.2024. Port is the process of filing the appeal before CIT(A).</p>

<b>Assessment Year</b>	<b>Particulars</b>
AY 2018-19	Assessment order dated 26.04.2021 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 17.05.2021. In meanwhile, an order u/s 263 has been passed by CIT(Exemptions) dated 31.03.2024. Port has filed an appeal before ITAT on 27.05.2024. Consequently, an Order u/s 143 (3) read with Section 263 has been passed by Income Tax Department on 30th March 2025 making additional additions to taxable income and demanding additional tax of Rs.9,66,50,360/-. Port has filed an appeal before CIT(A) on 21.04.2025.
AY 2019-20	Assessment order dated 29.09.2021 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 21.10.2021.
AY 2020-21	Assessment order dated 26.09.2022 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 18.10.2022.
AY 2021-22	Assessment order dated 27.12.2022 wherein the claim of JNPA of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 21.01.2023.
AY 2022-23	Assessment order dated 19.03.2024 wherein the return of income has been accepted. Port has filed an appeal before CIT(A) on 15.04.2024 for claiming exemption u/s11.
AY 2023-24	The Income Tax Return for the year has been filed on 30.09.2023. The said return has been processed u/s 143(1) vide order dated 04.01.2024 determining a refund of Rs. 48,65,93,530/- which is received to us in the month March,2024. The scrutiny assessment order u/s 143 (3) read with Section 144B has been passed by Income Tax Department on 14th March 2025 with No additions/Disallowance. Port has filed an appeal before CIT(A) on 11.04.2025 for claiming exemption u/s11.



## 8. PROVISIONS FOR TAX / ADVANCE TAX :-

The Port has paid Advance Income Tax amounting to Rs. 554 Crores. including TDS deducted by customers & institutions during the year for A.Y. 2024-25. Provision for Tax has been made for Rs. 661 Crores. excluding Deferred Tax.

## 9 INSURANCE OF PORT ASSETS :-

The The Port's property are national assets and the Port has been insuring these assets since 2006 against Act of God Peril which includes all perils of nature beyond the control of human being, like Storm, Cyclone, Earthquake, Tsunami, Flood, Inundation, and also perils of fire, Terrorisms and insurable liabilities, Hull etc. The insurance policies also include Business Interruption losses of the port due to insured peril, Channel blockage etc. This is the line and in compliance with the directives received from Ministry and IPA.

The insurance portfolio comprises of the following.

A. Comprehensive Port Package covering.

**(I) Material damage** – towards all risk for all properties and assets of the port in the operational area and near operational area including port administrative office, township, etc.

**(II) Business interruption loss** due to stoppage including channel waterways blockage, damaged to pipeline and any blockage of land access within the immediately vicinity of the port.

**(III) Port insurable liabilities**

- a) Port liabilities (other than environment pollution)
- b) Environment pollution liability (other than terrorism).

**(IV) Wreck removal**

**(v). Standalone terrorism policy** – including business interruption

B. Hull & Machinery policy

C. Unnamed fidelity guarantee policy

D. Directors & Liability Policy

E. Bharat Sookshma Udyam Policy

F. Standard Fire & Special Peril Policy

G. Electronic Equipment /All Risk Policy

H. Bharat Griha Raksha Policy

The Insurance Policy for the year 2025 to 2026 has been reviewed on 31.3.2025.

### **Status of the Insurance claims :**

1) There was an accident at Port on 05.08.2020 due to sudden storm whereby there was heavy damage caused to two RMQCs and complete destruction of 3 other RMQCs. There was also damaged to the berth. The claim regarding aforesaid accident is under consideration of the insurers/re-insurers. The final claim is lodged on 02.05.2024. As per the Board's decision vide resolution number 190 dated 5th March 2024, the claim of the three RMQCs completely damaged will be based on market value/depreciation method and the settlement of the same will be on indemnity basis. Accordingly, a letter stating the same has been given or sent to M/s New India Assurance Company Ltd on 2nd May 2024 which is under process with the insurers/reinsurers.

2) During the month of September 2024 JNPA has received an amount of Rs.3,25,50,935/- towards the insurance claim made by it for the business interruption caused by an accident occurred in the month of August, 2020, wherein few of its cranes were damaged/destroyed. This receipt is treated as revenue and grouped under Insurance Claims received.

### **VI. TRUSTS FOR PROVIDENT FUND, GRATUITY FUND & PENSION FUND :-**

In order to comply with the provisions of Income Tax Act, separate Trusts were created with the approval of the Board in respect of the following and came into existence on 31.03.2003:



Sr. No.	Name of Fund	Name of the Trust
1.	Provident Fund	JN Port Employees Provident Fund Trust
2.	Gratuity Fund	JN Port Employees Gratuity Trust
3.	Pension Fund	JN Port Superannuation Trust

The Income Tax Dept. has since granted recognition to these Trusts and amounts pertaining to Gratuity and Pension are being deposited with Life Insurance Corporation of India towards annual contribution based on the actuarial valuation. In addition to the above, Leave Encashment liability of the Port is also deposited with L.I.C. based on the actuarial valuation. Ministry vide letter No.PR-24021/20/2004-PG dated 19<sup>th</sup> May 2005 have granted 'in principle' approval to the above arrangement.

### Contribution for Retirement Benefits

Sr. No.	Particulars	Fund required as on 31.03.2025	Fund Balance	Contribution made during the year	Total as on 31.03.2025	OSL as on 31.03.2025	Unfunded Liability as on 31.03.2025
1	Pesnion Fund	794.75	1,341.45	-	1,341.45	-	(546.70)
2	Gratuity Fund	89.13	87.60	-	87.60	1.53	1.53
3	Leave Encashment Fund	86.94	91.63	-	91.63	-	(4.69)
	Total	970.82	1,520.68	-	1,520.68	1.53	(549.86)

The total Liability on account of these three Funds stood at Rs. 970.82 Crs as on 31.03.2025 and the total value of these Funds stood at Rs. 1,520.68 Crs as on 31.03.2025 including interest earned during 2024-25. Interest earned on pension fund, gratuity fund and Leave encashment fund during 2024-25 is ranging between 7.25% p.a to 7.87% p.a.

## VII. LEASE RENTALS FROM TANK FARM OPERATORS: -

One of the major areas of concern reflected under current assets in the Balance Sheet is the long pending outstanding from Tank Farm Operators on account of Lease Rentals. The matter regarding the dispute related to the variation in the lease rent escalation, lease period, way leave charges, etc. was referred to Arbitration in 2005. The Arbitral tribunal has given an award in favour of LCBUA (Liquid Chemical Berth Users Association) in May 2012 in respect of common issues. The tariff charged by JNPA has been reduced w.e.f. 1995 through this arbitral award of 2012. Port has filed appeal against the said award and the matter is sub-judice in the Hon'ble High Court of Bombay. The outstanding dues as on 31.03.2025 as per books of Accounts is Rs. 717.94 crores.

Vide resolution no JNPA-182/09.02.2024 JNPA refers to the case of tank farm operators to Conciliation and Settlement Committee of IPA for amicable resolution as opined by the Legal Retainer of JNPA and in accordance with directions of MoPSW dated 10.06.2019. It is also resolved that no coercive action on lessees whose lease period have expired and about to expire till the conclusion of the above process and till final approval from MoPSW.

CSC proceedings are in process. Based on the recommendation of CSC, JNPA has floated five tenders out of which two tender are in final stages and LOI has been issued to M/s Reliance industrial infrastructure Ltd on 27.02.2025 and M/s Indian Oil Corporation Ltd on 27.02.2025. The other three tender are in evaluation stage.

The CSC settlement agreement is yet to be signed and will be finalized in the current financial year i.e. 2025-26.

### **Penal Interest on the outstanding dues:**

As per the directions of the Tariff Authority for Major Ports, JNPA is required to charge penal interest on outstanding from port users. However, in the case of claims receivable from Tank Farm Operators, no penal interest is charged for belated receipt of claims since these matters are under legal dispute and pending to be resolved. Claim for penal interest will be made as per the outcome of these pending litigations.



## VIII. SHEDS / OTHER ASSETS HANDED OVER TO BOT OPERATOR: -

As per terms of agreement with GTIPL / APM Terminal, Bulk storage sheds have been handed over to them which could be demolished for creation of yard and other facilities. In addition, certain other assets like wagon loading platform, canteens etc. have also been handed over to them. These assets will not revert back to the Port in the same form in which they were handed over. Lease rentals are being collected on such assets along with all other assets handed over. Hence, these assets have been removed from fixed assets register and shown separately as 'Sheds/Assets handed over to BOT operator GTIPL / APM Terminal for modification.' The WDV of these assets was Rs.54.53 Crores. at the time of handing over. These assets are being amortised equally over a period of 30 years. The amortised value of these assets as on 31.03.2025 is Rs. 17.27 crores.

Similarly, expenditure incurred on account of extension of container berth towards north of NSICT by 330 metres (NSIGT) was Rs.5.23 Crores as on 31st March,2016, the same has been amortised in equal instalments over the remaining period of lease and amortised value of these assets as on 31.03.2025 is Rs. 2.46 crores.

## IX. LEGAL/ARBITRATION/SERVICE TAX CASES: -

- i) Port has filed legal suit No.399 of 2018 against GTIPL to recover Rs. 12.22 Crores along with interest of Rs. 4.42 Crores on account of differential billing of Inter Terminal Rail Handling Operations: -The matter is pending before Hon'ble Court Sr. Division Panel. The matter is at admission stage.
- ii) Port has sent a Notice for Invocation of Arbitration as per Clause 23.3 of License Agreement dated 10th August 2004 on 5th April 2018 to M/s GTIPL for recovery of cumulative dues of Rs. 42.15 crores along with interest of Rs. 18.27 crores as per Audit Report submitted by M/s M M Nissim & Co for FY 2016-17 ( The figure as per statement of claim was aggregating to Rs.37,85,27,543/-). The award has been passed by the Arbitral Tribunal on 9th August 2019. JNPA has filed Commercial Arbitration Petition No 1491 of 2019 to challenge the award before the Hon'ble High Court Bombay. The matter is at admission stage.
- iii) M/s NSICT has filed arbitration as per Clause 15.3 of License Agreement dated 3rd July, 1997 on Port for seeking conversion of per TEU Royalty payment to Revenue

Share. - The award has passed by the Arbitral Tribunal on 18th September 2019. JNPA has filed Commercial Arbitration Petition No 102 of 2020 to challenge the award before the Hon'ble High Court Bombay. The matter are at admission stage.

- iv) Arbitration between LCBUA Member and JNPA – The matter is related to Way Leave Charges, MGT, lease rent and lease period divided in common issues and individual issues – The award passed by the Arbitral Tribunal in common issues on 21st May 2012 which is challenged by JNPA by filing Arbitration Petition No. 517 of 2013 and second award passed by the Tribunal in individual issues on 8th June 2018 (one award in IMC & others and second in GBL matter). JNPA has challenged both awards by filing Commercial Arbitration Petition No. 6 of 2019 & Commercial Arbitration Petition No. 1 of 2019 respectively before the Hon'ble High Court Bombay. The matter is at admission stage.

With the approval of JNPA Board, the case of tank farm operators was referred to Conciliation and Settlement Committee of IPA for amicable resolution as opined by the Legal Retainer of JNPA and in accordance with directions of MoPSW dated 10.06.2019. If the matter between the Tank Farm operators and JNPA are settled through CSC then JNPA will withdraw the case from the High Court Bombay.

- v) Arbitration between Seatrans Shipping and JNPA- The matter is related to dredging contract – The Arbitral Tribunal passed an award on 8th December 2014 and accordingly JNPA had filed an arbitration petition No.536 of 2015 before the Hon'ble High court. The Court has passed an order in the said appeal on 15th May 2020. JNPA has filed Appeal (L) No.131 of 2020 before the Court against the said order. The matter is at admission stage.
- vi) The dispute arose regarding withholding payment of Rs. 4,37,74,990/- (approx.) in the contract awarded for "Design, Manufacture, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Guaranteeing the performance of 3 Nos. RMQC's at JNPA and for Decommissioning, Shifting, Re-Commissioning, Testing and Guaranteeing the structural parts of three nos. of old RMQC's from main container berth to shallow draught berth at JNPA" to The M/s Anupam Port Cranes Corporation Ltd. The parties went to the tribunal to decide issued No.12 and 15 to 18 of the statement of claim. The Tribunal passed an award dated 02.02.2023 and JNPA has challenged the award and stay of operation of award before the high court Bombay by filing commercial



arbitration petition (L) No. 12669 of 2023 on 03.05.2023. The matter is at admission stage.

JNPA awarded a contract to M/s Anupam Port Cranes Corporation Ltd. (APCCL) in 2011 for supplying 3 new Rail Mounted Quay Cranes (RMQCs) and shifting 3 old RMQCs. During testing, an accident occurred, damaging a third-party vessel, and the shipping line claimed damages of Rs. 4.37 crores plus interest. JNPA withheld this amount from APCCL's final bill payment, but an Arbitral Tribunal later awarded APCCL the claimed amount. JNPA challenged the award in the High Court, while APCCL filed an execution application.

The dispute was referred to a Conciliation and Settlement Committee (CSC), which formulated a settlement proposal. However, before the agreement could be executed, NCLT Ahmedabad passed an order liquidating APCCL. Given this development, CSC proposes that JNPA withdraw from the conciliation process with APCCL and execute a revised settlement agreement with CMA-CGM, paying Rs. 3.50 crores as settlement. The amount pertaining to APCCL will be held by JNPA until the ongoing litigation is resolved.

vii) The dispute arose between M/s BSI-JDN Joint Venture and JNPA pertaining to the direct loss caused to the parties by JNPA towards non-payment of IPC # 12, #13 & #14 and TOC in the contract for "Deepening and Widening of Mumbai Harbour Channel and JN Port Channel Phase – II", wherein total claim is Rs. 448,35,44,283/- (approx.). The party has gone to the arbitration proceeding to resolve the dispute between BSI-JDN and JNPA. The arbitration proceeding is going on and it is at final stage.

viii) The dispute between M/s Pentacle Consultant Pvt. Ltd. and JNPA towards loss suffered by the party in the "Consultancy Services for Preparation of A detailed project report for Development of a Satellite Port at Vadhavan for a period of 12 months and contract for project management consultancy services at SEZ – Phase -1" with claim of Rs.3.10 crores has been settled as per the award of CSC and the invoices will be raised during 2025-26.

**X)** JNPA invested Rs. 110 Crores and Rs. 70 Crores with Oriental Bank of Commerce (OBC) in February 2014 for 1 year at interest rates of 9.67% and 9.75% per annum,

respectively. However, no Term Deposit Receipt (TDR) was received from the bank.

The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) dismissed JNPA's consumer case against OBC on March 22, 2023, citing JNPA's status as not a "consumer" under the Consumer Protection Act. JNPA has filed a civil appeal before the Supreme Court and plans to file a recovery suit before the High Court.

Meanwhile, PNB was directed by the High Court to release Rs. 2.50 Crores with interest to Mr. Lijo Naikampampil Mathew and Mrs. Nisha Lijo Mathew. Considering the amount was credited to JNPA, the amount was remitted back to PNB on December 11, 2024 and further informed PNB that this payment was made in full and final settlement but reserved its right to claim the amount with interest from OBC based on the outcome of pending litigations.

As of FY 2024-25, JNPA is owed Rs. 211.71 Crores by OBC, comprising Rs. 69.22 Crores in principal and Rs. 142.49 Crores in interest. Given the uncertainty of recovery, JNPA has deferred recognizing interest accrual on these deposits from FY 2022-23. Accrued interest receivable from OBC for FY 2022-23, FY 2023-24, and FY 2024-25 totals Rs. 53.43 Crores.

## XI. CAPACITY INSTALLED & UTILISED :-

The details of capacity installed and capacity utilised is given below:

(In Million Tonnes)

Berth /Terminal	*Capacity Installed		Capacity Utilised	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
JNPCT / NSFT	22.10	22.10	6.73	6.92
GTIPL / APM Terminal	23.70	23.70	18.99	23.41
NSICT / DP World	20.50	20.50	14.25	14.64
Shallow Water Berth & Coastal Berth BT	7.00	7.00	2.68	2.97
NSIGT / 330 Meter	10.30	10.30	13.54	12.59
BPCL (Liquid Cargo Berth)	7.20	7.20	5.05	5.28
BMCTPL / PSA	30.00	60.00	24.49	26.09
Additional Liquid Cargo Berths	4.50	4.50	0.08	0.20
<b>Grand Total</b>	<b>125.30</b>	<b>155.30</b>	<b>85.81</b>	<b>92.10</b>



In case of BMCTPL, the capacity addition of 30 MMT is due to commencement of Phase II operation from February 4, 2025.

Additional Liquid Berth operations commenced on newly constructed berths on 06.03.2024 by M/s. BPCL on Interim basis. The berths (LB03 & LB04) handed over M/s. JSW JNPA Liquid Terminal Pvt Ltd. and commenced operation on November 5, 2024.

Note: Apart from above mentioned container traffic, following cargo was handled, 997 Tonnes & 2,572 Tonnes of general cargo was handled at BOT terminals during FY 2023-24 & FY 2024-25 respectively. 16,727 Tonnes of HSD was handled at JNP Anchorage during F.Y. 2024-25.

## XII. REMUNERATION TO AUDITORS :-

(Rs in Lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
As Auditors to CAG	67.47	52.80
Tax Auditors	11.00	10.76
Internal Auditor	8.95	9.49
<b>Total</b>	<b>87.96</b>	<b>73.05</b>

## XIII. DETAILS OF STAFF STRENGTH AND EXPENDITURE INCURRED THEREON:-

Category	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Class I	119	120
Class II	23	22
Class III	438	491
Class IV	45	48
Total	625	681
<b>Annual Remuneration to Employees (Rs in Crores)</b>	<b>154.69</b>	<b>165.60</b>

## XIV. CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31st MARCH 2025 :-

Disclosure on Dispute Resolution and potential financial implications:

### i.- GTI Past Surplus / Differential Revenue:-

Tariff collected by GTI from Exim Trade was fixed from time to time by the Tariff Authority for Major Ports (TAMP). GTI was subject to the Tariff Guidelines 2005 for revision of its tariff. TAMP passed a Tariff Order dated January 19, 2012 duly notified on February 08, 2012 (2012 Tariff Order) on the basis of the 2005 Tariff Guidelines, drastically reducing the tariff chargeable by GTI for tariff cycle 2012 – 2014 by 44.28% of the prevailing scale of rates (TAMP order dated April 01, 2010) on the pretext that the surplus earned by GTI was over and above the limit set of returns on capital employed. GTI filed a Writ Petition before the Hon'ble Bombay High Court (Writ Petition No. 4 of 2013 (Writ Petition), challenging the 2012 Tariff Order issued by TAMP). It resulted in the dispute regarding past surplus between 2012 till 2020. In accordance with the norms of Tariff Guidelines 2019, the dispute regarding the past surplus between 2012 till 2020 was referred to the CSC. The draft Settlement Agreement, as submitted by CSC, to amicably resolve the past surplus dispute has been sent to the Ministry for NOC on 12th Jan 2023 following approval of the scheme by the Board of JNPA and GTI.

### ii- GTI Case relating to Inter Terminal Handling Charges (Special Civil Suit No. 84 of 2018) Civil Suit in Panvel Court and Revenue share payment (Arbitration case CRABP No. 1491 of 2019):

The dispute was relating to –

- a. payment of Revenue Share on certain incomes accruing to GTIPL and
- b. interest on delay in payment of regular and revenue share

Arbitration proceedings were invoked by JNPA on 05th April 2018. The Arbitration Order was passed on 09th Aug 2019 by the Arbitration Tribunal. The Arbitration proceedings were terminated by the Arbitration Tribunal. JNPA filed a petition before the High Court under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 to set aside the arbitral award which was filed on 16 December 2019. The matter is pending at admission level.



The dispute was relating to the methodology of ITRHO billing as prescribed under the ITRHO MOU dated 15th February 2007, which was replaced with Gross Billing method in the year 2012 after observations from the Service Tax Department.

JNPA initiated the suit in Panvel Court in the month of February 2018. The pleadings in the matter are complete. The matter is at the stage of framing of issues.

After mutual consent of JNPA and GTI, both the disputes referred above are referred to the CSC vide letter dated 05th April 2023. The matter is being deliberated between the parties and CSC committee.

### **iii- NSICT – Royalty to Revenue share:**

There was change in law in the year 2005 when TAMP didn't allow NSICT Royalty as an admissible cost resulting into lowering the tariff leading to loss on earning, lowering the return on capital employed till 2019 which had adverse impact on the financial position as claimed by NSICT till the adoption of Tariff Guidelines 2019 by NSICT.

The matter was referred to the CSC. The period involved is from FY 2005-06 till 2019-20. During this period, NSICT was not given full pass through of Royalty paid i.e. 30.50% of the Royalty paid never translated into tariff. Based on above principle, Tariff deficit /revenue loss caused to NSICT computed by CSC is Rs. 705.78 crores for period 1/4/2005 to 31/03/2020(Considering RoCE at 16%).

As per the terms of the Settlement Agreement, JNPA sent a letter dated 12th April 2023 to MoPS&W seeking NOC on the Settlement Agreement. Now, JNPA is in receipt of NOC vide letter dated 04th April 2025 from MoPS&W.

NSICT had also filed a write petition in Bombay High Court which is withdrawn by NSICT following NOC from Ministry. Bombay High Court vide order dated 22nd April 2025 Ordered the writ petition is disposed off in terms of the Settlement Agreement dated 22nd May 2025.

Conciliation and Settlement Committee has worked out the past tariff deficit of Rs.705.78 crores. This past tariff deficit is payable by JNPA, to be adjusted against the royalty amount payable by NSICT under the License Agreement.

As per the recommendation of the CSC, based on capacity utilization of 91.41% for the FY 2022-23, 94.35% for the year 2023-24 and 95% for the year 2024 -25, past tariff deficit amounting to Rs. 81.16 crores, Rs.125.05 crores and Rs.190.70 crores, respectively, are available for adjustment.

As per Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and as per the terms of the Settlement Agreement with NSICT, the Implementation Date of the Settlement Agreement will be on and from the date of (i) order passed by the Hon'ble High Court of Bombay in the Writ Petition recording the Settlement Agreement with the consent of TAMP and Union of India on the Settlement Agreement. Based on evidence available on Balance Sheet date, it is prudent to recognize the obligation of Rs.396.91 crores, hence, the said obligation has been recognized in the books as an extraordinary item on Balance Sheet date with an amount of Rs.396.91 crores and thereby lowering the profit of the organization by the same amount.

The remaining amount, i.e. 308.87 crores (705.78-396.91) of the Past Tariff Deficit is reported as contingent liability on the Balance Sheet date as the eligible amount of unpaid past tariff deficit that is available for adjustment against the future royalty payable couldn't be determined on the Balance Sheet date.

#### **iv- Dispute in the methodology to determine the royalty on EXIM Cargo/ Containers for the terminal operated by Nhava Sheva Distribution Terminal (NSDT)**

Concessionaire had quoted the royalty per metric tonne for Coastal Cargo. The dispute is in determining the royalty rate for EXIM Cargo / Container from the Coastal Royalty quoted by the Concessionaire, the dispute involves the interpretation of the Tariff Guidelines, 2021 for the PPP Projects in Major Ports in giving effect to the determination of the Royalty for EXIM Cargo / Container. The dispute was referred to the CSC for resolution on 06th May 2024. The CSC submitted the draft Settlement Agreement on 29th November 2024. The terms of the Settlement Agreement are under discussion between the parties under the guidance of the CSC. As there is an uncertainty over the realization of revenue considering the differences in the interpretation of Tariff Guidelines 2021, contingent assets are not recorded in



books. The revenue will be recognized in the year when there is certainty over realization of proceeds.

## **XV. Special Audit of PPP Operators at JNPA (Appointment of Special Auditor, Status of Audit and Revenue Recognition of differential revenue)**

As per the Concession Agreement executed with PPP Operators (except for NSICT), there is a provision in the Concession Agreement of each PPP Operator regarding appointment of Special Auditor which states that Concessing Authority shall, at its own cost, have the option to appoint another firm of Chartered Accountants duly licensed to practice in India to conduct a special audit of the Gross Revenue / TEUs handled and the financial statements, documents and supporting evidences thereto as may be mandated by the Concessing Authority and report to the Concessing Authority such information as may be desired by the Concessing Authority for any period. Accordingly, JNPA has exercised the option and appointed a Special Auditor to conduct the Special Audit of BOT Operators. Below table shows the details of the Special Auditor appointment as on Balance Sheet date.

<b>PPP Operator</b>	<b>Name of Auditor</b>	<b>Term of Appointment</b>	<b>Period covering the Special Audit</b>
Gateway Terminal of India (GTI)	M/s Ratan Chandak & Co.	5 Years	FY 2020-21 to FY 2024-25
Bharat Mumbai Container Terminal (BMCT)	M/s J N Gupta	5 Years	FY 2022-23 to FY 2026-27
Nhava Sheva India Gateway Terminal (NSIGT)	M/s Ratan Chandak & Co.	5 Years	FY 2020-21 to FY 2024-25
Nhava Sheva Freeport Terminal (NSFT)	M/s Ratan Chandak & Co.	5 Years	2022-23 (Feb 23 and Mar 23) to 2026-27
Nhava Sheva Distribution Terminal (NSDT)	M/s Ratan Chandak & Co.	5 Years	2023-24 (26 May 2023 and Mar 24) to 2027-28
JSW JNPA Liquid Birth Terminal	Process to appoint the Auditor set in motion, appointment is expected soon.	5 Years	2024-25 (22 Aug 2024 to Mar 2025) to 2028-29

## Status of the Special Audit as on Balance Sheet date:

Below table shows the status of Special Audit for current and past financial years.

PPP Operator	Status of Past Financial years	Status of Current Financial Year (FY 2024-25)
Gateway Terminal of India (GTI)	Completed	Draft report submitted
Bharat Mumbai Container Terminal (BMCT)	Completed	Special Audit has been started.
Nhava Sheva India Gateway Terminal (NSIGT)	Completed	Draft report submitted
Nhava Sheva Freeport Terminal (NSFT)	Completed	Draft report for Q1, Q2 and Q3 submitted
Nhava Sheva Distribution Terminal (NSDT)	Draft report submitted	Special Audit has been started.
JSW JNPA Liquid Bulk Terminal Private Limited (JSW)	Not applicable before 2023-24 as it started its operation on 22nd Aug 2024	Process to appoint the Auditor set in motion, appointment is expected soon.

The Concessing Authority have the option to appoint another firm of Chartered Accountant (additional auditor) to conduct a special audit of gross revenue. In the absence of Concessing Authority exercising its right to appoint Special Auditor, Revenue Certificates and Audited Accounts of BOT Operators as certified by Statutory Auditor are to be relied upon by CAG auditor to vouchsafe the correctness of the royalty shared during the financial year since these PPP Operators normally finish the statutory audit by September of the next Financial Year, in those cases, it is impractical to get the Special Audit report immediately after the close of Financial Year.

With respect to recognition of differential revenue as reported by Special Auditor, such differential revenues are booked on actual realization basis.



## **XVI. LICENSE IN RESPECT OF CFS & BUFFER YARD OF JNPA CT**

On expiry of earlier license awarded to M/s CWC on 31/12/2005, a fresh license for Management, Maintenance & Operations of CFS & Buffer Yard (which was subsequently surrendered in the year 2023-24 due to development of CPP) of JNP was awarded to M/s. Speedy Multimodes Ltd. (M/S. SML), Mumbai, for a period of 20 years, further extendable by 10 years. The Agreement provides for payment of lease rentals for assets handed over, and royalty for TEUs handled as per conditions of License Agreement. The amounts which accrued in JNPA from M/s SML, during the financial year 2024-25 towards lease rentals, royalty and shortfall in MGT as per conditions of License are as follows-

(Rs in Crores)

<b>Particulars</b>	<b>2024-25</b>	<b>2023-24</b>
Royalty	8.11	8.91
Lease Rentals	22.59	25.77
Shortfall in MGT (included in Royalty)	0.62	2.14
Miscellaneous Charges	0.05	0.27

## **XVII. SECTION 80IA CLAIMS :-**

The Port has claimed deduction for availing Tax benefit of deduction u/s 80IA of the Income Tax Act for its following infrastructure facilities: -

- Revenue earned from M/s Gateway Terminals of India Private Limited (APM Terminal / GTIPLs)
- Three Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) purchased and installed in 2011-12.
- Two Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) purchased and installed in 2007-08.
- One Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) installed in 2012-13 and
- One Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) installed in 2012-13.

It may be duly noted that RMQC 6,7,8 were totally destroyed in an accident which occurred on 5th August, 2020 which were salvaged and disposed off. Another RMQC 5 and 9 were partially damaged in the same accident were repaired.

## **XVIII CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LIABILITY (CSR) :-**

The Ministry of Port, Shipping and Waterways vide circular No.PD-12019/1/2020-PD-VI (IV) dated 28th June, 2023, considering the economic, social and environmental impact of the activities of the Ports on the society and the environment, has directed all Ports to provide for CSR activities at various percentage of Net Profit relating to their respective Port which has been followed by JNPA with the approval of the Board dated 15th January 2016.

The balance in CSR as on 01.04.2024 was Rs. 55.91 Crores. Out of the same Rs 15.50 Crores have been spent towards CSR activities on various projects approved by Board. During the year 2024-25, an amount of Rs. 10.26 Crores has been appropriated towards CSR @ 0.5% of Profit After Tax.

## **XIX. OVERDRAFT TO FINANCE ACTIVITY AT REDUCED RATE**

With the approval of the Competent Authority, as a stop gap arrangement, JNPA has taken temporary Overdraft of Rs 120 Crore at 7.94%p.a. from Bank of Maharashtra and utilized only Rs. 26.96 crore with Interest to meet an upcoming expenditure related to the leasing of Mumbai Port Authority (MbPA) land by JNPA.

As per Chapter IV of the Powers of Boards of Major Port Authorities, Section 33 (6), the Board can borrow through temporary overdrafts by pledging securities or fixed deposits within the ceiling of 50% of the Board's capital reserves as on 31st March of that financial year.

## **XX. ZIGZAG BOUNDARY ISSUE**

CIDCO proposed Special Economic Zone on 1250 ha. Area in Dronagiri Node of Navi Mumbai along with areas from other nodes. The land on the periphery of JNPA project boundary near sectors 1,2 and in sectors 16,17 in Dronagiri Node of Navi Mumbai being developed by CIDCO were handed over to NMSEZ Development Company Private Limited by lease deed for their SEZ IN THE YEAR 2006. The area handed over at these two locations includes nearly 56.77 ha. (140.3 acres) land areas from 8 villages i.e. Jasai, Dhutum, Shemtikhar, Sawarkhar, Sonari, Karal, Pagote and Funde which is in possession of JNPA as it was acquired for JNPA. For nodal development JNPA land area of 2.07 ha. (5.11 acres) from village Funde is used by



CIDCO in Sector 15 Dronagiri. As such total 58.84 ha. (145.4 acres) of JNPA land is used by CIDCO.

(JNPA – SPA Related) Zigzag boundary works done till date.

The statement showing village wise JNPA land used by CIDCO was prepared.

The statements showing survey number, hissa number wise area used by CIDCO from each village and marked the same on respective village maps.

Also, the plans showing JNPA land used in NMSEZ and in Nodal development are prepared.

There are total 205 survey/hissa numbers involved in it. The 7/12 extracts of all 205 survey/hissa numbers are downloaded from the government website namely <https://bhulekh.mahabhumi.gov.in>. Out of 205 survey/hissa numbers JNPA name is entered on 203 survey/hissa number. Copies of all survey/hissa numbers were prepared.

Prepared and submitted Drawing showing the area used by CIDCO/NMSEZ marked with Land survey numbers, village name to CIDCO.

CIDCO shared those drawings to NMSEZ for verify the NMSEZ boundary. Later it was found by them that there was minor difference in the boundary.

JNPA asked CIDCO to share the co-ordinated drawing of Dronagiri, the difference found in the drawing was verified and corrected by JNPA.

The final corrected drawing of area used by CIDCO in Dronagiri Node ( zig-zag boundary) was submitted to CIDCO. CIDCO is requested to finalise the matter.

The Chairman JNPA Wrote a letter to Managing Director, CIDCO on 9th June 2023 to form the joint committee of CIDCO and JNPA Officers to resolve the issue of zig-zag boundary. In response to this letter Managing Director, CIDCO formed the joint committee of CIDCO and JNPA officers by order dated 3rd July 2023.

The meeting of the committee was held on 12th December 2023 by Additional Collector and Chief Land and Survey Officer, CIDCO. In this meeting it was decided to carry out government measurement from Deputy Superintendent Land Records,

Uran, Government of Maharashtra to finalise the JNPA land used by CIDCO. After receiving the measurement report CIDCO and JNPA will jointly decide the matter.

Accordingly, JNPA has applied to Deputy Superintendent of Land Records, Uran for measurement of zig-zag boundary areas which are under dispute in March and April 2024. On receipt of the demand letters JNPA has paid the measurement charges to Government of Maharashtra.

The matter is pursued vigorously with District Land Records, Raigad and Deputy Superintendent of Land Records, Uran to solve the matter regarding measurement of land.

After receipt of the government survey drawings the matter will be taken up with CIDCO for settlement.

## **XXI. JNPA SEZ (Special Economic Zone) :-**

JNPA has undertaken the development of a port based Multi-Product SEZ across an area 277.38 Hectares in the land owned by the port trust. The said project is a major infrastructure development initiative by the port with a aim to boost the region's economic development and to complement the port operations also generation of employment opportunities in the region. Being close to JNPA, the project promises ready availability of imported raw material, access to global markets, and strong multimodal connectivity. Access to upcoming multi-modal infrastructure projects including New Mumbai airport, (Dedicated Freight Corridor) rail corridor, Trans-harbour road link (MTHL) further increases the attractiveness of JNPA SEZ as a manufacturing hub. JNPA SEZ aims to set a new benchmark in port-led industrialization, and thus play a key role in the Ministry of Shipping's Sagarmala vision of 'Port led Industrialisation'. The SEZ has investment opportunity for MSME sector like Food processing, Engineering, Cosmetics, Auto components, Pharmaceuticals, warehousing, cold storage amongst others. There is also a Free Trade Warehousing Zone (FTWZ) being developed which will further accentuate the value of this project. JNPA is awarded the Special Planning Authority (SPA) and Electrical distribution licensee status by GoM as per SEZ Act provisions, The Development control regulation for the JNPA SEZ area is approved by GoM, which enables JNPA to facilitate single window clearance for units being setup in JNPA



SEZ. Thus JNPA SEZ aims for utilizing the maximum potential of the SEZ land for industrial development. Environmental Clearance and Consent to establish is received.

## **XXII. Accounting Policies and Format of Annual Statements:**

The Central Government has made effective Major Port Authorities Act, 2021 w.e.f. 3rd November 2021. The Government has also notified Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rules, 2021.

As per Section 44(1) of the Major Port Authority Act, Board will prepare Annual Statement of Accounts in such form as prescribed by Central Government in consultation with Comptroller and Auditor General of India. As per the 195th General Body Meeting of IPA held on 31st January 2023, the work of development of common framework of Annual Accounts was assigned to The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) Accounting Research Foundation. ICAI submitted their final report dated 11th September 2024 consisting of (i) Common Framework for Annual Accounts for Major Ports including illustrative formats for financial statements (ii) Recommended significant accounting policies for the financial statements of Ports. The said report has been submitted to Ministry for approval and onward submission to the office of CAG for implementation of these guidelines.

Since the said format is still awaited from Ministry/ CAG office, the Port has followed the existing accounting policies and format of annual statements which were used by Port before 3rd November 2021.

**XXIII** Previous Years figures have been regrouped / recast wherever necessary to have consistency and uniformity in presentation.

Handwritten signature of CMA Rajashree K Dabke in black ink.

(CMA RAJASHREE K DABKE)  
GENERAL MANAGER (FINANCE)

Handwritten signature of Unmesh Sharad Wagh, IRS in black ink.

(UNMESH SHARAD WAGH, IRS )  
CHAIRMAN





# **Audit Report & Action Taken thereon 2024-25**

## Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai for the year ended 31 March 2025

We have audited the financial statements of Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the financial statement, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with section 44(2) of the Major Port's Authority Act 2021.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Section of our report, the accompanying financial statements of Jawaharlal Nehru Port Authority, read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Common Framework for Financial Reporting (CFFR) by Major Ports.

Basis for Qualified Opinion

Reference is invited to the following matters:

- (i) Comment No.A.1 regarding non capitalisation of completed work, and
- (ii) Comment No.A.3 relating to non-provisioning of doubtful debts pertaining to TDR with Oriental Bank of Commerce.



We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance notes/orders/ circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

#### Responsibilities of management for the financial statements

The Board of Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Common Framework for Financial Reporting (CFFR) by Major Ports and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations / standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

**-sd-**

**(Vijay N. Kothari)**

Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Date: 27 October 2025

## Separate Audit Report on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Authority, Navi Mumbai for the year ended 31 March 2025.

### A. Balance Sheet

#### A.1 Fixed Asset: ₹ 8825.51 crore

##### Capital work in Progress: ₹ 713.38 crore

- a) Audit noticed that the accounting policy No.2(d) to recognize the assets only of receipt of completion certificate is not in conformity with the Accounting Standard 10 which categorically states that the cost of an item of property, plant and equipment should be recognized if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. The Accounting Standard also specifies that Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e., when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. It is also noticed that the confirmation certificate is being issued by Port's own department i.e., Port, Planning and Development (PPD) Department/JNPA..
- b) The above includes ₹ 4.38 crore being the value of 'Resurfacing of Bitumen Mastic on Y Junction Fly over'. The work was completed on 7 December 2024, however, the same was not capitalized in the books of accounts. Non-capitalization of the completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 4.38 crore and also understatement of depreciation and overstatement of profit by ₹ 0.05 crore.
- c) The above includes ₹ 0.83 crore being the value of 'Construction of RCC Culvert over BPCL Pipeline'. The work was awarded at ₹ 4.68 crore was completed on 31 March 2018. A part of this work has already been capitalized, however, the entire work was not capitalized. This has resulted into understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹0.83 crore and understatement of prior period expenditure by ₹0.13 crore and depreciation by ₹0.02 crore and overstatement of Profit by ₹ 0.15 crore.
- d) The above includes ₹2.60 crore being the value of 'Repairs/resurfacing of road from immigration office to BPCL jetty approach bridge'. The work was completed during



the financial year 2024-25, i.e., on 28 February 2025, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of the completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹2.60 crore and understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.03 crore.

- e) The above includes ₹ 3.24 crore being the value of works related to 'Development of additional liquid cargo jetty at JNPT'. The work awarded at ₹ 181.51 crore was completed on 31 May 2023. A part of this work has already been capitalized, however, the entire work was not capitalized. This has resulted into understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹3.24 crore and understatement of prior period expenditure by ₹0.08 crore and understatement of depreciation by ₹0.08 crore and overstatement of Profit by ₹0.16 crore.
- f) The above includes ₹ 6.58 crore being the value of 'Strengthening of LT and HT distribution network in JN Port Area, supplying and laying of various HT and LT cables along with supply and installation of HT RMUs with allied work at JNPA. The work was completed on 4 February 2025. Despite completion of work, Port did not capitalize work in books of accounts. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets by ₹ 6.58 crore, overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 6.58 crore, understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.08 crore.
- g) The above includes an amount of ₹ 1.62 crore, being value of work 'Supply, Installation, & Implementation of software solution for integrated EINS'. The work was completed on 10 October 2024, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of the completed work has resulted in overstatement of Capital Work in Progress and understatement of Gross Fixed Assets by ₹ 1.62 crore and understatement of depreciation and overstatement of profit by ₹ 0.16 crore.
- h) The above includes an amount of ₹38.79 crore being value of 'Construction of Port Facilitation Centre at JN Port'. The work was completed on 21 January 2025, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and

overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 38.79 crore and understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.39 crore.

- i) The above includes an amount of ₹36.56 crore being value of 'Construction of Business Facilitation Centre at JN Port'. The work was completed on 21 January 2025, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 36.56 crore and understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.37 crore

## A.2 Current Assets Loans and Advance

### Advances to Contractors: ₹700.88 crore (schedule 5)

The above includes an amount of ₹ 220.45 crore being value of development of land under 12.5% scheme to JNPA Project Affected Peoples. The City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO) has undertaken the work of 'Development of 12.50% scheme for JNPA PAPs' on deposit basis over an area 111 Ha land near Dastan Phata handed over by JNPA. In this regard a Memorandum of Understanding was executed between JNPA and CIDCO on 18 January 2021.

JNPA has released a total of ₹ 252.92 crore to CIDCO upto 31 March 2025. In response, CIDCO issued Utilization Certificate for ₹ 32.47 crore on 29 March 2023. Subsequently, CIDCO has issued another utilization certificate for a cumulative amount of ₹ 88.88 crore on 22 July 2024. Audit noticed that despite the receipt of utilization certificate amounting to ₹88.88 crore, JNPA in its books of accounts has adjusted only ₹32.47 crore instead of ₹88.88 crore. This has resulted into overstatement of advance to contractor (Current Assets, Loans and Advances) and understatement of CWIP by ₹56.41 crore.

## A.3 Current Assets, Loan and Advances (Schedule-5)

### Interest accrued on Investments – ₹396.41 Crore

### Cash and Bank Balance (including TDR with banks) - ₹5876.50 Crore

Cash and Bank balance includes an amount of ₹ 69.21 crore transferred to the Oriental Bank of Commerce (February 2014) for creating a Fixed Deposit and Interest Accrued on investment includes an amount of ₹ 89.06 crore (up to 31 March 2022). Since FD was not created by Bank as the principal amount was misappropriated by Bank employee



and the matter is under investigation by CBI. In absence of FD and in view of matter being sub-judice, accounting for accrued interest is not prudent.

Since more than 11 years have passed, the same should have been provided for. Non provisioning of doubtful recovery of ₹ 158.27 (₹69.21 principal + ₹89.06 accrued interest till 2021-22) has resulted into overstatement of profit as well as Current Assets, Loan and Advances by ₹158.27 crore.

The above issue is being raised by audit since 2013-14.

#### **A.4 Current liabilities & Provisions**

##### **Schedule 6: Accrued Expenses - ₹ 60.36 crore**

The above does not include ₹ 1.21 crore being the value of expenditure related to FY 2024-25 as detailed below:

<b>S.No.</b>	<b>Work Description</b>	<b>Amount (₹ in lakh)</b>
1	General Conservancy Contract in Container Terminal	16.10
2	Independent Engineer NSFTPL (erstwhile JNPCT)	16.00
3	Hiring of Service of Reach Stackers	31.51
4	Service of Independent Engineer for JLTPL	57.50
	<b>Total</b>	<b>121.10</b>

Non-booking of expenses pertaining to financial year 2024-25 has resulted in understatement of expenditure and overstatement of profit by ₹1.21 crore.

#### **B. Profit & Loss Account/Income and Expenditure Account**

##### **B.1 Estate Rentals : ₹202.82 crore (Schedule 10)**

**SEZ Income: ₹24.87 crore**

**Service Charge for JNPA SEZ (GL- 350011): ₹2.53 crore**

The above does not include ₹ 64.42 lakh pertaining to service charges for the year 2024-25 of six-unit holders for the year 2024-25. As per the Significant Accounting

policy relating to Revenue Recognition (Schedule 24), SEZ income is recognized on execution of lease agreement between Port and lessee.

It was observed that six units holder, with whom lease agreements were executed, during the year 2024-25, were not billed for service charges. Non billing has resulted in understatement of SEZ income and profit by ₹ 0.65 crore.

## **B.2 Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule-20) ₹157.79 crore**

The above includes an amount of ₹ 12.49 crore, which was paid to M/s Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited towards construction of Maritime Museum in Lothal Gujrat. As per guidelines on Corporate Social Responsibility for Major Port Authorities (June 2023) the allocated CSR fund should be earmarked in certain manner. This includes that 20% of the funds should be deployed in the activities/contributions which include (i) Sainik Kalyan Board at the district level, (ii) National Maritime Heritage Complex, Lothal, Gujarat and (iii) National Youth Development Fund.

It was noticed that during the year, instead of routing the payment of ₹ 12.49 crore through Provision for CSR the same has been charged as expenditure (Finance and Miscellaneous Expenditure) in Profit & Loss Account. This has resulted in overstatement of Expenditure, understatement of profit and overstatement of Provision for Corporate Social Responsibility (Current Liabilities) by ₹ 12.49 crore.

## **B.3 Expenditure on BOT Contracts: ₹139.71 crore (Schedule 17)**

### **Expenditure on BMCTPL: ₹14.76 crore**

As per the terms of the tender, 50 per cent of the CAMC charges shall be paid in advance, and the remaining amount is to be paid upon satisfactory completion of one year of maintenance. The AMC charges for Mobile X-Ray Container Scanner for the period from July 2024 to Jun 2025 amounting to ₹2.93 crore, payable to M/s Smith Detection. The Port has paid 50 per cent of the AMC, covering the period from Jul to Dec 2024. However, the AMC for the period of three months, i.e. January to March 2025, amounting to ₹73.25 lakh was payable but not provided for in the books of accounts.



This has resulted in understatement of expenditure, overstatement of Profit and understatement of current liabilities by ₹73.25 lakh.

#### **B.4 Net Prior-period charges (Schedule 21): ₹ 7.09 crore**

The above does not include ₹101.36 crore, being depreciation of 13 assets which were completed upto 2022-23. The works were completed during the period 2018-19 to 2022-23 and an amount of ₹1834.20 crore against the said assets has been capitalized during the current financial year. However, instead of charging the depreciation of ₹101.36 crore to prior period and ₹ 19.54 crore to current year expenditure, it has charged the entire amount of depreciation of ₹120.90 crore to the current year expenditure. This has resulted into understatement of prior period expenditure and overstatement of depreciation expenditure by ₹101.36 crore. Similar comment was issued during the previous year accounts.

#### **C. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

#### **D. Assessment of Internal Controls**

##### **(i) Adequacy of Internal Controls System**

Bank Reconciliation Statements as on 31 March 2025 in respect of 20 Bank Accounts furnished by JNPT indicated several pending entries since 1999 amounting to ₹ 79.50 core which have not been reconciled. The non-reconciliation of such long pending entries pointed to weak internal control. This is being highlighted through SARs from 2017-18 onwards, but the Port is yet to take appropriate remedial action.

**(ii) Adequacy of Internal Audit System:** Internal audit report of the Authority for the year 2024-25 was furnished subsequent to audit. In absence of Internal Audit report, Audit is unable to comment on adequacy of the Internal Audit System.

**(iii) System of Physical verification of fixed assets:** During the year 2024-25, Physical Verification of Assets was not completed. During last year (SAR 2023-24) only reports pertaining to PP&D, Hospitals and Fire-Marine were furnished to audit.

The Physical verification reports for the year 2022-23 furnished by the Management did not show the comparison between book balance of assets and assets physically available. In absence of the above requirement, Audit could not assess whether there are any discrepancies or not.

**(iv) System of Physical Verification of inventory:** Authority has conducted Physical Verification of Inventory as on 31 March 2025.

**(v) Regularity in payment of statutory dues:** JNPA is regular in depositing undisputed statutory dues.

#### **E. Grants in aid**

The Port has no utilised opening grant and no new Grant has been received during the financial year.



**Port's Reply/Action Taken Notes for Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025**

No.	Description	Port's reply/ Action Taken Notes
A.1	<p><b>Fixed Asset: ₹ 8825.51 crore</b></p> <p><b>Capital work in Progress: ₹ 713.38 crore</b></p> <p>a. Audit noticed that the accounting policy No.2(d) to recognize the assets only of receipt of completion certificate is not in conformity with the Accounting Standard 10 which categorically states that the cost of an item of property, plant and equipment should be recognized if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. The Accounting Standard also specifies that Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e., when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management It is also noticed that the confirmation certificate is being issued by Port's own department i.e., Port, Planning and Development (PPD) Department/JNPA.</p> <p>b. The above includes ₹ 4.38 crore being the value of 'Resurfacing of Bitumen Mastic on Y Junction Fly over'. The work was completed on 7 December 2024, however, the same was not capitalized in the books of accounts. Non-capitalization of the completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 4.38 crore and also understatement of depreciation and overstatement of profit by ₹ 0.05 crore</p> <p>c. The above includes ₹ 0.83 crore being the value of 'Construction of RCC Culvert over BPCL Pipeline'. The work was awarded at ₹ 4.68 crore was completed on 31 March 2018. A part of this work has already been capitalized; however, the entire work was not capitalized. This has resulted into understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹0.83 crore and understatement of prior period expenditure by ₹0.13 crore and depreciation by ₹0.02 crore and overstatement of Profit by ₹ 0.15 crore.</p> <p>d. The above includes ₹2.60 crore being the value of 'Repairs/ resurfacing of road from immigration office to BPCL jetty approach bridge'. The work was completed during the financial year 2024-25, i.e., on 28 February 2025, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of the completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹2.60 crore and understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.03 crore.</p>	<p>a. As already informed during Audit, it is stated that the treatment is in line with the present approved accounting Policy being followed by the Port. Further, Accounting Policy of the Port will be reviewed when Common Framework document for all Major Port is received from the Ministry which is under review by CA&amp;AG.</p> <p>b. As pointed out by the Audit, the said work has been capitalised in the current financial year vide document number 2501002108.</p> <p>c. The Completion Certificate has been received during FY 2025-26, hence, the said work has already been Capitalised in the current financial year vide document number 2501002109.</p> <p>d. After reconciliation, the said work has been already Capitalised in the current financial year vide document number 2501002043.</p>

No.	Description	Port's reply/ Action Taken Notes
	<p>e. The above includes ₹ 3.24 crore being the value of works related to 'Development of additional liquid cargo jetty at JNPT'. The work awarded at ₹ 181.51 crore was completed on 31 May 2023. A part of this work has already been capitalized, however, the entire work was not capitalized. This has resulted into understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹3.24 crore and understatement of prior period expenditure by ₹0.08 crore and understatement of depreciation by ₹0.08 crore and overstatement of Profit by ₹0.16 crore.</p> <p>f. The above includes ₹ 6.58 crore being the value of 'Strengthening of LT and HT distribution network in JN Port Area, supplying and laying of various HT and LT cables along with supply and installation of HT RMUs with allied work at JNPA. The work was completed on 4 February 2025. Despite completion of work, Port did not capitalize work in books of accounts. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets by ₹ 6.58 crore, overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 6.58 crore, understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.08 crore.</p> <p>g. The above includes an amount of ₹ 1.62 crore, being value of work 'Supply, Installation, &amp; Implementation of software solution for integrated EINS'. The work was completed on 10 October 2024, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of the completed work has resulted in overstatement of Capital Work in Progress and understatement of Gross Fixed Assets by ₹ 1.62 crore and understatement of depreciation and overstatement of profit by ₹ 0.16 crore.</p> <p>h. The above includes an amount of ₹38.79 crore being value of 'Construction of Port Facilitation Centre at JN Port'. The work was completed on 21 January 2025, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 38.79 crore and understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.39 crore.</p> <p>i. The above includes an amount of ₹36.56 crore being value of 'Construction of Business Facilitation Centre at JN Port'. The work was completed on 21 January 2025, however, the Port did not capitalize the same in its books of accounts. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets and overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 36.56 crore and understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹0.37 crore.</p>	<p>e. JNPA has capitalized the same in the current financial year vide document number 2501002111 &amp; 2501002113.</p> <p>f. The Completion Certificate received on 31st July 2025, hence, the ancillary work related to the asset completion has also been correctly capitalised in the current financial year vide document number 2501003443.</p> <p>g. The said work has been Capitalised in the current financial year vide document number 2501002139.</p> <p>h. The Completion Certificate has been received during FY 2025-26, hence, the said work has already been Capitalised in the current financial year vide document number 2501002907.</p> <p>i. The Completion Certificate has been received during FY 2025-26, hence, the said work has already been Capitalised in the current financial year vide document number 2501002908.</p>



No.	Description	Port's reply/Action Taken Notes
A.2	<p><b>Current Assets Loans and Advance</b>  <b>Advances to Contractors: ₹700.88 crore (schedule 5)</b></p> <p>The above includes an amount of ₹ 220.45 crore being value of development of land under 12.5% scheme[1] to JNPA Project Affected Peoples. The City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO) has undertaken the work of 'Development of 12.50% scheme for JNPA PAPs' on deposit basis over an area 111 Ha land near Dastan Phata handed over by JNPA. In this regard a Memorandum of Understanding was executed between JNPA and CIDCO on 18 January 2021.</p> <p>JNPA has released a total of ₹ 252.92 crore to CIDCO upto 31 March 2025. In response, CIDCO issued Utilization Certificate for ₹ 32.47 crore on 29 March 2023. Subsequently, CIDCO has issued another utilization certificate for a cumulative amount of ₹ 88.88 crore on 22 July 2024. Audit noticed that despite the receipt of utilization certificate amounting to ₹88.88 crore, JNPA in its books of accounts has adjusted only ₹32.47 crore instead of ₹88.88 crore. This has resulted into overstatement of advance to contractor (Current Assets, Loans and Advances) and understatement of CWIP by ₹56.41 crore.</p>	<p>On receipt of the Original Utilisation Certificate from PP&amp;D Department, the said work has been settled in the current financial year vide document number 2512000310 &amp; 2536002772.</p>
A.3	<p><b>Current Assets, Loan and Advances (Schedule-5)</b>  <b>Interest accrued on Investments – ₹396.41 Crore</b></p> <p><b>Cash and Bank Balance (including TDR with banks) - ₹5876.50 Crore</b></p> <p>Cash and Bank balance includes an amount of ₹ 69.21[2] crore transferred to the Oriental Bank of Commerce (February 2014) for creating a Fixed Deposit and Interest Accrued on investment includes an amount of ₹ 89.06 crore (up to 31 March 2022). Since FD was not created by Bank as the principal amount was misappropriated by Bank employee and the matter is under investigation by CBI. In absence of FD and in view of matter being sub-judice, accounting for accrued interest is not prudent.</p> <p>Since more than 11 years have passed, the same should have been provided for. Non provisioning of doubtful recovery of ₹ 158.27 (₹69.21 principal + ₹89.06 accrued interest till 2021-22) has resulted into overstatement of profit as well as Current Assets, Loan and Advances by ₹158.27 crore.</p> <p>The above issue is being raised by audit since 2013-14.</p>	<p>Accounting Standard 29 titled Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets states that a provision must be recognised when:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. There is a present obligation as a result of a past event.</li> <li>ii. It is probable (more likely than not) that there will be an outflow of resources</li> <li>iii. The amount of the loss can be reliably estimated.</li> </ul> <p>It is further stated that the Billimoria Report on the basis of which the Annual Accounts of the Ports are formulated also state that a "Provision for contingencies needs to be made if the future events will confirm after taking into account the probable recovery that an asset has been</p>

No.	Description	Port's reply/Action Taken Notes
		<p>incurred and a reasonable estimate of the amount can be made."</p> <p>Since both the above conditions are not fulfilled in the present situation and since as per legal opinion obtained by JNPA that the outcome of the case will fall in favour of JNPA, the stand of the Port not to create the provision is in order.</p> <p>In this regard, a legal advice was also sought from the Litigating advocate who is dealing the case in which it is opined that any accounting entry (creation of provision) shall not, in any manner, be construed as the amount being written off and/or treated as irrevocable which will have adverse effect on the court case and weakens the legal course taken by JNPA against OBC. In view of the same, creating the provision will tantamount to acceptance of the fact that JNPA does not have any claim against OBC on the interest and Principal which will adversely affect the ongoing legal case.</p> <p>Further, as per Accounting Policy of JNPA forming part of Annual Accounts for FY 2024-25 (Point No 15), " Port has provided requisite provision for bad and doubtful debts of 10% of debtors ageing more than three years old (excluding Government Bodies, PSUs, debtors, BOT/PPP operators &amp; debtors which are under legal dispute/sub-judice)". Since the OBC Case is sub judice, the port cannot make provision for the same in accordance with aforesaid mentioned Accounting Policy</p>



No.	Description	Port's reply/Action Taken Notes																		
		<p>JNPA has also made a full and updated disclosure on the matter of investment in TDR made with Oriental Bank of Commerce in the Notes to Accounts Point Number 10 forming part of Annual Accounts for FY 2024-25 for information of all the stake holders.</p> <p>In Conclusion, considering the parameters laid down in Accounting Standard 29 issued by Institute of Chartered Accountants of India, Billimoria Report on which Annual Accounts of Major Ports in India are prepared, Accounting Policy of the Port to recognise provisions as stated in the Significant Accounting Policies and the legal opinion on the subject om recovery of entire balance investment made with Oriental Bank of Commerce along with interest thereon, the Port has not made any provision towards Principal investment along with interest thereon in the Annual Accounts for FY 2024-25.</p>																		
<p><b>A.4</b></p>	<p><b>Current liabilities &amp; Provisions</b></p> <p><b>Schedule 6: Accrued Expenses - ₹ 60.36 crore</b></p> <p>The above does not include ₹ 1.21 crore being the value of expenditure related to FY 2024-25 as detailed below:</p> <table border="1" data-bbox="252 1525 995 1906"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1525 325 1597">S. No.</th> <th data-bbox="325 1525 842 1597">Work Description</th> <th data-bbox="842 1525 995 1597">Amount (₹ in lakh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1597 325 1668">1</td> <td data-bbox="325 1597 842 1668">General Conservancy Contract in Container Terminal</td> <td data-bbox="842 1597 995 1668">16.10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1668 325 1740">2</td> <td data-bbox="325 1668 842 1740">Independent Engineer NSFTPL (erstwhile JNPCT)</td> <td data-bbox="842 1668 995 1740">16.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1740 325 1812">3</td> <td data-bbox="325 1740 842 1812">Hiring of Service of Reach Stackers</td> <td data-bbox="842 1740 995 1812">31.51</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1812 325 1883">4</td> <td data-bbox="325 1812 842 1883">Service of Independent Engineer for JLTPL</td> <td data-bbox="842 1812 995 1883">57.50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1883 325 1906"></td> <td data-bbox="325 1883 842 1906"><b>Total</b></td> <td data-bbox="842 1883 995 1906"><b>121.10</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Non-booking of expenses pertaining to financial year 2024-25 has resulted in understatement of expenditure and overstatement of profit by ₹1.21 crore</p>	S. No.	Work Description	Amount (₹ in lakh)	1	General Conservancy Contract in Container Terminal	16.10	2	Independent Engineer NSFTPL (erstwhile JNPCT)	16.00	3	Hiring of Service of Reach Stackers	31.51	4	Service of Independent Engineer for JLTPL	57.50		<b>Total</b>	<b>121.10</b>	<p>With reference to the audit observation for regarding the non-booking of certain expenditures in the Financial Statements of JNPA for the year 2024-25, as the expenses for which documentation was later received have now been fully and properly accounted for in the current financial period, the necessary accounting entries have been passed to rectify the observation.</p>
S. No.	Work Description	Amount (₹ in lakh)																		
1	General Conservancy Contract in Container Terminal	16.10																		
2	Independent Engineer NSFTPL (erstwhile JNPCT)	16.00																		
3	Hiring of Service of Reach Stackers	31.51																		
4	Service of Independent Engineer for JLTPL	57.50																		
	<b>Total</b>	<b>121.10</b>																		

No.	Description	Port's reply/Action Taken Notes
<p><b>B</b></p> <p><b>Profit &amp; Loss Account/Income and Expenditure Account</b></p> <p><b>Profit and Loss Account</b></p> <p><b>B.1</b></p>	<p><b>Estate Rentals : ₹202.82 crore (Schedule 10)</b></p> <p><b>SEZ Income: ₹24.87 crore</b></p> <p><b>Service Charge for JNPA SEZ (GL- 350011): ₹2.53 crore</b></p> <p>The above does not include ₹ 64.42 lakh pertaining to service charges for the year 2024-25 of six-unit holders for the year 2024-25. As per the Significant Accounting policy relating to Revenue Recognition (Schedule 24), SEZ income is recognized on execution of lease agreement between Port and lessee.</p> <p>It was observed that six units holder, with whom lease agreements were executed, during the year 2024-25, were not billed for service charges. Non billing has resulted in understatement of SEZ income and profit by ₹ 0.65 crore.</p>	<p>To get the benefit of GST exemption the invoices for the service charge are issued after compliance of certain formalities like approval of the Board followed by issuance of BLUT by SEZ Development Commissioner, GST Exemption Certificate by the GST Department, etc., and not the execution of the Lease Deed alone.</p> <p>In this particular case of 6 Unit Holders, delay was on account of late receipt of necessary documents as mentioned below:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GST Registration of SEZ Plot</li> <li>2. List of Approved Services (Unit Holder get is from SEZ SEEPZ)</li> <li>3. Letter of Approval (LOA)</li> <li>4. Bond Cum Legal Undertaking (BLUT)</li> <li>5. Lease Agreement</li> </ol> <p>The income has been recognised in FY 2025-26 when the units had complied all the necessary formalities.</p>
<p><b>B2</b></p>	<p><b>Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule-20)</b> <b>₹157.79 crore</b></p> <p>The above includes an amount of ₹ 12.49 crore, which was paid to M/s Indian Port Rail &amp; Ropeway Corporation Limited towards construction of Maritime Museum in Lothal Gujrat. As per guidelines on Corporate Social Responsibility for Major Port Authorities (June 2023) the allocated CSR fund should be earmarked in certain manner. This includes that 20% of the funds should be deployed in the activities/contributions which include (i) Sainik Kalyan Board at the district level, (ii) National Maritime Heritage Complex, Lothal, Gujarat and (iii) National Youth Development Fund.</p> <p>It was noticed that during the year, instead of routing the payment of ₹ 12.49 crore through Provision for CSR the same has been charged as expenditure (Finance and Miscellaneous Expenditure) in Profit &amp; Loss Account. This has resulted in overstatement of Expenditure, understatement of profit and overstatement of Provision for Corporate Social Responsibility (Current Liabilities) by ₹ 12.49 crore</p>	<p>Rs 12.49 Crores was given as an advance to M/s. NMHC in the year 2023-24 and debited to financial Expenditure. This entry would have been rectified in FY 2025-26. However, in the meantime FY, 2025-26 Ministry vide its letter dated 09.07.2025 directed to NMHC to return the full amount. Accordingly, full amount of Rs. 12.49 Crores has been received from NMHC and the accounting entry for the F&amp;M expenditure is also reversed during the year 2025-26.</p> <p>Thus, in conclusion, there is neither an understatement nor overstatement of CSR/Profit.</p>



No.	Description	Port's reply/Action Taken Notes
B3	<p><b>Expenditure on BOT Contracts: ₹139.71 crore (Schedule 17)</b></p> <p><b>Expenditure on BMCTPL: ₹14.76 crore</b></p> <p>As per the terms of the tender, 50 per cent of the CAMC charges shall be paid in advance, and the remaining amount is to be paid upon satisfactory completion of one year of maintenance. The AMC charges for Mobile X-Ray Container Scanner for the period from July 2024 to Jun 2025 amounting to ₹2.93 crore, payable to M/s Smith Detection. The Port has paid 50 per cent of the AMC, covering the period from Jul to Dec 2024. However, the AMC for the period of three months, i.e. January to March 2025, amounting to ₹73.25 lakh was payable but not provided for in the books of accounts.</p> <p>This has resulted in understatement of expenditure, overstatement of Profit and understatement of current liabilities by ₹73.25 lakh.</p>	<p>It is submitted that the Maintenance Charge for the period from 01st January 2025 to 31st March 2025 would have been booked as accrued expenses as rightly pointed out by the audit. The same will be booked while making the 50% payment of Contracted AMC for the year 2024-25. However, necessary care will be taken to show the maintenance charges for January 2026 to March 2026 as accrued expenditure while finalization of Annual Accounts of 2025-2026.</p>
B4	<p><b>Net Prior-period charges (Schedule 21): ₹ 7.09 crore</b></p> <p>The above does not include ₹101.36 crore, being depreciation of 13 assets which were completed upto 2022-23. The works were completed during the period 2018-19 to 2022-23 and an amount of ₹1834.20 crore against the said assets has been capitalized during the current financial year. However, instead of charging the depreciation of ₹101.36 crore to prior period and ₹ 19.54 crore to current year expenditure, it has charged the entire amount of depreciation of ₹120.90 crore to the current year expenditure. This has resulted into understatement of prior period expenditure and overstatement of depreciation expenditure by ₹101.36 crore. Similar comment was issued during the previous year accounts.</p>	<p>Based upon audit observation in earlier years, wherein AS-10 was mentioned, Capital Dredging was capitalized during the 2024-25.</p> <p>Regarding, Accounting treatment of depreciation on the Capital Dredging accounted during the year, it is stated that the treatment is in line with the present accounting Policy being followed by the Port and hence will not be treated as Commission or omission as per AS 5.</p>
C	<p><b>Management Letter</b></p> <p>Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p>	

No.	Description	Port's reply/Action Taken Notes
D	<p><b>Assessment of Internal Controls</b></p> <p><b>i. Adequacy of Internal Controls System</b></p> <p>Bank Reconciliation Statements as on 31 March 2025 in respect of 20 Bank Accounts furnished by JNPT indicated several pending entries since 1999 amounting to ₹ 79.50 core which have not been reconciled. The non-reconciliation of such long pending entries pointed to weak internal control. This is being highlighted through SARs from 2017-18 onwards, but the Port is yet to take appropriate remedial action.</p> <p><b>ii. Adequacy of Internal Audit System:</b> Internal audit report of the Authority for the year 2024-25 was furnished subsequent to audit. In absence of Internal Audit report, Audit is unable to comment on adequacy of the Internal Audit System.</p> <p><b>iii. System of Physical verification of fixed assets:</b> During the year 2024-25, Physical Verification of Assets was not completed. During last year (SAR 2023-24) only reports pertaining to PP&amp;D, Hospitals and Fire-Marine were furnished to audit. The Physical verification reports for the year 2022-23 furnished by the Management did not show the comparison between book balance of assets and assets physically available. In absence of the above requirement, Audit could not assess whether there are any discrepancies or not.</p> <p><b>iv. System of Physical Verification of inventory:</b> Authority has conducted Physical Verification of Inventory as on 31 March 2025.</p> <p><b>iv. Regularity in payment of statutory dues:</b> JNPA is regular in depositing undisputed statutory dues.</p>	<p>(i) It is submitted that out of total pending entries (BRS as on 31st March, 2025) of Rs.79.50 Crores, entries amounting to Rs.17.52 Crores have already been reconciled as on date. The percentage of total amount reconciled is 27.90%. Further, in order to resolve the old pending items effectively, JNPA has appointed a professional consultant specifically tasked with reconciliation of BRS items. The consultant has commenced their work and same will be completing in timely manner. We will ensure that the necessary adjustment regarding old BRS items will be duly recorded in current financial year.</p> <p>(ii) Internal Audit Report for the year 2024-25 has been submitted during the course of Audit vide dated 12.08.2025</p> <p>(iii) Finance Department has submitted physical verification of Assets by PP&amp;D Department, Hospital and Fire-Marine as on 31st March 2024. The physical verification of balance assets is in progress and will be submitted in due course. Further, Port is in process to physically verify the fixed assets and code them through appointment of professionals and will complete the process in due course.</p> <p>(iv) Factual</p> <p>(v) Factual</p>
E	<p><b>Grants in aid</b></p> <p>The Port has no utilised opening grant and no new Grant has been received during the financial year.</p>	<p>Factual</p>



# Financial Performance Profile 2024-25

## FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 2024-25

### Financial Performance:

The Operating Income of the Port increased by 19.81% to Rs.3,261.69 Crores in F.Y.2024-25 from Rs. 2,722.29 Crores in F.Y.2023-24. The Operating Expenditure increased by 17.18% in F.Y.2024-25 was Rs.1,122.97 Crores as against Rs. 958.33 Crores in F.Y.2023-24. The Operating Profit increased by 21.25% in F.Y.2024-25 is Rs.2,138.72 Crores against Rs. 1,763.96 Crores in the Previous Financial year on account of increase in BOT Income and Vessel related Income due to increase in Traffic and Vessels handled by JNPA. The Profit before Tax & EOI in F.Y.2024-25 has increased by 27.78% to Rs.2,638.07 Crores from Rs. 2,064.58 Crores in F.Y.2023-24. Provision of Rs.399.69 Crores made in F.Y.2024-25 in Extra Ordinary item for SVRS Scheme and Settlement Agreement with NSFTPL & NSICT as against Rs. 43.18 Crores on Ex Gratia Previous F.Y.2023-24. The Provision for Taxation of the Port decreased by 72.48% to Rs.185.76 Crores in F.Y.2024-25 from Rs. 674.97 Crores in F.Y.2023-24. There is an increase of 52.45% in the Net Profit after Tax in F.Y.2024-25 to Rs.2,052.62 Crores from Rs. 1,346.43 Crores in F.Y.2023-24 due to increase in Operating Surplus and Finance income as mentioned aforesaid but also reduction of Finance Expenditure by 30.40% in F.Y. 2024-25 as compared to F.Y. 2023-24 due to JNPA being debt free Organization from March 2024 leading to no interest liabilities in F.Y. 2024-25.

### HIGHLIGHTS: 2024-25

(Rs in Crores)


Sr. No.	Description	Unit	2023-24	2024-25
1	Operating Income	Rs. In crores	2722.29	3261.69
2	Operating Expenditure	Rs. In crores	958.33	1122.97
3	Operating Ratio	%	35.20 %	34.42 %
4	Total Income	Rs. In crores	3143.92	3918.84
5	Total Expenditure	Rs. In crores	1122.52	1680.47
6	Provision for Tax	Rs. In crores	674.97	185.76
7	Net Profit	Rs. In crores	1346.43	2052.62
8	Capital Expenditure ( Plan + Other Plan)	Rs. In crores	769.32	645.81
9	Return on Capital Employed	%	33.28 %	25.00 %
10	Number of employees	In nos.	681	625
11	Total wage bill excluding bonus	Rs. In crores	165.60	154.69
12	Ratio of salaries and wages to operating expenditure	%	17.28 %	13.77 %
13	Ex Gratia towards SVRS Scheme & Conciliation Settlement	Rs. In crores	43.18	399.69



## FINANCIAL INDICATOR

(Rs. in Crores)

Sr. No.	Description	2023-24	2024-25
<b>1</b>	<b>Return on Capital Employed</b>		
a	Profit before Tax	2,021.40	2,238.38
b	Add : Interest on Loan	70.51	0.01
c	Less : interest on Investment	413.57	494.04
d	Profit before interests	1,678.34	1,744.35
e	Net Capital Employed (Excl. WIP, BANK TDR)	5043.55	6976.50
<b>f</b>	<b>Rate of Return on Capital Employed (d/e)</b>	<b>33.28%</b>	<b>25.00%</b>
<b>2</b>	<b>Debt to Reserves &amp; Surplus</b>		
a	Debt including interest due	-	-
b	Reserves & Surplus	14612.62	16,655.23
<b>c</b>	<b>Ratio</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Current Assets to Current Liabilities</b>		
a	Current Assets (Excl. TDR)	8768.66	10,289.61
b	Current Liabilities & Provisions	8346.18	9,436.57
<b>c</b>	<b>Ratio</b>	<b>1.05:1</b>	<b>1.09:1</b>
<b>4</b>	<b>Current Assets to Total Assets</b>		
a	Current Assets (Excl. TDR)	8768.66	10,289.61
b	Total Assets (Excl. Deferred Tax Asset)	23149.48	25,807.23
<b>c</b>	<b>Ratio</b>	<b>0.38:1</b>	<b>0.40:1</b>
<b>5</b>	<b>Operating Ratio</b>		
a	Operating Expenditure	958.33	1,122.97
b	Operating Income	2,722.29	3,261.69
<b>c</b>	<b>Ratio</b>	<b>35.20%</b>	<b>34.42%</b>
<b>6</b>	<b>Store and Materials to Current Assets</b>		
a	Closing Stock of Store and Materials	9.90	9.56
b	Current Assets (Excl. TDR)	8768.66	10,289.61
<b>c</b>	<b>Ratio</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.09%</b>
<b>7</b>	<b>Working Ratio</b>		
a	Operating Expenditure (Excl. Depreciation)	786.96	848.60
b	Operating Income	2,722.29	3,261.69
<b>c</b>	<b>Ratio</b>	<b>28.91%</b>	<b>26.02%</b>





**CONDENSED FINANCIAL  
STATEMENTS  
YEAR 2015-16 TO 2024-25**

## BALANCE SHEET FROM 2015-16 TO 2024-25

PARTICULARS	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>SOURCES OF FUNDS</b>				
CAPITAL RESERVE	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567
REVENUE RESERVES	7,05,52,32,499	23,87,50,23,826	30,92,64,70,105	38,02,61,25,071
STATUTORY RESERVES	17,10,93,08,818	19,39,84,35,589	21,59,09,16,632	23,94,41,17,106
INFRASTRUCTURE RESERVE	10,129,588,419	-	-	-
<b>TOTAL RESERVES AND SURPLUS</b>	<b>70,37,72,98,303</b>	<b>79,35,66,27,982</b>	<b>88,60,05,55,305</b>	<b>98,05,34,10,744</b>
SECURED LOAN - TAX FREE BONDS	41,31,96,000	41,31,96,000	41,31,96,002	41,31,96,002
UNSECURED LOAN - ECB LOAN	-	5,15,52,50,750	17,78,52,84,027	27,97,20,00,001
<b>TOTAL LOAN LIABILITY</b>	<b>41,31,96,000</b>	<b>5,56,84,46,750</b>	<b>18,19,84,80,029</b>	<b>28,38,51,96,003</b>
DEFERRED TAX LIABILITIES	1,83,35,24,284	2,20,73,04,709	2,55,84,62,034	2,85,93,24,616
<b>TOTAL SOURCES OF FUNDS</b>	<b>72,62,40,18,587</b>	<b>87,13,23,79,441</b>	<b>1,09,35,74,97,368</b>	<b>1,29,29,79,31,364</b>



## BALANCE SHEET FROM 2015-16 TO 2024-25

( AMOUNT IN RS)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,08,31,68,567	36,09,44,14,347	36,09,65,63,196	36,09,89,12,511
46,06,54,11,292	51,76,13,65,234	54,99,22,81,039	63,33,47,86,197	73,63,84,37,725	89,87,62,89,382
26,38,19,29,567	28,54,12,62,799	31,18,13,29,287	33,80,39,52,583	36,39,11,84,403	40,57,70,84,850
-	-	-	-	-	-
<b>1,08,53,05,09,426</b>	<b>1,16,38,57,96,600</b>	<b>1,22,25,67,78,893</b>	<b>1,33,23,31,53,127</b>	<b>1,46,12,61,85,324</b>	<b>1,66,55,22,86,743</b>
41,31,96,002	41,31,96,000	41,31,96,000	-	-	-
26,78,43,00,001	22,79,20,00,000	19,66,75,05,000	17,03,38,41,000	-	-
<b>27,19,74,96,003</b>	<b>23,20,51,96,000</b>	<b>20,08,07,01,000</b>	<b>17,03,38,41,000</b>	-	-
1,19,46,86,896	2,91,10,09,658	3,47,14,04,522	4,33,08,61,637	5,15,28,03,348	1,02,90,99,286
<b>1,36,92,26,92,325</b>	<b>1,41,04,22,41,334</b>	<b>1,45,80,88,84,415</b>	<b>1,54,59,78,55,764</b>	<b>1,51,27,89,88,672</b>	<b>1,67,58,13,86,029</b>

## BALANCE SHEET FROM 2015-16 TO 2024-25

PARTICULARS	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>APPLICATION OF FUNDS</b>				
<b>FIXED ASSETS</b>				
CAPITAL ASSETS (INCLUDING WIP)	33,70,10,11,302	36,54,83,90,744	47,78,40,49,691	61,15,50,49,143
LESS : DEPRECIATION	7,36,96,61,082	8,02,39,03,865	8,78,81,36,866	9,54,83,57,248
<b>NET FIXED ASSETS</b>	<b>26,33,13,50,220</b>	<b>28,52,44,86,880</b>	<b>38,99,59,12,825</b>	<b>51,60,66,91,895</b>
SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR	33,62,60,798	31,50,26,027	34,60,40,856	32,47,90,091
RMQCS DESTROYED IN ACCIDENT	-	-	-	-
<b>INVESTMENTS</b>	<b>73,30,00,000</b>	<b>76,78,10,000</b>	<b>1,12,68,71,516</b>	<b>3,63,73,23,026</b>
<b>DEFERRED TAX ASSETS</b>	-	-	-	-
<b>CURRENT ASSETS LOANS &amp; ADVANCES</b>				
CURRENT ASSETS	71,25,27,25,817	88,89,48,20,459	1,07,00,39,05,166	1,22,55,53,27,834
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	26,02,93,18,248	31,36,97,63,925	38,11,52,32,995	48,82,62,01,482
<b>NET CURRENT ASSETS</b>	<b>45,22,34,07,569</b>	<b>57,52,50,56,534</b>	<b>68,88,86,72,171</b>	<b>73,72,91,26,352</b>
DEFICIT	-	-	-	-
<b>TOTAL OF ASSETS</b>	<b>72,62,40,18,587</b>	<b>87,13,23,79,441</b>	<b>1,09,35,74,97,368</b>	<b>1,29,29,79,31,364</b>



## BALANCE SHEET FROM 2015-16 TO 2024-25

( AMOUNT IN RS)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
70,87,22,55,850	76,98,28,47,275	83,00,51,61,070	90,17,60,56,977	96,61,30,08,004	95,38,88,69,633
10,34,22,75,526	10,79,63,54,064	11,98,96,74,840	13,23,44,43,522	14,80,09,04,364	17,51,77,07,602
<b>60,52,99,80,324</b>	<b>66,18,64,93,211</b>	<b>71,01,54,86,230</b>	<b>76,94,16,13,453</b>	<b>81,81,21,03,640</b>	<b>77,87,11,62,031</b>
30,35,39,326	28,23,03,094	26,10,49,869	23,97,96,643	21,85,43,418	19,72,90,192
-	52,94,84,083	52,94,84,083	52,94,84,084	-	-
<b>4,13,73,23,026</b>	<b>5,61,94,81,339</b>	<b>6,11,94,81,339</b>	<b>6,85,85,97,244</b>	<b>5,96,78,01,208</b>	<b>18,09,24,08,604</b>
-	-	2,43,20,27,055	3,16,14,66,248	3,24,59,74,287	3,87,48,01,711
1,24,93,45,48,893	1,27,90,43,50,029	1,30,08,95,82,722	1,40,96,11,76,871	1,43,49,63,45,925	1,61,91,13,92,312
52,98,26,99,245	59,47,98,70,422	64,63,82,26,883	74,09,42,78,779	83,46,17,79,806	94,36,56,68,821
<b>71,95,18,49,648</b>	<b>68,42,44,79,607</b>	<b>65,45,13,55,838</b>	<b>66,86,68,98,092</b>	<b>60,03,45,66,119</b>	<b>67,54,57,23,491</b>
-	-	-	-	-	-
<b>1,36,92,26,92,325</b>	<b>1,41,04,22,41,334</b>	<b>1,45,80,88,84,415</b>	<b>1,54,59,78,55,764</b>	<b>1,51,27,89,88,672</b>	<b>1,67,58,13,86,029</b>

## REVENUE ACCOUNT FROM 2015-16 TO 2024-25

PARTICULARS	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>INCOME</b>				
BULK HANDLING AND STORAGE CHARGES	8,61,52,536	8,55,42,832	8,89,05,432	8,90,44,709
CONTAINER HANDLING AND STORAGE CHARGES	4,88,57,06,658	5,26,81,98,530	5,38,42,99,352	3,98,04,00,316
PORT AND DOCK CHARGES	3,39,43,36,521	3,58,80,08,538	4,30,22,06,666	4,73,13,03,475
ESTATE RENTALS	1,02,50,64,661	92,92,31,379	1,23,95,42,568	1,50,54,83,760
INCOME FROM BOT CONTRACTS	7,25,97,30,147	7,13,86,75,375	7,89,38,91,243	9,58,36,96,755
<b>OPERATING INCOME - (A)</b>	<b>16,65,09,90,523</b>	<b>17,00,96,56,654</b>	<b>18,90,88,45,261</b>	<b>19,88,99,29,016</b>
<b>EXPENDITURE</b>				
BULK HANDLING AND STORAGE	3,80,98,426	4,97,82,586	4,99,58,318	9,76,96,786
CONTAINER HANDLING AND STORAGE	2,67,86,85,937	2,84,80,48,970	3,30,00,42,007	2,69,41,52,149
PORT AND DOCK EXPENDITURE	1,62,60,38,375	1,90,36,95,236	1,19,42,42,253	1,42,50,27,584
RAILWAY WORKINGS	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823
RENTABLE LAND AND BUILDING	29,17,03,688	35,15,07,368	33,71,92,745	38,59,93,799
EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS	67,97,42,326	83,69,93,489	77,32,28,996	93,70,41,758



## REVENUE ACCOUNT FROM 2015-16 TO 2024-25

( AMOUNT IN RS)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
13,10,41,365	11,12,29,311	13,64,41,981	19,17,24,794	3,84,18,718	2,75,24,955
2,76,74,68,328	2,19,99,60,214	1,90,46,03,505	1,21,79,85,853	29,92,30,890	36,61,01,454
4,54,33,80,076	4,59,93,37,218	4,81,81,89,168	5,98,07,59,033	6,51,82,16,181	7,80,77,82,756
1,29,18,37,072	1,54,81,62,787	1,12,38,35,276	1,32,82,72,323	67,21,41,351	2,02,82,55,034
10,26,24,17,946	10,75,32,40,639	13,88,29,86,577	16,74,35,86,954	19,69,48,84,921	22,38,72,49,077
<b>18,99,61,44,787</b>	<b>19,21,19,30,170</b>	<b>21,86,60,56,508</b>	<b>25,46,23,28,957</b>	<b>27,22,28,92,061</b>	<b>32,61,69,13,275</b>
4,14,30,305	7,84,48,822	7,96,37,737	6,92,45,046	6,66,63,374	4,36,13,186
2,84,63,99,027	3,06,37,74,779	3,27,36,49,259	2,56,14,94,122	1,55,42,98,144	47,15,39,297
2,41,39,20,433	2,81,46,71,375	3,89,87,19,762	4,26,05,11,042	3,73,77,30,323	5,53,87,07,564
1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823	1,21,41,823
34,93,15,648	55,71,86,140	81,99,80,218	85,76,83,049	1,01,01,78,755	92,17,36,203
1,06,14,34,701	1,06,25,56,683	1,33,18,94,977	1,31,96,13,175	91,82,21,119	1,39,71,41,566

## REVENUE ACCOUNT FROM 2015-16 TO 2024-25

PARTICULARS	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>SUB TOTAL (EXPENDITURE)</b>	<b>5,32,64,10,575</b>	<b>6,00,21,69,472</b>	<b>5,66,68,06,142</b>	<b>5,55,20,53,899</b>
MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	1,60,47,44,132	2,04,75,01,995	1,84,56,29,117	2,08,50,90,883
<b>OPERATING EXPENDITURE - (B)</b>	<b>6,93,11,54,707</b>	<b>8,04,96,71,467</b>	<b>7,51,24,35,259</b>	<b>7,63,71,44,782</b>
<b>OPERATING SURPLUS - (C=A-B)</b>	<b>9,71,98,35,816</b>	<b>8,95,99,85,187</b>	<b>11,39,64,10,002</b>	<b>12,25,27,84,233</b>
ADD : FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME - (D)	3,19,59,86,105	4,61,46,03,346	3,45,45,75,629	4,33,88,94,673
LESS : FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE - (E)	1,32,11,22,525	16,53,19,226	45,14,45,406	1,90,26,55,516
LESS : NET PRIOR PERIOD CHARGES (F)	(4,99,55,453)	(3,80,92,956)	(2,30,96,920)	21,28,98,144
<b>PROFIT BEFORE TAX – (G=C+D-E-F)</b>	<b>11,64,46,54,849</b>	<b>13,44,73,62,262</b>	<b>14,42,26,37,145</b>	<b>14,47,61,25,246</b>
LESS : PROVISION FOR TAXATION – H				
CURRENT TAX	3,33,95,72,508	4,28,03,52,159	4,55,10,97,040	4,60,19,93,947
DEFERRED TAX	38,97,01,685	37,37,80,425	35,11,57,325	30,08,62,582
<b>PROFIT AFTER TAX – (I=G-H)</b>	<b>7,91,53,80,656</b>	<b>8,79,32,29,679</b>	<b>9,52,03,82,779</b>	<b>9,57,32,68,717</b>
EXTRA-ORDINARY ITEM	72,85,00,000	-	-	-
<b>NET PROFIT</b>	<b>7,18,68,80,656</b>	<b>8,79,32,29,679</b>	<b>9,52,03,82,779</b>	<b>9,57,32,68,717</b>



## REVENUE ACCOUNT FROM 2015-16 TO 2024-25

( AMOUNT IN RS)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
<b>6,72,46,41,937</b>	<b>7,58,87,79,622</b>	<b>9,41,60,23,774</b>	<b>9,08,06,88,257</b>	<b>7,29,92,33,538</b>	<b>8,38,48,79,639</b>
1,96,66,48,570	2,60,65,22,485	2,69,98,76,423	3,01,60,86,695	2,28,40,88,737	2,84,48,65,515
<b>8,69,12,90,507</b>	<b>10,19,53,02,107</b>	<b>12,11,59,00,197</b>	<b>12,09,67,74,952</b>	<b>9,58,33,22,275</b>	<b>11,22,97,45,153</b>
<b>10,30,48,54,279</b>	<b>9,01,66,28,063</b>	<b>9,75,01,56,311</b>	<b>13,36,55,54,005</b>	<b>17,63,95,69,786</b>	<b>21,38,71,68,122</b>
4,41,52,43,753	3,98,00,78,832	2,90,40,38,906	3,25,47,98,731	4,26,89,69,833	6,64,24,40,897
1,62,72,37,563	89,41,85,922	2,00,24,09,338	94,02,83,002	1,21,00,83,501	1,57,79,75,215
4,33,85,668	(1,40,70,127)	3,62,356	(23,42,15,388)	5,27,00,940	7,09,16,430
<b>13,04,94,74,801</b>	<b>12,11,65,91,100</b>	<b>10,65,14,23,524</b>	<b>15,91,42,85,122</b>	<b>20,64,57,55,178</b>	<b>26,38,07,17,373</b>
4,17,82,75,331	3,82,14,99,463	3,01,07,34,747	4,67,28,73,990	6,01,23,21,754	6,61,00,97,716
(1,66,46,37,720)	25,65,61,838	(41,18,71,267)	13,00,17,922	73,74,33,672	(4,75,25,31,486)
<b>10,53,58,37,190</b>	<b>8,03,85,29,799</b>	<b>8,05,25,60,044</b>	<b>11,11,13,93,210</b>	<b>13,89,59,99,752</b>	<b>24,52,31,51,144</b>
-	-	2,15,92,23,687.90	13,29,32,685.00	43,17,49,880.00	3,99,69,43,702
<b>10,53,58,37,190</b>	<b>8,03,85,29,799</b>	<b>5,89,33,36,356</b>	<b>10,97,84,60,525</b>	<b>13,46,42,49,872</b>	<b>20,52,62,07,441</b>

## FINANCIAL RATIOS FROM 2015-16 TO 2024-25

(Rs. in Crores & Ratios in % )

Description	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
OPERATING INCOME	1,665.10	1,700.97	1,890.88	1,988.99
OPERATING EXPENDITURE	693.12	804.97	751.24	763.71
<b>OPERATING RATIO (%)</b>	<b>41.63%</b>	<b>47.32%</b>	<b>39.73%</b>	<b>38.40%</b>
FINANCE & MISC. INCOME	319.60	461.46	345.46	433.89
TOTAL INCOME	1,984.70	2,162.43	2,236.34	2,422.88
NET PROFIT / LOSS	718.69	879.32	952.04	957.33
<b>NET PROFIT RATIO (%)</b>	<b>36.21%</b>	<b>40.66%</b>	<b>42.57%</b>	<b>39.51%</b>
<b>RATIO OF F&amp;M INCOME TO TOTAL INCOME (%)</b>	<b>16.10%</b>	<b>21.34%</b>	<b>15.45%</b>	<b>17.91%</b>
CURRENT ASSET (INCLUDING TDR)	7,125.27	8,889.48	10,700.39	12,255.53
CURRENT LIABILITIES	2,602.93	3,136.98	3,811.52	4,882.62
<b>CURRENT RATIO (NO. OF TIMES)</b>	<b>2.74</b>	<b>2.83</b>	<b>2.81</b>	<b>2.51</b>
NET PROFIT	718.69	879.32	952.04	957.33
EQUITY (RESERVES & SURPLUS)	7,037.73	7,935.66	8,860.06	9,805.34
<b>RETURN ON NETWORTH</b>	<b>10.21%</b>	<b>11.08%</b>	<b>10.75%</b>	<b>9.76%</b>
TOTAL DEBT	41.32	556.84	1,819.85	2,838.52
DEBT TO EQUITY RATIO	0.01	0.07	0.21	0.29
CAPITAL EMPLOYED	3,555.27	3,603.38	3,797.39	3,803.58
<b>RETURN ON CAPITAL EMPLOYED</b>	<b>22.49%</b>	<b>25.50%</b>	<b>30.15%</b>	<b>30.05%</b>



## FINANCIAL RATIOS FROM 2015-16 TO 2024-25

(Rs. in Crores & Ratios in % )

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1,899.61	1,921.19	2,186.61	2,546.23	2722.29	3,261.69
869.13	1,019.53	1,211.59	1,209.68	958.33	1,122.97
<b>45.75%</b>	<b>53.07%</b>	<b>55.41%</b>	<b>47.51%</b>	<b>35.20%</b>	<b>34.43%</b>
441.52	398.01	290.40	325.48	427.00	664.24
2,341.14	2,319.20	2,477.01	2,871.71	3149.19	3,925.94
1,053.58	803.85	589.33	1,097.85	1346.42	2,052.62
<b>45.00%</b>	<b>34.66%</b>	<b>23.79%</b>	<b>38.23%</b>	<b>42.75%</b>	<b>52.28%</b>
<b>18.86%</b>	<b>17.16%</b>	<b>11.72%</b>	<b>11.33%</b>	<b>13.56%</b>	<b>16.92%</b>
12,493.45	12,790.44	13,008.96	14,096.12	14349.63	16191.14
5,298.27	5,947.99	6,463.82	7,409.43	8346.18	9436.57
<b>2.36</b>	<b>2.15</b>	<b>2.01</b>	<b>1.90</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>
1,053.58	803.85	589.33	1,097.85	1346.42	2,052.62
10,853.05	11,638.58	12,225.68	13,323.32	14612.62	16,655.23
<b>9.71%</b>	<b>6.91%</b>	<b>4.82%</b>	<b>8.24%</b>	<b>9.21%</b>	<b>12.32%</b>
2,719.75	2,320.52	2,008.07	1,703.38	0	0
0.25	0.20	0.16	0.13	-	-
3,985.32	3,770.32	4,339.15	4,210.44	5,043.55	6,976.50
<b>25.10%</b>	<b>23.80%</b>	<b>14.61%</b>	<b>31.79%</b>	<b>33.28%</b>	<b>25.00%</b>

## TRAFFIC HANDLED FROM 2014-15 TO 2024-25

Description	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
DRY BULK	6,74,064	8,15,680	9,04,624	9,97,472
BREAK BULK	58,109	24,410	46,997	30,547
LIQUID JNPA	5,37,913	5,23,967	5,83,160	5,66,026
LIQUID (NSDT)	-	-	-	-
LIQUID (JLTPL)	-	-	-	-
LIQUID (BPCL)	59,66,743	62,57,018	66,03,321	69,97,694
<b>(TOTAL LIQUID)</b>	<b>65,04,656</b>	<b>67,80,985</b>	<b>71,86,481</b>	<b>75,63,720</b>
<b>TOTAL BULK</b>	<b>72,36,829</b>	<b>76,21,075</b>	<b>81,38,102</b>	<b>85,91,739</b>
<b>CONTAINER (JNPCT)</b>				
TONNAGE	1,79,76,822	1,82,97,756	1,65,68,564	1,24,47,206
TEUs	(14,29,223)	(15,33,975)	(14,81,768)	(10,56,368)
<b>CONTAINER (NSICT)</b>				
TONNAGE	1,20,55,150	89,00,431	78,76,537	68,52,374
TEUs	(9,99,680)	(7,28,560)	(6,41,122)	(5,60,661)
<b>CONTAINER (NSIGT)</b>				
TONNAGE	24,63,588	55,53,759	82,82,970	1,21,59,078
TEUs	(2,02,328)	(4,45,111)	(6,59,400)	(9,47,665)
<b>CONTAINER (GTIPL)</b>				
TONNAGE	2,42,94,531	2,17,78,297	2,48,93,462	2,49,00,624
TEUs	(18,60,283)	(17,92,503)	(20,27,895)	(20,48,454)
<b>CONTAINER (BMCTPL)</b>				
TONNAGE	-	-	2,44,493	57,54,697
TEUs	-	-	(23,212)	(5,20,126)
<b>CONTAINER (NSFTPL)</b>				
TONNAGE	-	-	-	-
TEUs	-	-	-	-
<b>CONTAINER (NSDTPL)</b>				
TONNAGE	-	-	-	-
TEUs	-	-	-	-
<b>TOTAL TONNAGE (JNPCT+NSICT+NSIGT+GTIPL+ BMCT + NSFTPL+NSDTPL)</b>	<b>5,67,90,091</b>	<b>5,45,30,243</b>	<b>5,78,66,026</b>	<b>6,21,13,979</b>
<b>"TOTAL TEUs (JNPCT+NSICT+NSIGT+GTIPL +BMCT + NSFTPL+NSDTPL)"</b>	<b>(44,91,514)</b>	<b>(45,00,149)</b>	<b>(48,33,397)</b>	<b>(51,33,274)</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>6,39,68,811</b>	<b>6,21,26,908</b>	<b>6,59,57,131</b>	<b>7,06,75,171</b>



## TRAFFIC HANDLED FROM 2014-15 TO 2024-25

(IN METRIC TONNES)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
10,17,571	8,65,989	8,07,421	13,60,245	15,89,545	18,02,117
41,117	45,414	1,12,868	5,211	2,18,122	4,93,412
3,80,564	5,31,252	7,86,103	11,51,755	7,47,796	16,727
-	-	-	-	-	3,59,474
-	-	-	-	-	198779
60,69,797	56,21,106	51,97,099	51,50,601	51,36,093	5276548
<b>64,50,361</b>	<b>61,52,357</b>	<b>59,83,202</b>	<b>63,02,356</b>	<b>58,83,889</b>	<b>58,51,528</b>
<b>75,09,049</b>	<b>70,63,760</b>	<b>69,03,491</b>	<b>76,67,812</b>	<b>76,91,556</b>	<b>81,47,057</b>
81,06,305	65,47,406	53,91,918	25,13,441	-	-
(7,18,863)	(5,44,027)	(4,40,210)	(2,06,067)	-	-
68,18,055	93,27,715	1,18,05,711	1,44,83,553	1,42,47,557	1,46,39,120
(5,31,354)	(7,50,978)	(9,47,887)	(10,96,954)	(11,32,232)	(12,07,729)
1,32,18,313	97,73,280	1,35,58,310	1,40,15,536	1,35,44,566	1,25,94,446
(9,86,624)	(7,79,769)	(11,86,181)	(11,37,034)	(11,11,838)	(11,29,933)
2,40,86,806	2,11,60,979	2,35,29,914	2,29,02,350	1,89,91,189	2,34,10,360
(19,85,473)	(16,68,903)	(18,65,587)	(18,46,920)	(15,88,485)	(20,78,961)
87,10,750	1,09,36,056	1,48,07,536	2,16,36,822	2,44,92,685	2,60,85,576
(8,08,873)	(9,33,154)	(12,44,694)	(17,14,246)	(20,27,781)	(22,70,181)
-	-	-	6,41,894	67,28,646	69,22,762
-	-	-	(49,707)	(5,62,154)	(5,94,260)
-	-	-	-	1,21,092	3,15,672
-	-	-	-	(7,948)	(20,445)
<b>6,09,40,229</b>	<b>5,77,45,436</b>	<b>6,90,93,389</b>	<b>7,61,93,596</b>	<b>7,81,25,735</b>	<b>8,39,67,936</b>
<b>(50,31,187)</b>	<b>(46,76,831)</b>	<b>(56,84,559)</b>	<b>(60,50,928)</b>	<b>64,30,438</b>	<b>73,01,509</b>
<b>6,84,08,161</b>	<b>6,47,63,782</b>	<b>7,58,84,012</b>	<b>8,38,61,408</b>	<b>8,58,17,291</b>	<b>9,21,14,993</b>







## जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

प्रशासनिक भवन, शेवा, नवी मुंबई -400707  
Administration Building, Sheva, Navi Mumbai - 400707  
[www.jnport.gov.in](http://www.jnport.gov.in)



JNport



JNPA



JNport



JNport